खण्ड-236, अंक-7
गुरूवार, 10 कार्तिक, शक संवत् 1884
(1 नवम्बर, 1962 ई0)

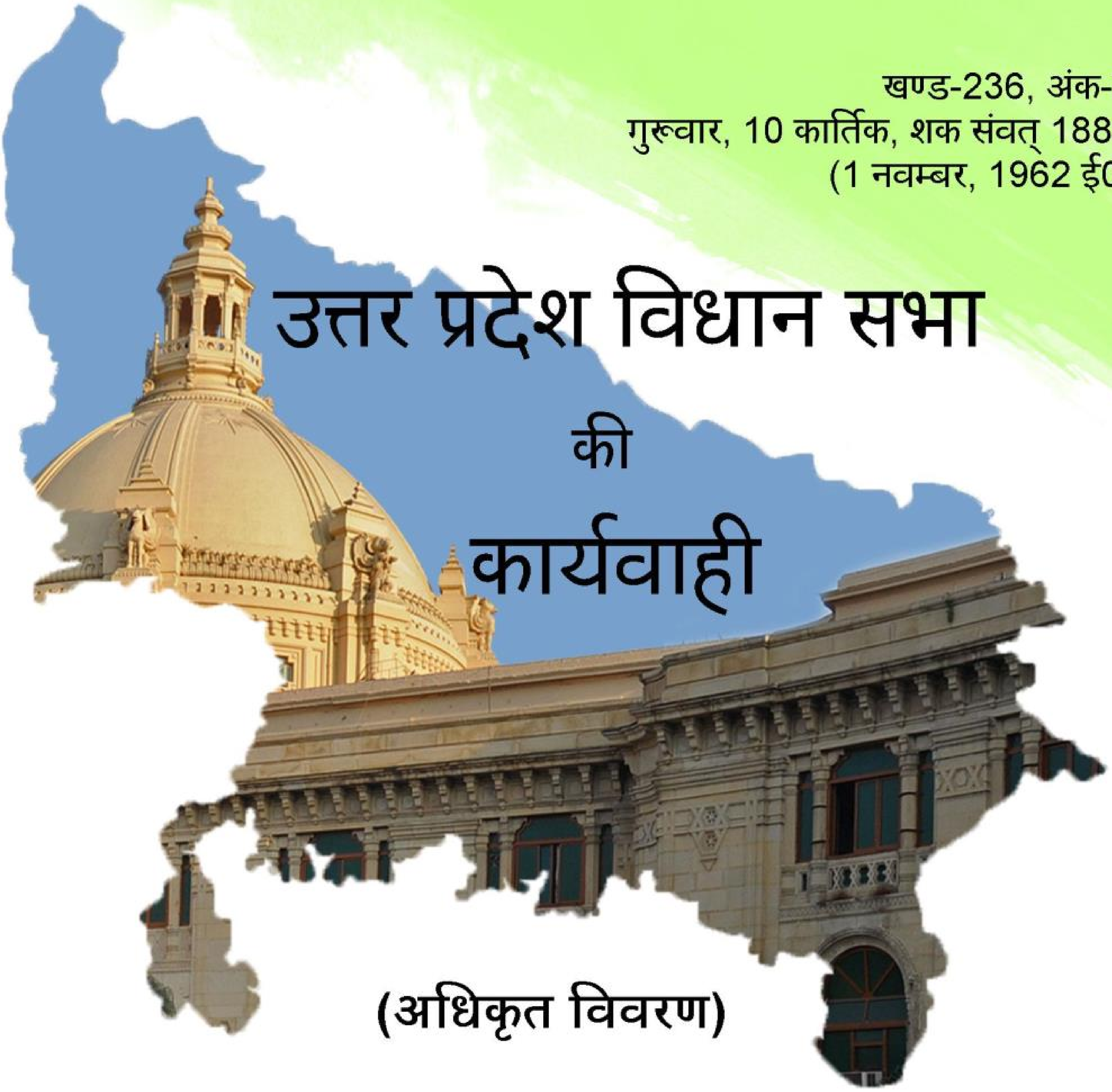

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 236 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६४३–६४७
प्रश्नोत्तर	६४७–६७३
निलम्बित सदस्यों के निलम्बन की समाप्ति	६७४
श्री नेकराम शर्मा द्वारा सीमावर्ती इलाकों की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग	६७४
श्री नरसिंहनारायण पांडेय द्वारा स्पष्टीकरण की मांग	६७४–६७५
उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	६७५
नगरमहापालिका, इलाहाबाद के चुंगी कर निर्धारण तथा वसूली के नियमों में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	६७५
१९६२–६३ के अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये)	६७६
१९५८–५९ के अतिरिक्त व्यय की मांगें (प्रस्तुत की गयीं) ..	६७६
गोरखपुर, बस्ती आदि जिलों में नेपाल सरकार की कार्यवाहियों से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	६७६–६७७
फर्रुखाबाद में दीनी तालीम कान्फ्रेन्स में परिवहन मंत्री के सभा सचिव, श्री शाहिद फाखरी द्वारा दिये गये भाषण के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	६७८
कर-वृद्धि विरोधी आन्दोलनकारियों पर लखनऊ जिला तथा आदर्श जेल में तथाकथित अत्याचार एवं दुर्व्यवहार के कारण की गई भूख हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (आवश्यकता न रहने पर वक्तव्य नहीं दिया गया)	६७८
फैजाबाद जिले के अकबरपुर तहसील कार्यालय में प्रजा समाजवादी दल के कार्यकर्त्ता के पीटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	६७८–६८२
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सदस्यों द्वारा दिये गये धन के सम्बन्ध में सूचना (जारी)	६८२–६८३
शनिवार ३ नवम्बर, १९६२ को सदन की बैठक बुलाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	६८३–६८४
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सदस्यों द्वारा दिये गये धन के सम्बन्ध में सूचना (जारी)	६८४
नेशनल हेराल्ड एवं उसके सम्पादक के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (वापस लिया गया)	६८४
सदस्यों द्वारा प्रार्थनाएं	६८४–६८५
उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (विचार स्थगित किया गया) ..	६८५–६८९

विषय	पृष्ठ संख्या
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सदस्यों द्वारा दिये गये धन के सम्बन्ध में सूचना (जारी)	६८९–६९०
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक, १९६२ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (जारी)	६९०–६९७
उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) संशोधन विधेयक, १९६२ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (विचारोपरान्त पारित)	६९७–७०४
उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान विधेयक, १९६२ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (विचारोपरान्त पारित)	७०४–७३३
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक, १९६२ जैसाकि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (विचारोपरान्त पारित) ..	७३३–७४६
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सदस्यों द्वारा दिये गये धन के सम्बन्ध में सूचना ..	७४६
कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना	७४६
नत्थियां	७४७–७५४

विधान सभा सचिवालय

बिधान सभा दरभंगा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १ नवम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६८

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अजीसुर्र हमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गु)
कल्याणराय श्री,
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह रावत, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य श्री ,
धर्मसिंह, श्र,
धूमप्रसाद, श्री ,
नत्थाराम रावत श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परसाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री

पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाँडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रताप सिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त गायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल श्री,
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री

राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री

श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजलाल गुप्त, वकील
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १ नवम्बर, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

दीपावली से पूर्व वेतन देने की सिफारिश

**१—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित) तथा श्री ब्रह्मदत्त माथुर (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व अक्तूबर, १९६२ का वेतन देने के आदेश जारी कर दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी नहीं । क्योंकि ऐसा करना नियमानुकूल नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

[१५वें बुधवार (२४-१०-६२) के लिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या १-२ जो श्री अध्यक्ष के आदेश से १ नवम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित किये गये]

पेंशन के मामले

*१—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि सरकारी कर्मचारियों के लिये रिटायरमेन्ट की आयु ५८ वर्ष से ५५ वर्ष हो जाने के फलस्वरूप कितने कर्मचारी, ३१ दिसम्बर, १९६१ को रिटायर हुये और उनमें से कितने ऐसे हैं जिनके पेन्शन के मामले ३१-३-६२ तक निर्णीत हो गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—३१ दिसम्बर, १९६१ को रिटायर हुये कर्मचारियों की संख्या ३,२५१ है । अभी पूर्ण सूचना एकत्र नहीं हो पाई है किन्तु प्राप्त सूचना के अनुसार १५ कर्मचारियों के पेन्शन के मामले ३१-३-६२ तक निर्णीत हो गये थे ।

*२—श्री दीपनारायणसिंह तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी से पहली अप्रैल, १९५९ से पूर्व रिटायर हुये कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पेन्शन के मामले अभी तक निर्णीत नहीं हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२८० ।

श्री दीपनारायणसिंह—क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो शेष कर्मचारी हैं जिनके पेन्शन के मामले अभी तक निर्णीत नहीं हुये, तो कब तक निर्णीत होने की आशा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई निश्चित तिथि बताना तो कठिन है लेकिन सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि बहुत जल्दी मामले निपटा दिये जायं । कुछ विलम्ब हुआ है क्योंकि नये रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स बने हैं । आशा की जाती है कि बहुत शीघ्र ही सब मामले निपट जायेंगे ।

श्री दीपनारायणसिंह—आपने सूचना दी है कि अप्रैल, १९५९ के पहले २८० ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पेंशन के मामले अब तक निर्णीत नहीं हुये । क्या यह आशा है कि यह मामले ४, ६ महीने में निर्णीत हो जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जैसा कि मैंने निवेदन किया यह वास्तव में बेनिफिट रूल्स बने १९६१, बजट में, और कर्मचारियों से कहा गया कि वह आप्ट आउट कर सकते हैं पुराने नियमों के अनुसार या नये नियमों के अनुसार । यह रूल लागू हुये १९६१ से लेकिन प्रकाशित हुये १९६२ के अप्रैल में । उनको टाइम दिया गया था अक्तूबर तक के लिये । इसमें विलम्ब हुआ है और अब आदेश जारी कर दिये गये हैं कि नियमों के अनुसार उत्तर भी आ गये हैं, शीघ्र से शीघ्र फैसला कर दिया जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर, १९६१ को ५८ वर्ष से ५५ वर्ष उम्र करने के कारण ३० हजार के करीब कर्मचारी सेवा मुक्त किये गये या केवल ३२ सौ ही जैसा कि आपने उत्तर दिया है ? क्योंकि हम लोगों की जानकारी है कि ३१ दिसम्बर, १९६१ को उम्र कम करने के कारण प्रदेश भर में ३० हजार कर्मचारी सेवा मुक्त किये गये, दोनों में क्या सही है, यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उत्तर में कहा गया है कि ३,२५१, ३१ दिसम्बर, ६१ को रिटायर हुये । वही है संख्या ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २८० कर्मचारी जो १९५९ में विमुक्त किये गये थे और उन पर १९६१ के नियम लागू नहीं थे, उनके पेंशन के मामले तय न होने का क्या कारण था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पेंशन के मामलों में कुछ देर होती है । यह बात सही है कि ये रूल १९६१ से लागू किये गये । और जो लोग पहले रिटयर हो गये होंगे उनको उसका लाभ मिलने की कोई बात नहीं है । लेकिन कई कारण होते हैं जिनसे पेंशन के कागजात जाने में देर होती है । जल्दी काम हो इसके लिये सरकार ने कदम भी उठाये हैं । अब पेंशन के इंसपेक्टर भी कायम कर दिये गये हैं । अक्सर यह होता रहा है कि ऐसे मामलों में देर होती रही है । लेकिन अब यह कोशिश की जा रही है कि देर न हो और जल्द से जल्द उनको पेंशन मिल सके ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—पेंशन के जो नये नियम बने हैं कर्मचारियों को अपना आप्शन देने के लिये, उसके लिये जो पहले तिथि दी गई थी वह क्या थी और क्या उसके बाद पुनः उस तिथि को आगे बढ़ाया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब वह जो रूल्स नये बने हैं वह तो ६१-६२ के बजट में सामने आ गये थे, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ दूं, लेकिन वह बहुत लम्बा चौड़ा है....

श्री अध्यक्ष—नहीं, उनका सवाल तो सिर्फ इतना है कि तिथि बढ़ाई गई है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तिथि बढ़ाई गई थी अक्तूबर, सन् १९६२ तक। अब तक वह सब आ गये होंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि रिटायरमेंट के पश्चात् कितने ऐसे कर्मचारी हैं टेक्निकल और नानटेक्निकल जिनको एक्सटेंशन दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो माननीय नेकराम जी, प्रश्न सिर्फ पेंशन का है। एक्सटेंशन और चीज है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि पेंशन के कागजात की तैयारी में विलम्ब होता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने ऐसा आदेश दिया है कि किसी कर्मचारी के रिटायर होने की तिथि से ६ महीने पूर्व ही उसके पेंशन के कागजात बनाने शुरू कर दिये जायं ताकि जाते समय उसको पेंशन मिल सके ? यदि हां, तो क्या इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है जिससे पेंशन मिलने में दिक्कत होती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो पहले का नियम है कि ६ महीने पहले से तैयारी हो। अब तो सरकार ने यह आदेश दे दिया है कि १ साल पहले से तैयार किये जायं। दूसरी बात और भी सुधार किये गये हैं। पहले तरीका ऐसा था कि एकाउंटेंट जनरल के यहां पहले रिटायर होने वाले का नाम जाय तो वह वहां उसके कागजपत्र देखकर के उसके पेंशन का देय फिक्स करके सरकार के पास भेजें। फिर सरकार से उसकी स्वीकृति जाय। तब वह पेंशन उसे मिल सकती थी। अब ऐसा आदेश हो गया है कि जब नाम यहां से भेजा जाय, साल भर पहले से उसके कागजात तो तैयार किये ही जायं, लेकिन नाम के साथ ही सब कागज और स्वीकृति भी भेज देने का आदेश अब दे दिया गया है जिसको कि वह चेक कर लें और उसके बाद अपने पास से ही पेंशन के आदेश वह जारी कर दें। यह बात सही है कि पेंशन के बहुत से केसेज पड़े हुये हैं और मुनासिब यह है कि जल्दी से जल्दी उनका फैसला हो। इसलिये इस बात की चेष्टा की जा रही है कि जितने पेंडिंग केसेज हैं उनका जल्द से जल्द फैसला हो जाय और आगे भी कम विलम्ब हो ताकि रिटायर होने के बाद किसी भी कर्मचारी को शीघ्र ही पेंशन मिलने लगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें जानकारी है कि जिन कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी गई है उनका वेतन और मंहगाई भत्ता भी सरकार के यहां बाकी पड़ा हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब ऐसा कोई केस हो, उसकी तरफ माननीय सदस्य ध्यान आकृष्ट करें तो जांच पड़ताल कराई जाय।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये ताराँकित प्रश्न]

दलपतपुर रेलवे स्टेशन की डकैती

*१—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि बुधवार, २६ सितम्बर, १९६२ को रात को डाकुओं ने बड़ो लाइन के स्टेशन दलपतपुर, जिला मुरादाबाद के बुकिंग आफिस पर हमला कर दिया और स्टेशन मास्टर को मारा-पीटा और चार हजार रुपया का कैश लेकर भाग गये ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जी हाँ। दिनांक २५/२६-९-६२ की रात में डकैतों ने रेलवे स्टेशन दलपतपुर पर डकैती डाली। डकैतों ने असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को डकैती के दौरान साधारण चोटें पहुंचाईं। इस डकैती में सरकारी व व्यक्तिगत कुल २७५ रुपये २६ नये पैसे नकद और सामान लूटा गया। यह सत्य नहीं है कि डकैत चार हजार रुपये का कैश लूट ले गये।

इस संबंध में धारा ३९५ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। अपराधियों की खोज जारी है।

[१ नवम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मऊनाथभंजन में सूती मिल खोलने की योजना

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊनाथ भंजन जिला आजमगढ़ में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में सूती मिल खोलने का आयोजन है?

सूचना राज्य-मंत्री (श्री बनारसीदास)—जी हाँ। स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि० ने मऊनाथ भंजन में सूत बनाने की मिल लगाने का एक लाइसेंस प्राप्त किया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मिल को कब लाइसेंस दिया गया?

श्री बनारसीदास—वैसे लाइसेंस तो सन् १९६० में पहली मर्तबा नैनी के अन्दर मिला था। लेकिन बाद में उन्होंने अपना लाइसेंस तब्दील कराने के लिए कहा और वह लाइसेंस तब्दील हो गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मिल कब तक सूत इस प्रदेश को देने लगेगी, कुछ उनके पास इसकी सूचना है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह मिल जो है कुछ आनाकानी सी कर रही है क्योंकि इन्होंने वहाँ की जो नगरपालिका है उससे कुछ आक्ट्राय वगैरह के सिलसिले में सुभीते चाहे थे, तो कुछ सुभीता तो नगरपालिका ने देने का वचन दिया है। लेकिन यह पांच वर्ष के लिये या उसके बाद के लिये कुछ विशेष सुविधायें चाहते हैं। तो अभी यह मामला चल रहा है और अभी कह नहीं सकते कि कितने दिन में वह लगायें। वहाँ जिन लोगों को लाइसेंस विभिन्न क्षेत्रों में मिल लगाने के लिये प्राप्त हुये हैं उनको हमारे डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्री ने कुछ टाइम दिया है कि तीन महीने में अगर नहीं लगायेंगे तो फिर क्यों न इस बात के ऊपर विचार किया जाय कि ऐसे व्यक्तियों के या ऐसी संस्थाओं के लाइसेंस काट दिये जायं और दूसरे व्यक्तियों या संस्थाओं को लाइसेंस दिये जायं। तो अभी इस विषय में और बातें नहीं आई हैं। जैसे सब को नोटिस दिया गया है वैसे ही इस कम्पनी को भी नोटिस दिया गया है कि वह तीन महीने के अन्दर उस कार्यवाही में आगे बढ़े कि जिस कार्यवाही द्वारा फैक्टरी जल्द से जल्द लगाई जा सके।

श्री रामायणराय—मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस कठिनाई के चलते यह मिल चालू नहीं की जा सकी उस कठिनाई को दूर करने के लिये राज्य सरकार की ओर से क्या सहायता दी जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राज्य सरकार ने उनसे यह कहा है कि दो साल की सुविधा जो उनको मिली है उसको स्वीकार करते हुये वह अपनी गाड़ी आगे चलायें जिससे फैक्टरी जल्द से जल्द लगे। आगे की बात फिर सोची जायगी। नगरपालिका को आगे फैसला करना है और यह देखना है कि दो साल से ज्यादा आक्ट्राय में छूट देना मुनासिब होगा या नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मऊ के आस पास जो बहुत बड़ा केन्द्र बुनकरों का है उसको ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक मिल खोलने की वहाँ योजना बनाई थी जो बाद को इटावा के लिये हो गई, यह प्राइवेट मिल खुल रही है तो सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा है कि वह मिल इतनी क्षमता रखे कि बुनकरों को जितनी आवश्यकता हो उसको पूरा कर सके, इस सम्बन्ध में कुछ विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरा खयाल है कि यह मिल २५००० स्पिंडिल्स की है। मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र की आवश्यकता को पूरी करने की क्षमता उसके अन्दर रहेगी।

जिलाधीशों का स्थानान्तरण

*२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिलों के जिलाधीशों का स्थानान्तरण पिछले ३ वर्ष से नहीं हुआ है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—वाराणसी और बाराबंकी जिलों के जिलाधीशों का स्थानान्तरण पिछले ३ वर्ष से नहीं हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि ३ वर्ष के बाद भी उनका स्थानान्तरण नहीं हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—स्थानान्तरण के विषय में बहुत से प्रश्नों को सामने रखा जाता है। स्थानीय समस्याओं की जानकारी होती है, स्थानीय परिस्थिति का ज्ञान होता है, व्यक्ति का उसमें अनुभव होता है। तो इन सारे विषयों को सामने रख कर निर्णय किया जाता है। कभी कभी तीन साल से अधिक भी किसी स्थान पर किसी व्यक्ति को काम करने की इजाजत देते हैं। कोई यह बात नहीं है कि बिलकुल तीन साल का कायदा ऐसा बना रखा है कि तीन साल खत्म हो तो जरूर उस स्थान से दूसरे स्थान पर उसको तब्दील कर दिया जाय। अब जिस जमाने से हम गुजर रहे हैं उसमें एक जगह पर इस प्रकार से रहने का नियम या इस तरह की जो परम्परा अभी तक बना रखी है उसको तोड़ना पड़ेगा।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसे कितने आवेदन-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को जिलाधीशों को रोकने के लिये प्राप्त हुये हैं कि उनकी अच्छी सेवा के कारण या स्थानीय परिस्थिति के कारण बाध्य होकर मुख्य मंत्री जी को उन जिलाधीशों को रोकना पड़ा और अन्य जिलाधीशों को नहीं रोका ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसे कोई आवेदन-पत्रों का प्रश्न नहीं उठता और इस जिले से ऐसे आवेदन-पत्र मेरे पास नहीं आये हैं।

श्री रामायणराय—वाराणसी में ऐसी कौन-सी विशेष परिस्थिति थी कि जिनके कारण वहां के जिलाधीश को वहां रखना अनिवार्य प्रतीत हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वहाँ बाहर के पर्यटक भी आते हैं और जो व्यक्ति वहाँ काम कर रहे हैं जिलाधीश के पद पर, वह यहाँ सेक्रेटेरियट में भी काफी समय तक काम कर चुके हैं और काफी सीनियर व्यक्ति हैं। एक दफा उनके स्थानान्तरण के प्रश्न पर हमने विचार किया था, परन्तु उनके लिये उपयुक्त जगह उस समय नहीं निकल सकी। इसलिये उनकी सीनियारिटी इत्यादि को देखते हुए और वाराणसी की जो एक अहमियत है उसे देखते हुए हमने यह मुनासिब समझा कि अभी वे उसी स्थान पर कार्य करते रहें।

मन्त्रियों के निवास स्थानों पर पुलिस

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मंत्री, राज्य मन्त्री, उपमंत्री तथा सभा सचिवों के लखनऊ स्थित निवास स्थानों पर उनके रक्षार्थ कितनी-कितनी पुलिस नियुक्त की गई है ?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—जनहित में इसकी सूचना को देना उचित न होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे कि प्रदेश में कम पैसा खर्च हो इस दृष्टि से जो इस चीज पर हजारों रुपया खर्च किया जा रहा है उसे किसी प्रकार कम किया जाय और जनता की रक्षा में उसका उपयोग किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार के सामने यह प्रश्न हमेशा रहता है कि सरकार के विभिन्न विभागों में और पुलिस विभाग में, उनके संचालन में कम से कम खर्च हो, परन्तु कुछ आवश्यक चीजें ऐसी होती हैं जिन पर खर्च करना होता है। जो बात इसमें कही गयी है कि यह बताना जनहित में नहीं है, तो जहाँ तक सी० आई० डी० के लगाने का विषय है यह एक गोपनीय विषय है। यहां पर और भी सदस्य हैं अलावा उन सदस्यों के जो सरकार में काम नहीं करते और जिनके विषय में समय समय पर हमारे पास आवेदन आते हैं कि उनकी जान का खतरा है और कोई व्यक्ति उनको मारना चाहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी हम उनकी सहायता के लिये और उन दुर्घटनाओं से बचाने के लिये जो कुछ हो सकता है, करते हैं और सी० आई० डी० इत्यादि रक्षा के लिये देते हैं, परन्तु उसकी यहां घोषणा नहीं करते और उन्हें बतलाते नहीं। इस प्रकार मंत्रियों को भी आवश्यकतानुसार और उनकी जिम्मेदारी को समझते हुए गोपनीय ढंग से सी० आई० डी० इत्यादि देते हैं और इन सब काम को गृह सचिवालय देखता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी जिस प्रकार से महात्मा गाँधी ने एक योजना बनायी थी कि उन के साथ कोई भी रक्षा वाला व्यक्ति न रहे उसी प्रकार यह राज्य मंत्री, मुख्य मंत्री और उप मंत्री आदि भी जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते क्या वे इस योजना पर विचार करेंगे कि कोई पुलिस अथवा सी० आई० डी० का कर्मचारी वे अपने घरों पर न रखें ताकि बेकार खर्च न हो और इस समय जो इमरजेंसी उपस्थित है उस काम में उनको लगाया जा सके ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री रामायणराय—निजी व्यक्तियों को भी आवश्यकता पड़ने पर खुफिया पुलिस के रक्षक दिये जाते हैं यह मुख्य मंत्री जी ने बतलाया। तो निजी व्यक्तियों को इस व्यवस्था में जो खर्च होता है वह देना पड़ता है, या सरकार उसको वहन करती है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न था कि माननीय मुख्य मंत्री, राज्य मंत्री, उप-मंत्री तथा सभा सचिवों को केवल पुलिस क्यों दी जाती है. उसका उन्होंने उत्तर दिया। तर्क रूप में यह भी कह दिया गया कि मंत्रियों की कौन कहे, हम व्यक्ति गत रूप से भी दे देते हैं। इसलिये वह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की जिम्मेदारी संभालने के वक्त उन्होंने जो घोषणा की थी, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि हम रक्षकों पर भी कम व्यय करेंगे और मंत्रिमंडल के सदस्यों पर भी कम व्यय करेंगे। तो क्या जिस तादाद में रक्षकों को आजकल रखा गया है वह क्या उनकी घोषित नीति से अधिक है ? यदि हां, तो क्या इसलिये स्पष्टरूप से नहीं बतलाया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्रीमन्, यह उनकी सूचनार्थ बता दूं कि उस घोषणा के अन्तर्गत हम काम करते हैं और हमने उसके खर्चे में भी कमी की है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि माननीय मंत्रियों के बंगले पर रात भर पहरा देने के लिये टोलियों के रूप में १५–२० कान्सटेबुल लगाये गये हैं।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—श्रीमन्, क्या मंत्रियों के बंगले में रात में जाने में हमारे मित्र को कोई दिक्कत हुई ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो मंत्री या उप-मंत्री, उनको यह सूचना दें कि उनकी जान पर खतरा है तो उन्हीं की रक्षा के लिये पुलिस रखी जाय और बाकी के यहाँ नहीं ? क्या वे ऐसी कोई योजना पर विचार करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्रीमन्, जबरिया तो किसी के यहाँ रखे नहीं गए हैं। मंत्री जी या मंत्राणी यदि नहीं चाहें तो पुलिस नहीं जायगी।

जमौरा ग्राम से श्री रामस्वरूप का शिकायती-पत्र

*४—**श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)**—क्या सरकार बतायेगी कि श्री राम स्वरूप पुत्र शिवशंकर लाल, ग्राम जमौरा, थाना सिकन्दरा, जिला कानपुर का एक शिकायती-पत्र मुख्य मंत्री को २५ अप्रैल, १९६२ को लिखा हुआ मिला है ? यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नवलकिशोर—जी हाँ, उक्त शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें अंकित मुख्य आरोप निम्नलिखित हैं:—

(१) कुछ व्यक्ति प्रार्थी को रंजिश के कारण नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं।

(२) दिनांक २१ अप्रैल, १९६२ को कुछ व्यक्ति काँता, बल्लम आदि से सुसज्जित प्रार्थी के खलिहान पर आये और गल्ला बैलगाड़ियों में भर कर उठा ले गये।

(३) पुलिस ने उपरोक्त कथित घटना की रिपोर्ट थाने पर नहीं लिखी और धारा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत चालान करके प्रार्थी के लड़के व अन्य कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

उपर्युक्त आरोपों के विषय में जाँच की गई जिसके फलस्वरूप फसल लूटे जाने तथा पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न किये जाने आदि के आरोप सही नहीं पाये गये।

श्री विजयपालसिंह—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि उस विषय में जो जाँच की गई वह किसके द्वारा कराई गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मान्यवर, इसकी जाँच इन्सपेक्टर द्वारा की गई।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब इस थाने की पुलिस के खिलाफ उस दरख्वास्त में आरोप था तो उसी थाने के इन्सपेक्टर द्वारा क्यों जाँच कराई गई, दूसरे से क्यों नहीं कराई गई ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, वह इसलिये कि इन्सपेक्टर सेपरेट व्यक्ति होता है।

मिर्जापुर बिजली कम्पनी

*५—श्री ऊदल—क्या सरकार ने मिर्जापुर बिजली कम्पनी को अपनी बिजली देते हुये उपभोक्ताओं के लिये देने पर ६ परसेंट मुनाफे से ज्यादा नहीं लेगी, बता दिया था ? यदि हाँ, तो कम्पनी को उस पर अमल न करने पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को थोक में बिजली देते समय यह बताना आवश्यक नहीं था क्योंकि बिजली (रसद) ऐक्ट, १९४८ के छठें शिड्यूल के अनुसार प्राइवेट बिजली कम्पनियों के मुनाफे की सीमा पहले से ही निर्धारित है।

पिछले तीन वर्षों में इस कम्पनी का मुनाफा निर्धारित सीमा से कम रहा है अतः इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

डफरिन अस्पताल, इलाहाबाद

*६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बच्चा पैदा कराने के अस्पतालों की संख्या जिलेवार कितनी है ?

*७—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के डफरिन अस्पताल (Duffrin Hospital) में कितने मरीजों के रहने, कितनी संख्या बेड की है तथा १९६१-६२ में कितने आउट डोर (out-door) मरीजों को दवा दी गई ?

*८—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इलाहाबाद के डफरिन अस्पताल Duffrin Hospital में कितनी संख्या डाक्टरों, नर्स, सफाई करने वालों की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्र की जा रही है।

नेत्रदान

*९—श्री ऊदल—क्या सरकार प्रदेश में अन्धों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये मृतक लाशों की पुतली तथा बहुत से ऐसे लोगों की पुतली जिन्हें मर्ज की वजह से पुतलियों को निकलवाना पड़ता है उनको इकट्ठा कर दूसरों को आंख प्रदान करने हेतु पुतली परिवर्तन विधेयक लाने के प्रश्न पर विचार करेगी ? क्या सरकार को पता है कि इस तरह का कानून बम्बई तथा देश के और कई प्रदेशों में बन चुका है ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। सरकार की सूचना के अनुसार बम्बई, मद्रास तथा बिहार राज्यों में इस तरह के कानून बन चुके हैं।

श्री ऊदल—इस विचाराधीन प्रश्न का आखिरी निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह—डायरेक्टर से कमेंट्स इत्यादि माँगे गये हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री रामायणराय—क्या आई रिप्लेसमेंट के सिलसिले में हमारी राज्य सरकार ने कुछ डाक्टरों को छात्रवृत्ति देकर बाहर भेजा है ?

श्री धर्मसिंह—मान्यवर, मेरी तो कोई सूचना है नहीं।

श्री ऊदल—बम्बई, मद्रास और बिहार में जहाँ इस तरह का कानून बन गया है तो सरकार जल्द से जल्द उन कानूनों की प्रतिक्रिया माँग कर अपने यहाँ भी बहुत जल्दी इस कार्य को प्रारम्भ करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह विचाराधीन है और उस दिशा में कार्य करने के सिलसिले में हम कदम उठायेंगे ।

*१०—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—[१७ वें गुरुवार के लिए प्रश्न ८० के अन्तर्गत निर्धारित किया गया ।]

गाजियाबाद के लिए बिजली कनेक्शन

*११—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद में कुटीर उद्योग के लिये कितने व्यक्तियों ने १९६० से १९६२ मार्च तक बिजली का कनेक्शन माँगा है और कितनों को किस किस व्यवसाय के लिये दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इस सूचना के एकत्र करने में पर्याप्त श्रम और समय लगेगा जो अपेक्षित लाभ के अनुकूल नहीं होगा ।

पहासू थाने के विरुद्ध कथित शिकायत

*१२—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मंत्री को थाना पहासू की पुलिस के विषय में शिकायती-पत्र अप्रैल व मई, १९६२ में मिला है जिसमें लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कत्ल व डकैती बढ़ रही हैं जिसे पुलिस रोक नहीं पा रही है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नवलकिशोर—ऐसे किसी शिकायती-पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया जाता । दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हिम्मतसिंह—अगर अप्रैल और मई में प्राप्त न हुआ हो, तो क्या यह उसके आस-पास प्राप्त हुआ है ?

श्री नवलकिशोर—अप्रैल और मई में एस० पी०, बुलन्दशहर को दो शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे, मगर जो माननीय सदस्य कहते हैं उस प्रकार का तो कोई उस समय में आया नहीं था ।

जिलेवार डकैतियां व कत्ल

*१३—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैरपुरी) तथा श्री नरोत्तमसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के फी जिले में सन् १९६१ ई० में कितनी-कितनी डकैतियां पड़ी हैं ?

*१४—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के फी जिले में कितने-कितने कत्ल सन् १९६१ ई० में हुये हैं ?

श्री नवलकिशोर—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७४७–७४८ पर ।)

श्री गणेशचन्द्र काछी—जिन जिलों में ५० से अधिक डकैतियां एक साल में पड़ गयी हैं उन जिलों में सरकार कोई खास प्रबन्ध करने पर विचार करेगी ?

श्री नवलकिशोर—कोई नियम या मापदंड तो है नहीं कि ५० से ज्यादा डकैतियां हो जायं तो कोई खास बात मानी जाय, मगर जो खासतौर से इलाके हैं इटावा, एटा, आगरा—वहां ऐंटी–डैकायटी आपरेशंस चल ही रहे हैं ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व गृह मंत्री माननीय चरणसिंह के जिले में सबसे अधिक डकैतियां पड़ीं और कत्ल भी मेरठ और मुरादाबाद ही में अधिक हुये, इसके कोई खास कारण हैं ?

श्री नवलकिशोर—यह जो अपराध बढ़ रहे हैं, बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। कई बार बताया गया कि कुछ तो सही रिपोर्टें लिखी जाती हैं और कुछ क्रिमिनल टेंडेंसीज लोगों की बढ़ती जा रही हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—सबसे अधिक डकैती वाला जिला कौन है उत्तर प्रदेश में ?

श्री अध्यक्ष—मेरठ में सबसे ज्यादा हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह बताना जरा गड़बड़ है, कोई माननीय सदस्य बुरा मान जायं, इसलिये नहीं बताते।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी पूरे प्रदेश में इस वर्ष में कितनी डकैतियां और कत्ल हुये हैं उनका टोटल बताने की कृपा करेंगे ?

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, आप आज्ञा दें तो जोड़ कर बता दूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—जैसा कि अभी बताया गया कि क्रिमिनल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उसकी रोक थाम के लिये सरकार कोई योजना पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसके लिये तो विभिन्न दिशाओं में कार्य हो रहा है, कहीं शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने की चेष्टा की जा रही है, कहीं लोगों का स्तर और आमदनी बढ़ाने की तरफ विचार किया जा रहा है, कहीं अन्य सामाजिक कुरीतियों से लड़ने की चेष्टा की जा रही है। कोई एक दवा तो इन चीजों से लड़ने की है नहीं। मुख्तलिफ दिशाओं में कार्य करके एक नया वातावरण समाज में लाने की चेष्टा की जा रही है और उसी से कदाचित इन कुप्रवृत्तियों को समाज में रोका जा सकता है।

पंचायत निरीक्षकों के कार्यालयों के लिपिक

*१५—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में पंचायत विभाग के अन्तर्गत पंचायत निरीक्षकों के कार्यालयों में लिपिकों की संख्या कितनी है और उनमें कितने लिपिक स्थायी तथा कितने अस्थायी हैं ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—इस प्रश्न का उत्तर १३ वें गुरुवार, दिनांक २७ सितम्बर, १९६२ को प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत दिया जा चुका है।

*१६—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने पंचायत निरीक्षक कार्यालय के लिपिकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में नियोजन विभाग को ऐसे आदेश दिये हैं कि उक्त लिपिकों को नियोजन विभाग में होने वाले उच्च वेतनक्रम के पदों पर ले लिया जाय ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पदोन्नति के विषय पर विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने समस्त जिला नियोजन अधिकारियों को आदेश दे दिये हैं कि खंडों तथा जिला नियोजन कार्यालयों में ८०–१३० रुपये के वेतन क्रम में रिक्त होने वाले पदों पर पदोन्नति देने के लिये पंचायत निरीक्षक के कार्यालयों के लिपिकों के मामलों पर भी विचार किया जाय।

सचिवालय के अस्थायी टाइपिस्ट्स

*१७—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में उन टाइपिस्टों की संख्या कितनी है जो कि १ वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—२७१ ।

*१८—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कर्मचारियों को स्थायी करने के बारे में सरकार कोई योजना बना रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी नहीं ।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद—क्या इस बात को देखते हुये कि इन टाइपिस्टों की सचिवालयों में हमेशा आवश्यकता है, इन पदों को स्थायी करने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—बात यह है कि लोअर डिवीजन के पदों पर जो सहायक काम करते थे उनका एक पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इम्तहान हुआ । उनमें यह लोग पास नहीं हुये । उनको हटा देना चाहिये था और यह पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड थी । लेकिन सरकार ने यह देख कर कि यह लोग बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं यह उचित समझा कि इनके लिये एक दूसरा टाइपिस्टों का कैडर बना दिया जो लोअर डिवीजन के स्केल से नीचा था । उस पर यह लोग जो पास नहीं हुये रख दिये गये । अब अगर यह लोग आगे इम्तहान में पास हो जायेंगे तो एब्जार्ब हो जायेंगे नहीं तो यह कैडर समाप्त हो जायेगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—अभी कुछ दिन पूर्व इस विधान सभा में यह बात कही गयी थी कि प्रदेश में टाइपिस्टों तथा स्टेनो टाइपिस्टों की कमी है, तो क्या सरकार इनकी कमी को महसूस करते हुये उनको स्थायी करने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कह दिया है कि जब तक पब्लिक सर्विस कमीशन एप्रूव नहीं करेगा, स्थायी नहीं किये जा सकते ।

हाइडिल विभाग के कर्मचारियों की मांगें

*१९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें कोई पत्र तथा पर्चे प्रधान मंत्री, हाइड्रोइलेक्ट्रिक इम्प्लाइज यूनियन, उत्तर प्रदेश से जून सन् १९६२ के दूसरे सप्ताह में प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उनका विषय क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी हां । ये हाइडिल विभाग के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के विषय में हैं, जैसे वर्कचार्ज कर्मचारियों की रेगुलर नियुक्ति, कर्मचारियों को ओवर-टाइम देना, अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण इत्यादि इत्यादि ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि इन मांगों के सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—चीफ इंजीनियर हाइडेल ने सुप्रिन्टेंडिंग इंजीनियर से रिपोर्ट मांगी है और उसके आने पर विचार किया जायगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि यूनियन के कर्मचारियों ने उन मांगों के लिये अनशन का भी सहारा लिया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया, यह बतायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इसके लिये नोटिस चाहिये, सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि यह रिपोर्ट कब मांगी गयी थी और कब तक उसके आने की आशा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जुलाई १२ को यहां डिपार्टमेन्ट में आया था। उसके बाद चीफ इंजीनियर के पास भेजा गया। उन्होंने एस०ई०के पास कब भेजा, यह सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन जब आजावेगी, उसके बाद विचार करेंगे।

एक बात और बता देना चाहता हूं कि बिजली विभाग अब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधीन है, सीधे सरकार के नहीं है।

रेडियो की भाषा

*२०—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आल इंडिया रेडियो,लखनऊ स्टेशन पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को लेकर हिन्दी के प्रख्यात लेखक श्री भगवती चरण वर्मा, श्री यशपाल तथा श्री अमृतलाल नागर ने भाग न लेने के सम्बन्ध में कोई पत्र उत्तर प्रदेश की सरकार को लिखा है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रेडियो के सारे प्रदेश के मुख्य कर्मचारियों ने सरकार के सामने कोई मांग रखी थी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह विषय भारत सरकार का है। फिर भी, हमने पता लगाया और हमारे पास कोई मांग नहीं आई है। भगवती चरण वर्मा जी से भी पूछा और उन्होंने बतलाया कि उन्होंने हमारे यहां कोई मांग नहीं रखी है।

श्रम न्यायालय के प्रिसाइडिंग अफसर

*२१—**श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने श्रम अदालतों व ट्रिब्यूनलों के अध्यक्षों की सूची बनाने वाली कमेटी का ध्यान औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ४ (ई) की ओर आकर्षित किया है जिसके अनुसार इन प्रिसाइडिंग अफसरों अथवा अध्यक्षों का श्रम व उद्योग के मामलों का व्यावहारिक अनुभव व ज्ञान होना आवश्यक है?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट की धारा ४ङ के अधीन बनाई गई समिति उक्त धारा तथा अन्य सम्बन्धित धाराओं के उपबन्धों को ध्यान में रख कर ही औद्योगिक न्यायाधिकरणों तथा श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति के लिये उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करती है।

*२२—**श्री सन्तसिंह यूसुफ**—सन् १९५७ से अब तक कुल कितने प्रिसाइडिंग अफसरों की नियुक्ति हुई है और उनमें से कितनों को इस प्रकार का अनुभव था और क्या? इस सम्बन्ध में पूरा विवरण दिया जायेगा?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सन् १९५७ से अब तक नियुक्त किये गये प्रिसाइडिंग अफसरों के नाम और उनकी पिछली सेवाओं का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७४९ पर)

श्री सन्तसिंह यूसुफ—माननीय मंत्री जी को एक बात मैं समझा दूं। लेबर कोर्ट में ८० फीसदी से ज्यादा मामलों में मजदूरों के विरुद्ध फैसले होते हैं। इसका मुख्य कारण सरकार खुद महसूस कर सकती है। क्या सरकार हिदायत देगी कि इस बात को प्रिसाइडिंग अफसरों के चुनाव के समय दिमाग में रखा जाय कि वे लोग ही चुने जावें जिनका सोशल आउटलुक हो और लेबर के बारे में जानकारी हो?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसमें कई विवाद छिड़ गये हैं। प्रश्न तो साफ सामझ में आया नहीं। इसकी एक कमेटी है जो सेलेक्शन करती है, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर होता है, ला और लेबर डिपार्टमेन्ट के अधिकारी होते हैं और चीफ सेक्रेटरी होते हैं। वह आटोनामस है। गवर्नमेन्ट उनको डाइरेक्ट नहीं करती है कि फलां आदमी हमारी नजर में सोशल आउटलुक का है या नहीं है। मजदूरों के फैसले कैसे हुआ करें, इसके लिये सरकार कोई आज्ञा नहीं दे सकती।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—माननीय मंत्री जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि लिस्ट में, १ या २ नीचे के छोड़कर, कोई भी ऐसा नहीं है जिन प्रिसाइडिंग अफसर का सोशल . . . . .

श्री अध्यक्ष—सरकार का कहना है कि ट्रिब्यूनल के सदस्य किसी विशेष कमेटी द्वारा नियुक्त होते हैं . . . . .

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—वह स्टेट्यूटरी बाडी है।

श्री अध्यक्ष—जो स्टेट्यूटरी बाडी है, गवर्नमेन्ट का उनकी नियुक्ति में हाथ नहीं होता है। आपका प्रश्न है कि गवर्नमेन्ट सोचे। तो कमेटी ही सोच सकती है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—१९४७ के अधिनियम की धारा ४ (ई) में क्लियर-कट है कि इन जजों के एम्प्लायमेंट के समय इस बात का ख्याल रखा जायगा कि इनका सोशल आउटलुक हो और लेबर के बारे में उन्हें कुछ एक्सपीरियन्स हो। तो बिना तजुर्बे के लोग रखने से मजदूरों के विरुद्ध फैसले होते हैं। इसके लिये क्या सरकार सोचेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मुझे अफसोस है कि इस तरह का लांछन माननीय सदस्य लगा रहे हैं। गवर्नमेन्ट बिलकुल सन्तुष्ट है कि सोशल आउटलुक की जो परिभाषा हो सकती है उसके मापदण्ड में कमेटी ने उन्हें चुना है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—सोशल आउटलुक का जो सम्बन्ध है, उसे देखते हुये एक विशेष फेडरेशन के जिसका नाम आई०एन०टी०यू०सी० है आर्गेनाइजर्स की नियुक्ति हुई है, क्या इसकी भी व्यवस्था की गई है जिससे पक्षपात हो रहा है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—हम तो वाकयात की बात कर रहे हैं। दूसरी दुनिया की बात तो हम कर नहीं रहे हैं। आई० एन० टी० यू० सी० का आर्गेनाइजर अगर एक भी प्रिसाइडिंग अफसर बतला देंगे तो मैं आश्वासन दिलाता हूं कि इस स्थान को छोड़ दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—१९४७ के ऐक्ट की धारा ४ (ई) में साफ कहा गया है कि उद्योग और श्रम का अनुभव रखने वाले लोग रखे जावेंगे। इस सूची के देखने से पता चलता है कि ऐसे लोगों की संख्या ४० फीसदी से ज्यादा नहीं है। तो क्या सरकार भविष्य के लिये नियमों में ऐसा परिवर्तन करेगी या कमेटी को सलाह देगी कि ४० फीसदी को बढ़ाने के लिये नियमों का पालन चुनाव में किया जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उत्तर प्रदेश के लिये सौभाग्य की बात यह है कि हमारे श्रम अधिकारियों में बहुत से लोग इस पद के योग्य उस कमेटी ने समझे जिसने उन्हें चुना। जिन्हें कमेटी उपयुक्त समझती है चुनती है। सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

काशनी थाने में रामसिंह हरिजन की मृत्य की जांच

*२३—श्री भीखालाल—क्या सरकार थाना काशनी, जिला मैनपुरी की पुलिस की हिरासत में राम सिंह हरिजन की मृत्यु के सम्बन्ध में न्यायिक जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री नवलकिशोर—इस सम्बन्ध में एस०डी०एम०, जसराना ने मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी की थी। उनकी रिपोर्ट अभी हाल में शासन को प्राप्त हुई है और उसकी परीक्षा की जा रही है। अतः उसे सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है।

श्री भीखालाल—उस मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी में उस हवालाती की मृत्यु का कारण क्या बताया गया है, मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—मेज पर जब रिपोर्ट रखेंगे तो बतला देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—राम सिंह हरिजन की मृत्यु पुलिस की हिरासत में कब हुई और सरकार के पास मैजिस्टीरियल रिपोर्ट कब आई है ?

श्री नवलकिशोर—उसकी मृत्यु तो ९-६-६२ को हुई और रिपोर्ट की तारीख इस वक्त बतलाना मेरे लिये कठिन होगा।

उन्नाव जिले में पुलिस चौकियां व थाने बढ़ाने की मांग

*२४—श्री भीखालाल—क्या सरकार उन्नाव जिले में जघन्य अपराधों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये कुछ नये थानों व चौकियों की स्थापना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कहाँ-कहाँ और नहीं तो क्यों ?

श्री नवलकिशोर—जी नहीं। प्रदेश में थानों व चौकियों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने पुलिस महानिरीक्षिक से अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये कहा है। प्रस्ताव आने पर सरकार विचार करेगी।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्नाव म अपराधों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुई और इस बात को भी देखते हुये कि वहां के डी०एम० के यहां भी चोरी हुई, एक थानेदार के यहां भी डकैती पड़ी, दो स्टेशन भी लूट लिये गये, इसके अलावा जनता में जो डकैती और कत्ल हुये उनकी संख्या तो बहुत ही ज्यादा है—इन अपराधों में कत्लों की संख्या तो एक एक केस में ५ तक पहुंच गयी है—तो क्या इन बातों को देखते हुये मंत्री जी कोई विशेष कदम इन अपराधों को घटाने के लिये उठा रहे हैं ?

श्री नवलकिशोर—जितनी बातें माननीय सदस्य ने कहीं उन के बारे में तो 'हां' अथवा 'ना' कहना इस समय मेरे लिये संभव नहीं होगा, लेकिन यह बात सही है कि अपराधों की संख्या बढ़ी है। इसके लिये थानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, उसके लिये आई०जी० को लिख दिया गया है। वे जब अपने प्रोपोजल्स गवर्नमेन्ट को सबमिट करेंगे तब गवर्नमेन्ट उन पर विचार करेगी।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी, इस बात को देखते हुये कि १ जनवरी, १९६२ से १५ अगस्त, १९६२ तक उन्नाव जिले में ५५ कत्ल हो गये हैं, तो इसमें जिस इलाके में ज्यादा कत्ल हुये हैं उस इलाके में माननीय मंत्री जी थाने और चौकियां पुलिस की बढ़ाने की कोशिश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार स्वयं उनको बढ़ाना चाहती है लेकिन अभी उसको यह ठीक मालूम नहीं है कि कहां कहां ज्यादा डकैती पड़ रही है और उनकी किस प्रकार से व्यवस्था की जाय। इस बारे में आई०जी० से पूछा गया है। आई०जी० की रिपोर्ट आने पर सरकार कोई ऐक्शन लेगी।

सिविल सर्जन, बरेली तथा सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, सिकन्दराराव के विरुद्ध कार्यवाही

*२५—श्री भीखालाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बीमा जालसाजी के मुकदमें में सरकार बनाम बेगम शेरवानी इत्यादि का निर्णय देते हुये न्यायालय ने कुछ राजकीय अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो वह किन अधिकारियों के विरुद्ध हैं और क्या आरोप है और सरकार ने उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री नवलकिशोर—जी हां, तत्कालीन सिविल सर्जन, बरेली के विरुद्ध झूठे चिकित्सकीय शुश्रुषा प्रमाण-पत्र (Medical Attendance Certificate) देकर अपने उत्तर-दायित्वपूर्ण पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। और सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सिकन्दराराव के विरुद्ध परस्पर विरोधी बयान देने तथा सत्य को छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था।

जज की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने उपरोक्त सिविल सर्जन, बरेली का दक्षता रोक-रोक दिया था तथा उनके निवृत्तिवेतन (Pension) को घटाने का प्रश्न विचाराधीन था पर सिविल सर्जन की एक मोटर दुर्घटना के अन्तर्गत १४-१-६२ को मृत्यु हो गई।

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सिकन्दराराव के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट ने परस्पर विरोधी बयान दिये, उसके विरुद्ध आई०पी०सी० के तहत क्रिमिनल आफेन्स कायम करके मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया और उसके बजाय केवल विभागीय कार्यवाही ही क्यों की गयी ?

श्री नवलकिशोर—सरकार ने यह समझा कि डिपार्टमेन्टली हम उसको ज्यादा सजा दे पायेंगे।

पुलिस संघटन

*२६—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर पुलिस संगठन में अब तक कितने परिवर्तन किये जा चुके हैं तथा कितने और कौन-कौन प्रस्तावित हैं ?

श्री नवलकिशोर—प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर में सूचना संलग्न सूची में दी हुई है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, मामला अभी विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७५० पर)

*२७—श्री संतसिंह यूसुफ—[हटा दिया गया।]

इण्डस्ट्रियल स्टेट, कानपुर द्वारा कारखानों का एलाटमेंट

*२८—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इंडस्ट्रियल स्टेट, कानपुर में कारखाने एलाट करते समय उत्पादन आरम्भ करने के लिये कितनी अवधि निश्चित की गई थी ? कितने ऐसे कारखाने हैं जो अवधि बीत जाने पर भी उत्पादन आरम्भ नहीं कर सके हैं ? क्या सरकार यह विचार कर रही है कि इन जगहों को दूसरे कारखानों के लिये एलाट किया जाय ?

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)—सन् १९६१ की अंतिम तिमाही के पूर्व इंडस्ट्रियल स्टेट, कानपुर में कारखानों को एलाट करते समय उत्पादन प्रारम्भ करने के लिये कोई अवधि निश्चित नहीं की जाती थी, परन्तु १९६१ के अंतिम तिमाही से यह अनिवार्य कर दिया गया कि कारखानों पर अधिकार पाने के २ माह अथवा पावर मिलने के ३ हफ्ते के अन्दर ही उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय। ऐसा केवल एक कारखाना है जो निर्धारित अवधि के अन्दर चालू नहीं हो सका और सरकार इसको दूसरे कारखाने के लिये एलाट करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारी ऐसी रिपोर्ट है कि कानपुर में बहुत से ऐसे कारखाने हैं जिनकी खाली चहार-दीवारी खिंची हुई है, एक्चुअल प्रोडक्शन वहां शुरू नहीं हुआ है, तो क्या मंत्री जी उसकी फिर से जांच करायेंगे ?

श्री फूलसिंह—ऐसी शिकायतें सरकार के पास आयी थीं लेकिन जांच करने के बाद अभी तक हम किसी को पकड़ नहीं सके। आगे भी हम जांच करने की बात सोच रहे थे लेकिन इधर कुछ ऐसे हालात पैदा हो गये कि हमारा ध्यान बड़े कामों की तरफ चला गया।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—बोर्ड लगा हुआ है, कारखाने के लिये जो सामान दिया जाता है वह ब्लैक मार्केट में बिक रहा है, कारखाने के लिये सरकार से लोन लिया गया है लेकिन केवल चहारदीवारी खड़ी है, तो मेरी प्रार्थना है कि क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करने की कृपा करेंगे?

(उत्तर देने के लिये मंत्री, को नहीं पुकारा गया।)

राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन की प्रतिमा

*२९—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार निकट भविष्य में राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन की प्रतिमा विधान भवन के सम्मुख स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है? यदि हां, तो प्रतिमा कब तक स्थापित कर दी जायगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१६ अक्तूबर, १९६२ को प्रश्न १४३ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर तो दे दिया गया है कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रतिमा विधान भवन के सम्मुख लगा दी जायगी लेकिन प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर मुझे नहीं मिला है कि वह प्रतिमा कब तक लग जायगी।

श्री अध्यक्ष—इसमें लिखा कि १६-१०-६२ को प्रश्न संख्या १४३ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—पहले भाग का उत्तर तो मिल चुका है, लेकिन दूसरे भाग का उत्तर अभी तक नहीं मिला है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार कई आर्टिस्टों से प्रतिमा बनाने के सिलसिले में बातचीत कर रही है और जो प्रतिमा वे बना कर भेजेंगे उनमें, जो सबसे अच्छी होगी उसे, पसंद करके तब सरकार यहां लगवा देगी।

सीमावर्ती जिलों से सम्बन्धित कथित गायब कागजात

*३०—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री सदन को इस बात से अवगत कराने की कृपा करेंगे कि सीमावर्ती जिलों के कुछ ऐसे कागजात, जो सी०आई०डी० के सांकेतिक भाषा में तैयार किये गये थे तथा जिन्हें जिलाधीशों ने मुख्य सचिव की सेवा में प्रेषित किया था, गायब हो गये और क्या यह सही है कि उनकी जांच अनुसंधान विभाग द्वारा कराई गई थी? यदि हां, तो कौन से तथ्य प्रकाश में आये हैं?

श्री नवलकिशोर—इस प्रकार के कागजात गायब होने की सूचना सरकार को नहीं है। अतएव प्रश्न के अन्य भाग नहीं उठते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तरह की रिपोर्ट बार्डर के जिलाधीशों द्वारा सरकार को भेजी गयी थी जिसमें कुछ विशेष बातों का जिक्र सरकार को किया गया था लेकिन वह फाइल आज तक नहीं मिल पायी है जिसके बारे में गोरखपुर, बस्ती और बहराइच के जिलाधीशों ने सरकार से शिकायत की थी, तो क्या सरकार के पास इसके बारे में कोई सूचना है?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, इस बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है।

*३१—श्री चन्द्रजीत यादव—[हटा दिया गया।]

राज्य नियोजन बोर्ड

*३२—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे राज्य में जिस नियोजन आयोग (Planning Commission) की स्थापना की घोषणा उन्होंने सदन में की थी, अब तक क्यों नहीं बना ? क्या उसके सदस्यों के नामों को घोषणा करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—राज्य सरकार ने एक राज्य नियोजन बोर्ड बनाने का निर्णय कर लिया है। उसके सदस्यों के नाम आदि का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कई महीने पहले इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि एक प्लानिंग बोर्ड हमारे स्टेट में बनने वाला है और उसकी एक रूपरेखा भी उस वक्त उन्होंने दी थी, तो क्या कारण है कि अभी तक वह बोर्ड नहीं बन सका और कब तक उसके बनने की आशा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उस पर कोई कतई निर्णय इस वजह से नहीं लिया है कि हम इस देख-रेख में लगे हैं कि आने वाले वर्षों में कितनी मात्रा में हमारे पास साधन होंगे और उन साधनों का वितरण भी उन साधनों के अनुपात में प्लानिंग बोर्ड आदि के जरिये करायेंगे। इसलिये अभी तक हम उस तरफ कोई कदम नहीं उठा सके हैं। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो आगे कदम उठायेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उस योजना कमीशन को बनाते समय इस बात पर विचार करेंगे कि जो कमीशन बने उसमें हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्टस रखे जायं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में अपना कोई निश्चित मत बतलाने की कृपा करेंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्लानिंग कमीशन जैसा कि केंद्र में बना है उसी तरीके का प्रदेशों में भी बनाने का सुझाव केंद्रीय प्लानिंग कमीशन से हमारे पास आया है और उसी के अनुसार हम कार्य करना चाहते थे।

यह नहीं है कि प्लानिंग कमीशन में सारे एक्सपर्ट्स ही हैं, यद्यपि हमें उनकी सहायता और सहयोग बराबर मिलता है, एक्सपर्ट्स प्लानिंग कमीशन के विचारों के अन्तर्गत काम करते हैं और उन्हें अपनी सूझबूझ से प्रभावित करते हैं, वे अपने अनुभव से और योग्यता से योजनायें बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। वही नीति जब प्लानिंग कमीशन यहां बनेगा, हम भी अपनायेंगे और उसके अन्तर्गत काम करेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मुख्य मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि प्लानिंग कमीशन यहां का जो गठित होगा वह केवल एक दल का ही न होगा बल्कि समस्त पार्टियां जोकि प्लान में विश्वास रखती हैं उनके प्रतिनिधियों को भी उसमें रखने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह तो पार्टी के ऊपर की चीज है। उसमें पार्टियों का सवाल नहीं उठता। केन्द्र में वहां अधिकारी भी रखे जाते हैं, उसमें आई०सी०एस० और आई०ए०एस० आफिसर्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लोग भी रखे जाते हैं, वहां कोई पार्टी का सवाल नहीं उठता। यह ठीक है कि कुछ व्यक्ति जो पार्टी से संबंधित थे वे कमीशन के सदस्य रखे गये हैं और वह इस लिये कि उस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व वह दल करता है जिस के हाथ में शासन की बागडोर है।

श्री रामायणराय—नई वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुये क्या इस आयोग को बनाने या न बनाने के प्रश्न पर भी माननीय मंत्री जी विचार कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह तो सारा प्रश्न हमारे सामने है, वह दृष्टिकोण हमारी नजर के सामने बराबर है और रहेगा।

*३३—३४—**श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह** (जिला गोंडा) तथा **श्री भानुप्रतापसिंह** (जिला बस्ती)——[हटा दिये गये।]

डाक्टरों की पदोन्नति

*३५—**श्री कल्पनाथ सिंह**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१ ई० से अब तक मेडिकल तथा हेल्थ विभाग के डाक्टरों की पद्दोन्नति के लिये कितने स्थान रिक्त हुये तथा कितनों की पद्दोन्नति विभाग द्वारा की गई तथा कितनी पन्नोन्नति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हुई ?

*३६—क्या मुख्य मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पद्दोन्नति विभाग द्वारा की गई उसमें कितनी कमीशन द्वारा कंफर्म कराली गई हैं ?

श्री धर्मसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री कल्पनार्थसिंह—इस बात को देखते हुये कि यह प्रश्न ज्यादा अहम है और इस की सूचना एकत्र करने में मंत्री जी को ज्यादा दिक्कत भी नहीं उठानी है और ज्यादा समय भी विभाग ले चुका है, तो क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि इसी सत्र में यह सूचना मिल सकेगी ?

श्री धर्मसिंह—सूचना इकट्ठा की जा रही है और यह प्रश्न ११ साल से संबंधित है, बहुत से आंकड़ों की आवश्यकता है, इसलिये देर लगी है। अब इस सत्र में दे सकेंगे या नहीं, इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री रामायणराय—जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि ११ साल से यह प्रश्न विचाराधीन है .....

श्री धर्मसिंह—यह नहीं मतलब था, मतलब था कि ११ साल की सूचना इस में मांगी है।

श्री रामायणराय—मैं यह जानना चाहता हूं, मुझे सूचना है परिणाम उसका यह होगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब स्वास्थ्य मंत्री जी थे तो उस समय ऐसा नियम बना था कि विभाग के डाक्टरों को पी०एम० एस० २ से १ में किया जायगा। लेकिन उन डाक्टरों का कमीशन से कनफरमेशन नहीं हुआ। इस का नतीजा यह हुआ है कि विभागीय पद्दोन्नति में बहुत से लोग बाद में कमीशन वालों से सीनियर हो जाते हैं। तो इस गड़बड़ी को दूर करने के लिये स्वास्थ्य विभाग क्या प्रयास कर रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गड़बड़ी, जिस की चर्चा माननीय सदस्य ने की है उसको, दूर करने के लिये आदेश डायरेक्टर महोदय को भेज दिये गये हैं और सरकार की ओर से यह दुख प्रकट किया गया है कि डायरेक्टरेट ने वह उचित कदम नहीं उठाया जिस से यह दिक्कत हमारे बीच में पैदा हुई, जिस की ओर माननीय सदस्य ने संकेत किया। मैं स्वीकार करता हूं कि डाइरेक्टरेट की ओर से इस काम में भूल हुई। और सेक्रेटेरियट के तहत में भी उस दिशा में कार्य नहीं हुआ, जिस दिशा में कार्य करते हुये हम अपने को उस कमी से बचा सकते थे जिस कमी की ओर अभी माननीय सदस्य ने संकेत किया है।

श्री रामायणराय—जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि डायरेक्टोरेट से भी कुछ भूल हुई इस सिलसिले में, तो मैं जानना चाहता हूं उस भूल के परिणाम स्वरूप जिन अफसरों को नुक्सान हुआ है उसको दूर करने के लिये, उनका घाटा पूरा करने के लिये क्या व्यवस्था की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उसके विषय में ही प्रश्न विचाराधीन है और ऐसी व्यवस्था करने की चेष्टा में हैं कि जो कमियां इस कारण से पैदा हो गई है वे दूर की जा सकें।

लोहारी ग्राम के प्रधान के विरुद्ध जांच

*३७—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुजफ्फरनगर जिलान्तर्गत लोहारी ग्राम पंचायत के भूतपूर्व प्रधान, श्री गेंदा आत्मज सैमा (निवासी ग्राम लोहारी, परगना चरतावल, जिला मुजफ्फरनगर) के विरुद्ध गबन आदि की जांच पंचायतराज विभाग द्वारा की गई थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां।

*३८—श्री रक्षपालसिंह—क्या यह सच है कि आवश्यक जांच के बाद उक्त मामला एस०पी० महोदय को सौंप दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। पुलिस द्वारा जांच कराई गई थी परन्तु भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध न हो सके।

उन्नाव जिले में हत्यायें

*३९—श्री देवदत्त मिश्र—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी १९६२ से १५ अगस्त, १९६२ तक उन्नाव जिले में और खास कर थाना बीहार, बारा, अचलगंज और पुरवा के हलके में कितनी हत्यायें हुई और इनमें कितनी हत्यायें धारदार हथियारों से तथा कितनी अग्नेयास्त्रों से की गयीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न तालिका 'क' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७५१ पर)

*४०—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इनमें कितनी हत्याओं में चार्जशीट लगाई जा सकीं और कितनी दाखिल दफ्तर कर दी गयीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न तालिका 'ख' दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७५१ पर)

बांदा जिले में पाषाणकला प्रशिक्षण केन्द्र

*४१—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिला में राज पत्थर के काटने की कला सिखाने का स्कूल खोला गया था ?

श्री फूलसिंह—सरकार ने सर्वांगपूर्ण (Full fledged) स्कूल नहीं खोला परन्तु एक प्रशिक्षण केंद्र खोला था।

*४२—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—यदि हां, तो उसका स्वरूप और आधार क्या है और उसमें क्या प्रगति हो रही है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री फूलसिंह—केन नदी से शजर पत्थरों को निकालने तथा उन्हें आभूषणों में परिणित करने की योजना को शिक्षण केंद्र का स्वरूप दिया गया। इस केंद्र में १० शिक्षार्थियों को शिक्षा दी जा रही थी किन्तु अब मास्टर क्राफ्ट्समैन की अस्वस्थता के कारण केंद्र बन्द हो गया है।

*४३—**श्री कृष्णा** (जिला देवरिया)—[१७वें गुरुवार के लिये प्रश्न ५४ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

विकास खंडों की जीपों के लिए आदेश

*४४—**श्री होरीलाल यादव** (जिला इटावा), **श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री दौलतलाल** (जिला आजमगढ़) तथा **श्री मदनपालसिंह** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में विकास खंडों को दी गई जीपों को इस्तेमाल करने के संबंध में सरकार द्वारा शीघ्र ही कोई आदेश गया है जिसमें कहा गया है कि एम०एल० एज० तथा एम०एल० सीज० अपने निर्वाचन क्षेत्र में टैक्सों के समर्थन के लिये वातावरण तैयार करने के हेतु दौरा जीपों द्वारा कर सकते हैं और जीप का व्यय ब्लाक बजट से पूरा किया जायेगा? यदि हां, तो सरकार उस आदेश की प्रतिलिपि को मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७५२ पर)

*४५-४६—**श्री बलवानसिंह** (जिला कानपुर)—[हटा दिये गये।]

*४७-४९—**श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)—[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ४७-४९ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*५०—**श्री रक्षपालसिंह**—[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ५० के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*५१-५२—**श्री लखीसिंह** (जिला मथुरा)—[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ५१-५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५३—**श्री श्यामलाल** (जिला बस्ती)—[१७वें गुरुवार के लिये प्रश्न ५३ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

नगीना का आबनूस केन्द्र

*५४—**श्री शराफत हुसैन रिजवी** (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री यह बतायेंगे कि क्या नगीना, जिला बिजनौर में सरकार ने आबनूस की लकड़ी की सनत को तरक्की देने के लिये अगस्त, १९५९ से जो ट्रेनिंग सेन्टर खोला था अब उसको बन्द करने का निर्णय ले लिया है? ट्रेनिंग पाने वालों का दाखिला बन्द कर दिया है? यदि हां, तो इस सेन्टर को बन्द करने का क्या कारण है?

श्री फूलसिंह—जी नहीं।

*५५-५६—**श्री लखपतराम शर्मा** (जिला झांसी)—[हटा दिये गये।]

*५७-५८—**श्री रामकिशोर वर्मा** (जिला फतेहपुर)—[१८वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*५९—**श्री मतोलासिंह** (जिला बांदा)—[१७वें गुरुवार के लिये प्रश्न ५५ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

टीन

*६०—श्री कोतवाल सिंहभदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रान्त भर में टीन की कमी है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री फूलसिंह—जी हां। प्रान्त भर में टीन की कमी है। इसका कारण यह है कि टीन के उत्पादकों ने रजिटर्ड स्टाक होल्डरों के पुराने इन्डेन्टों पर अपेक्षाकृत कम टीन सप्लाई की है और यह भी है कि पिछले छमाही के कोटे में केन्द्रीय सरकार ने जी० पी० व जी० सी० शीट बिल्कुल नहीं दी है।

*६१—श्री कोतवालसिंहभदौरिया—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले के अधिकारियों ने गत ६ माह के अन्दर (१९६२) अपने जिले की आवश्यकता को देखते हुए कितनी टीन की मांग की है और कितना फर्रुखाबाद जिले को पिछले ६ माह के अन्दर टीन का कोटा दिया गया ?

श्री फूलसिंह—पिछले छमाही (अप्रैल, १९६२ से सितम्बर, १९६२ तक) में फर्रुखाबाद जिले के अधिकारियों द्वारा ७४ टन पनाली दार टीन की मांग की गई थी जिसमें से १३ १/२ टन टीन फर्रुखाबाद जिले को दिया गया है।

सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा

*६२—श्री बालोजी अग्रवाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा के इनडोर तथा आउटडोर दोनों प्रकार के अधिकतर मरीजों को अस्पताल से दवाइयां नहीं मिल पाती हैं और उन्हें बाजार से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मरीजों को जो भी सम्भव हो सकता है दवा दी जाती है। मरीजों को जो दवा डाक्टर लिखते हैं और अगर वे अस्पताल में नहीं होती हैं तो वे स्वयं बाजार से लाते हैं। किसी भी जरूरतमन्द मरीज को लाइफ सेविंग्स ड्रग्स मुफ्त देने को मना नहीं किया जाता।

एटा जिले में सूचना मंत्री का दौरा

*६३—श्री गंगाप्रसाद (जिला एटा), श्री बेदराम (जिला एटा) तथा श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में अप्रैल, सन् १९६२ से सितम्बर, १९६२ तक कितने मंत्रीगण दौरे पर गये और उनका कहां कहां प्रोग्राम था और प्रत्येक दौरे पर कितना खर्च आया और जिले के विधायकों को सूचना क्यों नहीं दी गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उल्लिखित अवधि में केवल सूचना मंत्री १ सितम्बर, १९६२ को दौरे पर एटा गये और उनका प्रोग्राम एटा तथा कासगंज और पवन्स में था। उक्त दौरे पर ५४ रू० ५० नये पैसे व्यय हुआ। मंत्रियों के दौरों की सूचना सामान्यतया जिले के अधिकारियों को दी जाती है।

*६४-६५—श्री भानुप्रतापसिंह—[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ५६-५७ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

चुर्क सीमेंट फैक्टरी में हड़ताल

*६६—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि चुर्क की राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी में हड़ताल हो जाने से कोई मशीन, जिसका दाम लगभग एक लाख रुपया है अयोग्य चालक से चलवा देने के कारण, जल गई या खराब हो गई ? यदि हां, तो उक्त कार्य किसकी आज्ञा से हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सर्वथा निराधार है कि कोई मशीन हड़ताल के दिनों में प्रश्न में दिये गए कारणों से जल गई या खराब हुई।

*६७—**कुंवर श्रीपालसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चुर्क की राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी में हड़ताल के कारण अब तक कितने रुपये की हानि हुई तथा हड़ताल के कारण क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्पादन का मापदंड क्लिंकर है और चूंकि क्लिन बराबर चलती रही इस कारण उत्पादन बराबर जारी रहा। हड़ताल के कारण कुछ विभागों का कार्य अवश्य धीमा हो गया परन्तु उसके द्वारा होने वाली हानि का अलग तखमीना लगाया जाना सम्भव नहीं है। चुर्क मजदूर सभा की ओर से २८ अगस्त, १९६२ को एक नोटिस मिला था जिसमें उन्होंने २४ मांगे पेश की थीं। यह मांगे अधिकतर इस प्रकार की थीं जिनको माना जाना सम्भव नहीं था। मांगों में उठाये गए वेजबोर्ड के विषयों पर सरकार पहले ही विचार कर रही थी। यह परिस्थिति चुर्क मजदूर सभा को एक पत्र द्वारा फैक्टरी के संचालक ने पूर्णरूपेण समझा दी थी परन्तु तब भी चुर्क मजदूर सभा अपनी मांगों पर अड़ी रही जिसके फलस्वरूप १५ सितम्बर से उन्होंने हड़ताल कर दी।

*६८-७०—**श्री गयाप्रसाद** (जिला वाराणसी)—[१८वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*७१—**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—[१८ वें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया।]

*७२—**श्री पितईराम** (जिला रायबरेली)—[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ५८ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*७३—**श्री मतोलासिंह**—[१७ वें गुरुवार के लिए प्रश्न ५९ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

वाराणसी जिले में कृषि-विकास

*७४—**श्री रघुनाथसिंह** (जिला वराणसी)—क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के चौलापुर, चिरईगांव और हरहुआ विकास खंडों में खेती की नई पद्धति के लिये कुल कितने ग्राम सहायक प्रशिक्षण पा चुके हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—चोलापुर, चिरईगांव तथा हरहुआ विकास खंडों में क्रमशः ३,१७९; ६,०५५ तथा १,८९० ग्राम सहायक कृषि की नवीन पद्धति का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

*७५—**श्री रघुनाथसिंह**—इन ग्राम सहायकों द्वारा उपरोक्त अलग अलग विकास खंडों के कितने गांवों में कृषि-विकास का कार्य सुनियोजित ढंग पर चल पड़ा है और प्रत्येक विकास खंड का इस दृष्टि से सबसे प्रगतिशील गांव कौन है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इन विकास खंडों में क्रमशः२७९, ३०० तथा २६७ गांवों में, उक्त ग्राम सहायकों द्वारा कृषि-विकास का कार्य सुनियोजित ढंग पर चल रहा है।

इस समय चिरईगांव खंड का सबसे प्रगतिशील गांव, खरीफ के दृष्टिकोण से ऐली, और रबी के दृष्टिकोण से नरायनपुर है। इसी प्रकार चोलापुर खंड के प्रगतिशील गांव क्रमशः सुगुलपुर तथा ताला हैं। हरहुआ खंड में सुलेमापुर गांव दोनों ही दृष्टियों से सर्वोत्तम है।

*७६—**श्री रघुनाथसिंह**—क्या इन विकास खंडों में किसी ने कृषि उत्पादन की प्रतियोगिता भी चलाई ? यदि हां, तो कब और उसका परिणाम क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह प्रतियोगिता कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही है हरहुआ तथा चोलापुर खन्डों में। किसी ने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। चिरईगांव खंड में, भाग लेने वालों का तथा उसका जो परिणाम हुआ उसका, विवरण इस प्रकार है :—

१९६०—६१ रबी

ग्राम चिरईगांव के श्री उदयनाथ सिंह ने जिला स्तर पर गेहूं की फसल के सम्बन्ध में भाग लिया। वे प्रथम आये और उन्होंने ३०० रु० का पुरस्कार प्राप्त किया।

१९६०—६१ खरीफ

ग्राम गोपपुर के श्री सुखनन्दन सिंह ने जिला स्तर पर धान की फसल के सम्बन्ध में भाग लिया। वे प्रथम आये और उन्होंने ३०० रु० का पुरस्कार प्राप्त किया।

१९६१—६२ रबी

ग्राम सन्दहा के श्री रामनयार सिंह तथा ग्राम हृदयपुर के श्री मूलचरन सिंह ने, क्षेत्रीय स्तर पर गेहूं की फसल के सम्बन्ध में भाग लिया किन्तु कोई पारितोषिक प्राप्त न कर सके।

१९६१—६२ खरीफ

ग्राम गोपपुर के श्री सुखनन्दन सिंह ने क्षेत्रीय स्तर पर धान की फसल के सम्बन्ध में भाग लिया किन्तु कोई पारितोषिक प्राप्त न कर सके।

रिहन्द बांध के भूमिहीन विस्थापित

*७७—**श्री रामप्यारे** (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द बांध के कारण विस्थापित जनता में कितनी जनता भूमिहीन है तथा कितनी ऐसी जनता है जिनको ४ बीघा से कम भूमि पुनर्वासित क्षेत्र में मिली है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—लगभग २,७९० परिवार भूमिहीन हैं तथा १,४८७ परिवारों को ४ बीघा से कम भूमि दी गई है।

*७८—**श्री रामप्यारे**—क्या यह सही है कि भूमिहीनों में अधिकतर हरिजन तथा आदिवासी गरीब जनता ही है ? क्या सरकार, सम्पूर्ण विस्थापितों में से कितनी प्रतिशत हरिजन तथा आदिवासी जनता होगी, बताने की कृपा करेगी तथा सरकार ने क्या उसके जीविकोपार्जन की कोई व्यवस्था की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सम्पूर्ण विस्थापितों में से लगभग २५ प्रतिशत हरिजन तथा आदिवासी जनता है जिनको जीविकोपार्जन के लिये राज्य सरकार द्वारा कुटीर उद्योग धंधों की व्यवस्था की गई है।

*७९—**श्री रामप्यारे**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस भूमिहीन विस्थापित जनता को जो भूमि उदवासितों को देने हेतु साफ की गयी थी उसमें से अवशेष भाग में से प्रति परिवार ४ एकड़ देने की तत्काल व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भूमिहीनों को खेती के लिये भूमि देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*८०—८१—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**—[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ६०—६१ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*८२-८४--श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--[१८वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*८५--श्री रामेश्वरनाथ (जिला रायबरेली)--[१८वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*८६--श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--[१८वें गुरूवार के लिये स्थगित किया गया।]

*८७-८९--श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--[१७वें गुरुवार के लिये प्रश्न ६२-६४ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*९०--श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)--[१५ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १११ के अन्तर्गत स्थनान्तरित किया गया।]

*९१--श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रूखाबाद)--[१७वें गुरुवार के लिये प्रश्न ६५ के अन्तर्गत स्थगित किया गया]

*९२-९३--श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)--[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ६६-६७ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*९४-९६--श्री विपिनबिहारी तिवारी--[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न १४१-१४३ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

नर्सिंग स्टाफ, बलरामपुर अस्पताल

*९७--श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर अस्पताल में मेल स्टाफ जो मैरिड है उसको हाउसिंग एलाउन्स व साइकिल एलाउन्स दिया जाता है? और उसी स्थान पर जो नर्सिंग स्टाफ जो मैरिड है उनको हाउस व साइकिल एलाउन्स दिया जाता है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं। दोनों ही प्रकार के स्टाफ को ये एलाउन्स नहीं दिये जाते, क्योंकि सरकार की ओर से उन लोगों के आवास की व्यवस्था है।

*९८--श्री बृजेश्वरसहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के स्थानीय हास्पिटल्स में मैरिड नर्सिंग स्टाफ कुल कितना है और मेल स्टाफ मैरिड कितना है और कितने-कितने को हाउस एलाउन्स व साइकिल एलाउन्स दिया जाता है और कितनों को नहीं, और नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वाछित सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७५३ पर)

*९९--श्री बृजेश्वरसहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के हास्पिटलमें नर्सिंह स्टाफ जो दिन में ड्यूटी देता है वह ८ घंटे हैं और क्या जो रात को ड्यूटी देता है उस नर्सिंग स्टाफ को १२ घंटे ड्यूटी देना पड़ती है? यदि हाँ, तो यह ४ घंटे क्यों ज्यादा ड्यूटी ली जाती है और इन ४ घंटे अधिक का कोई एलाउन्स भी दिया जाता है, या नहीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नर्सों की कमी होने के कारण उनसे अस्पतालों में रात को ४ घंटे अधिक ड्यूटी ली जाती है और इसके लिये उन्हें कोई एलाउन्स नहीं दिया जाता है।

*१००—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री बालोजी अग्रवाल (अनुपस्थित)—[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ६८ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

हैदरगढ़ अस्पताल में गंगादीन पासी की मृत्यु

*१०१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—क्या यह बात सही है कि गंगादीन पासी, निवासी पूरे मितई (लेल्हौरा), जिला बाराबंकी २५ सितम्बर, १९६२ को वर्षा से छत गिरने से कुचल गया और हैदरगढ़ औषधालय में भर्ती हेतु ले जाया गया ? यदि हाँ, तो डाक्टर ने जांच रिपोर्ट में क्या लिखा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ । डाक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मरीज बेहोश था, उसके दोनों कानों से तथा नथुनों से खून बह रहा था और उनके अनुमान में मरीज के कपाल के आधार में फ्रैक्चर हो गया था जिसके एक्सरे के लिये उन्होंने परामर्श दिया ।

*१०२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या यह सही है कि मेडिकल आफिसर, हैदरगढ़ ने उक्त व्यक्ति को भर्ती करने से इन्कार कर दिया और किसी प्रकार की दवा दारू नहीं की ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं । चूंकि मरीज की मृत्यु औषधालय पहुंचने के दस मिनट बाद ही हो गई अतः उसको भर्ती करने का प्रश्न नहीं उठा ।

*१०३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार को ज्ञात है कि डाक्टर के तत्काल कोई इलाज न करने से उसकी मृत्यु हो गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त व्यक्ति का तत्काल उचित इलाज किया गया, किन्तु उसकी मृत्यु गम्भीर चोटों के कारण हो गई ।

*१०४—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[१८वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

मुरादाबाद की कथित केबिल वायर मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी

*१०५—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद में किसी यू० पी० केबिल वायर मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, मुरादाबाद की अभी चहारदीवारी ही बन रही है जब कि उसके लिये ताबाँ, जस्ता, पीतल और कोयले के कोटे की शिफारिश जिला इन्डस्ट्रीज के दफ्तर मुरादाबाद से हो गई है ? यदि हाँ, तो इतनी जल्दी कोटा मिलने का क्या कारण है ?

श्री फूलसिंह—शहर मुरादाबाद में कोई यू० पी० केबिल वायर मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी नहीं है । अतः कोटा मिलने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१०६-१०७—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—[१८वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१०८—श्री लखपतराम शर्मा—[१७वें गुरुवार के लिये प्रश्न ६९ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

*१०९-१११—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी) तथा श्री बंकटासिंह (जिला खीरी)—[१७वें गुरुवार के लिये प्रश्न १४६-१४८ के अन्तर्गत स्थगित किया गये ।]

*११२—श्री दयाराम शाक्य—[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ७० के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

*११३—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न १५९ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

*११४—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) तथा श्री बेदराम—[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न १५० के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

*११५—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—[१८ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*११६—११७—श्री काशीनाथ मिश्र—[१५ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ६२—६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*११८—श्री होरीलाल यादव—[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ७१ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

राजकीय अस्पताल, गाजियाबाद

*११९—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय अस्पताल, गाजियाबाद में १९५९–६०, १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में कितने-कितने मरीजों का इलाज हुआ और कितना धन दवाओं तथा मरीजों की खुराक के सम्बन्ध में इन सालों में खर्च हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७५४ पर)

*१२०—१२१—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला चमोली)—[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ७२—७३ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

*१२२—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ७४ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

चरखारी अस्पताल में बिजली न होना

*१२३—श्री मदनपालसिंह—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी अस्पताल चरखारी जिला हमीरपुर में प्रकाश व पंखे के लिये बिजली लगाने की कोई योजना है जब कि चरखारी शहर में बिजली से प्रकाश हो रहा है ? यदि हां, तो देरी का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

अस्पताल में बिजली की फिटिंग हो गई हैं, , केवल Service connection मिलना बाकी है । आशा है जल्द ही इसका भी प्रबन्ध हो जायगा ।

*१२४—१२५—श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न १४४—१४५ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

*१२६—श्रीदयाराम शाक्य—[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ७५ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

*१२७—१२९—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—[हटा दिये गये ।]

*१३०—श्री बालोजी अग्रवाल (अनुपस्थित)—[१५ वें सोमवार के लिये प्रश्न ३२ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

*१३१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—[१७वें गुरुवार के लिये प्रश्न १५१ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

*१३२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—[१७वें गुरुवार के लिये प्रश्न ५२ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

भोगांव टाउन एरिया चेयरमैन के विरुद्ध गबन की जांच

*१३३—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले की टाउन एरिया भोगांव के चेयरमैन के खिलाफ हाल ही में टाउन एरिया के सदस्यों ने रिपोर्ट थाने में तथा दरख्वास्त एस०पी० पुलिस को व टेलीग्राम गृह मंत्री को इस आशय के दिये हैं कि चेयरमैन ने चालीस हजार रुपया का गबन किया है ? इस मामले में क्या हो रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। टाउन एरिया, भोगांव के एक सदस्य से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। पुलिस द्वारा भा० दं० वि० की धारा ४०९ के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया गया है तथा उसकी जांच हो रही है ।

*१३४—श्री शिवनाथसिंह—[१७वें गुरुवार के लिये प्रश्न ७६ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—[१७वें गुरुवार के लिये प्रश्न ९४ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

कानपुर की सूती मिलें

२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाल में कानपुर के ११ सूती मिलों में ६०,००० गांठ से अधिक कपड़ों की गांठ पड़ी हुई है, जिसके खपत की समस्या है ? यदि हां, तो उसके खपत के लिये क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—२० सितम्बर १९६२ को समाप्त होने वाले पखवारे में कानपुर के १० सूती मिलों में केवल ३५,३३२ गांठें स्टाक में थीं, जो इन मिलों के एक माह के उत्पादन तक ही सीमित है । अतः कपड़े की खपत की कोई विषम समस्या नहीं है ।

३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें कोई ऐसी सूचना है कि उद्योगपतियों ने एक धमकी सरकार को दी है कि यदि उनके खपत का इन्तजाम नहीं किया गया तो हम अपने मिल को पालियां बन्द कर देंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

प्रचार सहायक, चल चित्र चालक

४—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के ब्लाकों में जो प्रचार सहायक एवं चल-चित्र चालक कार्य कर रहे हैं उन्हें अभी तक परमानेन्ट (स्थायी) नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रचार सहायकों एवं चल-चित्र चालकों की ज्येष्ठता-सूची बनाने हेतु सूचना एकत्रित की जा रही है । जैसे ही जयेष्ठता-सूची बन जायेगी उनको परमानेन्ट (स्थायी) करने की कार्यवाही की जायेगी ।

५-७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—[हटा दिये गये ।]

निलम्बित सदस्यों के निलम्बन की समाप्ति

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस अवसर पर नम्र निवेदन करना चाहता हूं जो इस प्रकार से है कि पिछले महीनों में हमारा दुर्भाग्य रहा कि इस सदन में कुछ ऐसी घटनायें हो गईं जिनसे हमारे सदन के माननीय सदस्यों का निलम्बन हुआ। यह दुर्भाग्य की बात थी और दुख की बात थी। आज देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं और वे परिस्थितियां हम सब से तकाजा करती हैं कि हम सदन में भी और बाहर भी अपने सार्वजनिक जीवन में नया अध्याय लिखें। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं अपना आभार विभिन्न दलों के नेताओं और विभिन्न दलों के सदस्यों के प्रति प्रकट करता हूं कि आज बदली हुई परिस्थितियों में सब अपनी-अपनी जगह से ऊंचे उठे और ऊंचे उठ कर सारे देश में और प्रदेश में एक नया वातावरण बना जिसने कि देश के बालक-बालक में एक उमंग और उत्साह देश के प्रति प्रदर्शित किया। तो मैं आज आपके द्वारा नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो पहले दुर्भाग्यपूर्ण बातें निलम्बन आदि की हुईं आप सदन को इस बात की इजाजत दें कि सदन एक मत से यह कह सकें कि जिन हमारे साथियों का निलम्बन यहां हुई घटनाओं के कारण हुआ था वह निलम्बन आज की तारीख से रद्द किया जाय और वे माननीय सदस्य सदन में आ कर पूरी तरह से हमारे उन कार्यों में सहयोग दे सकें जिनके सहयोग देने की आज नितांत आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि निलम्बित सदस्यों का निलम्बन इसी समय से समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नेकराम शर्मा द्वारा सीमावर्ती इलाकों की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बात जानना चाहता था। अभी वह सीमावर्ती इलाकों का दौरा करके लौटे हैं और नैपाल ने जो मांग की है गोंडा, बहराइच, फैजाबाद आदि के बारे में, इससे बड़ा असंतोष फैल गया है। नैपाल हमारी सीमा पर है। तो माननीय मुख्य मंत्री अपना वक्तव्य उस बारे में दे दें।

श्री अध्यक्ष—तो यह प्रस्ताव आप वापस लेते हैं जो मंत्रि मंडल के विरुद्ध आपने दिया है?

श्री नेकराम शर्मा—ऐसे संकट के समय में उसे वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं आपका आभारी हूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय द्वारा स्पष्टीकरण की मांग

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—मैं मुख्य मंत्री जी से कुछ क्लेरीफिकेशन चाहता हूं कि अभी राष्ट्रपति ने एक प्रोमलगेशन किया है....

श्री अध्यक्ष—जब आपकी सूचना लूंगा तो उस....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—पावर्स के बारे में है, जरा सुन लें। प्रोमलगेशन में स्टेट के अन्दर बहुत सी चीजों पर रोक लगाई है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन सी चीजें हैं जो स्टेट के लेजिस्लेटिव काम्पीटेंस के बाहर हैं। इसके बारे में कोई क्लेरीफिकेशन नहीं आया जो नितान्त आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—अगर माननीय मुख्य मंत्री दे सकते हैं तो दे दें ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मैं कल ही लौटा और लौट कर गोरखपुर चला गया। मैंने अपने अधिकारियों को बुलाया और पूछा कि वह आर्डिनेंस क्या है । लेकिन अभी तक उस आर्डिनेंस की कापी हमारे अधिकारियों के पास नहीं पहुंची है । उन्हें ऐसा कुछ पता चला है कि जब पहले लड़ाई प्रारम्भ हुई थी तो सारे अधिकार केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के सिलसिले में ले लिये थे, वही अधिकार उसने ले लिये हैं और उस अधिकार के अन्तर्गत जो नियम बनेंगे उनके अन्तर्गत बहुत से विषयों के सम्बन्ध में और अधिकारों के सम्बन्ध में अधिक व्याख्या होगी । रूल्स अभी बने नहीं हैं यद्यपि उसी स्टेट एमर्जेन्सी के डिक्लेयरेशन के बाद और आर्डिनेन्स बन जाने के बाद कल उन्होंने एक अधिकार लिया है और उस अधिकार के अन्दर उन्होंने चीनियों और फारेनर्स को, जो अधिकार उनको यहां थे, उनसे वंचित किया है और कदाचित् प्रदेशीय सरकार को अधिकार दिया है कि जिस व्यक्ति के विषय में यह समझा जाय कि वह दुश्मन की मदद कर रहा है तो वह उसे इंटर्न कर सकती है । इस प्रकार की बातें जबानी मेरी अधिकारियों से हुई हैं और स्वतः मैंने उस आर्डिनेंस की कापी पायी नहीं है और न ही हमारे सेक्रेटेरियट में ही वह पहुंची है, ऐसा मुझे विदित कराया गया है ।

श्री अध्यक्ष—नरसिंहनारायण जी, जो आर्डिनेंस जारी हुआ है वह गजेट में छपेगा और जो उसमें नियम बनाने के अधिकार हैं वे नियम बनेंगे, वे भी गजट होंगे । तो यह प्रश्न कदाचित् आप दो, एक दिन ठहर कर करते ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाती ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मुझे निवेदन यह करना है कि कल शाम से प्रेसीडेंट ने प्रोमलगेशन का एग्जिक्यूशन शुरू कर दिया है और यह बड़े ताज्जुब की बात है कि उस आर्डिनेंस की कापी मुख्य मंत्री को नहीं मिली लेकिन यह अवश्य है कि वह मिल जाय तो इसका क्लेरिफिकेशन सदन में आना चाहिये कि हमारे अधिकार क्या हैं ।

श्री अध्यक्ष—वह तो पढ़ने और गजट को देखने की बात है । उसमें शंका और संदेह हो तो स्पष्टीकरण हो सकता है ।

उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में प्रख्यापित संशोधन*

वन मंत्री के सभा-सचिव (श्री हरिदत्त कांडपाल)—अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में खाद्य तथा रसद विभाग की विज्ञप्ति संख्या डब्लू० एम० आर० ए० एम० (६)-१३७६/२९-डी-५४२-६०, दिनांक २०अगस्त, १९६२, के अधीन प्रख्यापित संशोधन को उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९, की धारा ४३ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

नगरमहापालिका, इलाहाबाद के चुंगी कर-निर्धारण तथा वसूली के नियमों में प्रख्यापित संशोधन*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नगरमहापालिका इलाहाबाद के चुंगी कर-निर्धारण तथा वसूली के नियमों में, नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३९१०-बी/११-ग—३९ एम-टी-६०, दिनांक १० अक्तूबर, १९६२, के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९, की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

*छापे नहीं गये ।

१९६२-६३ के अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करता हूं।

१९५८-५९ की अतिरिक्त मांगें

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के अतिरिक्त व्यय की मांगों को प्रस्तुत करता हूं।

गोरखपुर, बस्ती आदि जिलों में नैपाल सरकार की कार्यवाहियों से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, माननीय नेता सदन से हम लोग इस सप्ताह का प्रोग्राम जानना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष—एक मिनट ठहरिये। जो बात आपने कही थी वह जरा मैं सदन के सामने रख दूं।

माननीय नरसिंहनारायण और माननीय रामकिशोर जी, माननीय रामकिशोर के दो हैं और अभी माननीय नेकराम शर्मा ने भी वही बात सदन के सामने रखी, तो माननीय नरसिंहनारायण जी की सूचना में पढ़ के सुना दूं। वह इस प्रकार से है—

"इधर कई दिनों से गोरखपुर, फैजाबाद आदि जिलों की सरहदों पर जो नैपाल से लगी हैं सरहद के खम्भों को जो उत्तर प्रदेश को नैपाल से अलग करते हैं बस्ती जिले के ककरहा और गोरखपुर जिले की सरहदों के कई स्थानों पर नैपाल की सरकार सरहदी खम्भों को हटा रही है और उन स्थानों के निकट खाइयां आदि बना रही है। इन घटनाओं से हमारे सरहद के गांवों की सुरक्षा खतरे में पड़ने की सम्भावना उत्पन्न हो गयी है। इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान विदेश मंत्रालय, काठमांडू, के एक प्रमुख प्रवक्ता श्री थापा के बयान की तरफ भी दिलाना चाहता हूं जिसमें वह गंगा तक नैपाल की सरहद मानते हैं और इस सम्बन्ध में नैपाल के अन्दर जोरों से प्रचार भी चालू है। ऐसी स्थिति में हमारी शांति-व्यवस्था खतरे में है।"

यह प्रस्ताव कार्य-स्थगन के रूप में आया है। एक माननीय रामकिशोर जी का भी कार्य-स्थगन के रूप में है। वह भी करीब-करीब इसी प्रकार से है—

"नैपाली अधिकारियों द्वारा सीमा पर रहने वाले भारतीयों को परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। इस प्रकार की भी सूचना मिली है कि नैपालियों ने भारतीयों को मारा, पीटा और उन्हें लूट भी लिया।"

एक नियम ५२ के अन्तर्गत भी माननीय रामकिशोर जी की सूचना आयी है और वह यह है—

"सीमा सम्बन्धी सुरक्षा कार्यों एवं चीनी गतिविधियों के विषय में माननीय नेता सदन से एक वक्तव्य दिलाने की मांग करता हूं।"

इन तीनों को मैंने जिस रूप में ये दी गयीं हैं स्वीकार नहीं किया है। मगर मैं यह अवश्य चाहूंगा कि माननीय नेता सदन अपने स्वयं अनुभव से जो कि उन्हें प्राप्त हुआ होगा इधर इन क्षेत्रों को देखने से, अगर उचित समझें तो आज और नहीं तो कल जनहित की दृष्टि से जो बातें गोपनीय हैं उन को सुरक्षित रख के कुछ फैक्चुअल तथ्यों के सम्बन्ध में सदन को बतला दें, तो अच्छा होगा।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, जिस विषय की चर्चा आज सदन में उस मांग या प्रस्ताव के द्वारा अभी-अभी की गयी है मैं उसी विषय में भी और अन्य विषयों में भी विभिन्न दलों के नेताओं से आज बात करना चाहता था। ९ बजे मैंने उन्हें आमंत्रित भी किया था। दुर्भाग्य से आज नेतागण कदाचित् यहां समय से आ नहीं सके। माननीय कृष्ण पाल सिंह, जनसंघ के डिप्टी लीडर, मेरे कमरे में आये थे और एक अन्य साथी भी उपस्थित हुये थे, भगवान सहाय जी। उस समय यह बातचीत हुई थी और यह तय पाया था कि एक और दो के बीच में नेतागण और हम लोग बैठकर बात कर लें। तो जो सदन में कार्य करना है उस के विषय में और थोड़ी बहुत मात्रा में उस विषय पर, जो हमारे सामने एक परिस्थिति नजदीक सी आ गई है, उसके ऊपर भी विचार विनिमय कर लें। अब स्टेटमेंट इत्यादि के विषय में, मैं समझता हूं कि बहुत सी चीजों को मैं यहां सदन के सामने रखना नहीं चाहता हूं और मुझे रखना भी नहीं चाहिये। नेतागण तथा उनके पीछे बैठने वाले साथी, जब नेताओं से बातचीत हो जायगी और वे इत्तफाक कर लेंगे तो छोटा-मोटा बयान देने की बात होगी तो मैं शायद ५ तारीख को न रह सकूं क्योंकि ४/५ तारीख को नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल की बैठक दिल्ली में आमंत्रित की गई है, वहां मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी ओर से राजस्व मंत्री जी या और कोई साथी बयान दे देंगे। लेकिन इस समय मेरा आप से इतना ही निवेदन है कि इस विषय को यहां इस अवसर पर न उठाकर आपस में विचार-विनिमय करके, यदि आवश्यकता समझी गई तो एक फेक्चुअल स्टेटमेंट दे दिया जायगा।

मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि जो देश में वातारण बना है और जिसमें प्रत्येक दल ने दलगत नीति से उठकर, देश के प्रति जो नई भावना का परिचय दिया है, आज उत्तर प्रदेश के विधायकों का उत्तरदायित्व इस कारण से और भी बढ़ गया है क्योंकि प्रदेश उन सीमाओं के अन्दर आ गया है जिन सीमाओं के ऊपर हमारा दुश्मन विभिन्न प्रकार की तैयारियां कर रहा है, इस बात की आवश्यकता है कि जो स्वस्थ वातावरण, उमंग और उल्लास से भरा हुआ वातावरण देश के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुये, देश में एकता लाने में सहायक हुआ है, हम इस सदन के द्वारा इस वातावरण को यहां और बाहर बनाने की चेष्टा करें और इसमें मिल-जुलकर ऐसी व्यवस्था रचें जिससे अपने उत्तरदायित्व को, प्रदेश के प्रति संभालते हुये, साधनों को इकट्ठा करने के विषय में एक मत होकर आगे चलें जिससे आगे आने वाले महीनों में, हम उस नई व्यवस्था का मुकाबला कर सकें जो व्यवस्था हमारे सामने आकर नंगे रूप में खड़ी हो गई है। हमें अपने उन इलाकों में देशवासियों को जाग्रत करना है और उन्हें ऐसा बनाना है जिससे दुश्मन यदि कभी हमारे क्षेत्र में घुसने की धृष्टता भी करें तो बहादुरी और बल के साथ उसका मुकाबला कर सकें। ऐसा करने में भले ही आज हमारे पास आधुनिक शस्त्र न हों, लेकिन हम उन बहादुरी और पराक्रम के कार्यों को अपने बीच में स्थापित कर सकें जिनसे गुरिल्ला वार फेयर की पालिसी से दुश्मन का मुकाबला करके बता सकें कि भारतवर्ष के नागरिक वह नागरिक नहीं हैं जिन को वह देश जो सदियों तक अफीम खाता रहा है, उसके नागरिक हरा सकते हों या उनकी पवित्र भूमि पर कब्जा कर सकते हों। आज इस नये वातावरण के बनाने की आवश्यकता है। मैंने माननीय नेताओं से निवेदन किया है कि १ और २ के बीच में आज हम लोग बैठें। जनसंघ के माननीय उपनेता आये थे और उन्होंने मेरे विचार से सहमति प्रगट की थी और अन्य नेताओं से मिलने का मुझे मौका नहीं मिल सका। तो हम लोग १ और २ के बीच में बैठेंगे। हम उन चीजों को लेते चलें जो विवाद की नहीं हैं और फिर आपस में, बैठकर, जल्दी से जल्दी उन चीजों पर फैसला करें जिससे जहां हमारी जरूरत है, इस समय जाने की, हम अधिक से अधिक संख्या में वहां जा सकें और लोगों को उस पैनिक से बचा सकें जो कभी-कभी हारने का कारण भी बन जाता है और जो उमंग और आशा का वातावरण कभी-कभी जनता और हमारे द्वारा पैदा होता है वह लड़ाई को जिताने में सहायता का कार्य भी कर सकता है उसको बढ़ा सकें। इस अवसर पर जहां तक बयान देने का विषय है, जब आपस में बातचीत हो लेगी और माननीय नेतागण इस बात की आवश्यकता समझेंगे तो वह बयान ५ तारीख को दे दिया जायगा।

फर्रुखाबाद में दीनी तालीम कान्फ्रेन्स में परिवहन मंत्री के सभा-सचिव, श्री शाहिद फाखरी, द्वारा दिये गये भाषण के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—एक नियम ५२ की सूचना माननीय हरीशकुमार और माननीय हिम्मत सिंह जी की है। यह नियम ५२ की सूचना "स्वतंत्र भारत" की एक सूचना पर आधारित है। इस सम्बन्ध में अल्प सूचित तारांकित प्रश्न भी हो गये हैं। मैं समझता हूं कि अल्प सूचित तारांकित प्रश्नों द्वारा, जो उद्देश्य उन सूचनाओं का है, वह पूरा हो जायगा।

२४ अक्तूबर को फर्रुखाबाद में दीनी तालीमी कांन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के सभा सचिव, मौलाना शाहिद फाखरी, द्वारा जो साम्प्रदायिक तथा उत्तेजनात्मक भाषण इत्यादि. . . .यह है। एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी हुआ है। वह आयेगा तो देखा जायगा। (व्यवधान) माननीय काशीनाथ बहुत संभल कर बातचीत किया कीजिये। इस तरह की बातचीत, बैठ कर करना, न आपकी शोभा बढ़ाता है, न सदन की।

कर-वृद्धि विरोधी आन्दोलनकारियों पर लखनऊ जिला तथा आदर्श जेल में तथाकथित अत्याचार एवं दुर्व्यवहार के कारण की गई भूख हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—नम्बर १०, माननीय कारागार मंत्री।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना आपके द्वारा करना चाहता हूं कि परिवर्तित परिस्थिति में अब इस बयान की कोई आवश्यकता नहीं है और हम लोग इसको नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—धन्यवाद।

फैजाबाद जिले के अकबरपुर तहसील कार्यालय में प्रजा समाजवादी दल के कार्यकर्ता के पीटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—श्रीमन्, श्री रघुनाथसिंह तथा सदन के अन्य सात सदस्यों के पत्र दिनांकित २३ अक्तूबर, १९६२ के सन्दर्भ में, जिसमें तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के प्रजा-सोशलिस्ट कार्यकर्त्ता, श्री भगवती प्रसाद सिंह, का लेखपालों द्वारा पीटा जाना बताया गया है, मुझे सदन को सूचित करना है कि परगनाधीश, अकबरपुर, की जांच से पता चला है कि श्री भगवती सिंह ने श्री त्रिवेणी लाल लेखपाल से कुछ खेतों पर कुछ काश्तकारों को काबिज दर्ज करने को कहा। लेखपाल ने उत्तर दिया कि परताल के समय यदि वे काश्तकार काबिज पाये गये तो उनका नाम खसरे के कैफियत के खाने में अवश्य दर्ज किया जायगा। श्री भगवती सिंह ने इन्दराज तुरन्त करने का आग्रह किया। लेखपाल के राजी न होने पर वे उसे घसीटते और पीटते हुए तहसीलदार के पास ले गये। लेखपाल की कमीज चिथड़े-चिथड़े हो गयी थी। तहसीलदार ने उनसे लिखित शिकायत देने को कहा। वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी थी और शान्ति भंग होने की आशंका थी, इसलिए तहसीलदार पुलिस की मदद लेने थाने की ओर भागे। जब वह लौटे तो उनको मालूम हुआ कि वहां पर मारपीट हो गयी थी। जिलाधीश ने इसकी जांच हाकिम परगना के जरिये करा ली है। उस जांच में परगनाधीश ने ४२ व्यक्तियों के बयान लिये। इनमें १५ सरकारी कर्मचारी थे तथा शेष

२७ में कांग्रेस के कार्यकर्त्ता, गांव सभाओं और पंचायती अदालतों के प्रधान तथा सदस्य, और अन्य विश्वसनीय सज्जन सम्मिलित हैं। श्री भगवती सिंह और उनके पक्ष में अन्य व्यक्तियों ने अपने बयान नहीं दिये। उनकी शर्त है कि पहले तहसीलदार को स्थानान्तरित किया जाय अथवा छुट्टी पर भेजा जाय, जबकि तहसीलदार पर कोई ऐसा आरोप नहीं है कि उन्हें हटाना आवश्यक समझा जाय। जांच से पता चला है कि मारपीट में २ लेखपाल भी शामिल थे। उनको मुअत्तल कर दिया गया है और उनके खिलाफ आरोप तैयार किया जा रहा है।

दोनों दलों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखायी है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह मारपीट तहसील ही में हुई है और वह पटवारी जिससे कहा गया था कि कागजात दुरुस्त कर दे वह नायब तहसीलदार से कितनी दूर पर बैठा हुआ था ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन) फासला मुझे नहीं मालूम है। लेकिन तहसील कम्पाउन्ड में रहा होगा।

श्री हरिनाथ तिवारी---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो चिथड़े-चिथड़े कमीज हो गई तो कितनी देर तक मारपीट होती रही ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कमीज नुचने से वक्त नहीं मुअय्यन किया जा सकता। कमीज फौरन नुच सकती है और देर में भी नुच सकती है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जिस समय लेखपाल से कहा गया, जैसा कि मन्त्री जी ने बताया कि उससे कहा गया, कि अमुक-अमुक काश्तकारों का नाम खाना कैफियत में दर्ज करो, तो उस समय लेखपाल पड़ताल कर चुका था ? तो क्या यह सही नहीं है कि लेखपालों ने झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अब तो तहकीकात हो रही है, झूठ और सांच फरियाय जायगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि लेखपाल को कुछ इन्दराज न करने के कारण उक्त कार्यकर्त्ता ने घसीटकर ले जाने की कोशिश की या ले गए तहसीलदार महोदय के यहां और तहसीलदार के सामने उनके स्थान पर मारपीट हुई। तहसीलदार वहां से हट गये थे पुलिस की मदद लेने के लिए जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में कहा। तो क्या यह तहसीलदार की जिम्मेदारी नहीं आती है कि जब उनके यहां लेखपाल को प्रस्तुत किया गया और वहां वह कार्यकर्त्ता पीटा गया जिसमें आपने भी तस्लीम किया है कि दो लेखपाल भी सम्मिलित थे, तो क्या यह इससे साफ नहीं होता है कि उस तहसीलदार की भी उसमें साजिश थी ?

श्री अध्यक्ष---आप बहस में न जाइए। यह पूछिये कि क्या तहसीलदार की भी उसमें साजिश थी।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं इस वक्त तो नहीं कह सकता कि उसकी साजिश है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---आपकी रिपोर्ट में लिखा है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने उस इन्क्वायरी में भाग नहीं लिया, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस नतीजे पर नहीं पहुंचेगें कि यह एन्क्वायरी एकपक्षीय है और फिर से इन्क्वायरी करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब तो पुलिस एन्क्वायरी कर रही है। अब दूसरी एन्क्वायरी की क्या जरूरत है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लेखपाल जब खेतों का इन्दराज करने जाता है तो क्या यह सही है कि नियम के मुताबिक उसी वक्त पड़ताल हो जानी चाहिये और जिसका कब्जा हो उसका कब्जा लिख जाना चाहिए, तो क्या यह सही है कि पड़ताल करते वक्त लेखपाल ने उन काश्तकारों का नाम काबिज में नहीं लिखा जो कि सही माने में काबिज थे और इसीलिए उस कार्यकर्त्ता ने आ करके फिर से उनको काबिज लिखने के लिए उससे कहा था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो कह रहे थे दर्ज कर दो, उसने कहा कि पड़ताल के वक्त जो सही माने में काबिज होगा उसको दर्ज करेंगे।

श्री अध्यक्ष—क्या आपकी रिपोर्ट यह है कि पड़ताल हो चुकी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरी यह रिपोर्ट नहीं है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या राजस्व मन्त्री का ध्यान इस घटना से संबंधित जो समाचार समाचार-पत्रों में छपा है उसकी ओर गया है तथा उन्होंने क्या उन प्रस्तावों को देखा है कि जिन प्रस्तावों को अन्य दलों के लोगों ने भी मिल कर पास किया है और इन अधिकारियों के व्यवहार का विरोध किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने यह वाकया नहीं देखा है लेकिन आप कहते हैं तो ठीक ही होगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने अभी बयान में कहा कि तहसीलदार भागा हुआ पुलिस को बुलाने के लिये गया तो क्या लौट कर जब वह आया उसके साथ पुलिस थी और थी तो उसने क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पुलिस ने क्या कार्यवाही की, यह सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन जब वह लौट कर आया तो लड़ाई हो चुकी थी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—मैं यह जानना चाहता हूं कि यह घटना तहसीलदार की कोर्ट के सामने हुई या तहसीलदार के घर पर हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह घटना तहसील में हुई।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जो जांच हुई है उसमें उन कार्यकर्त्ताओं का भी बयान लिया गया था जो घटनास्थल पर पहुंच गये थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसमें ४२ आदमियों के बयान लिये गये हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या माननीय मंत्री ने इस प्रकार की जांच तहसीलदार से की कि वह सिचुएशन को खुद हैंडिल करने के लिये वहां क्यों नहीं रुका और उसके पास जो दूसरे आदमी थे उनको क्यों नहीं पुलिस को बुलाने के लिये भेजा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मालूम होता है कि तहसीलदार उस भीड़भाड़ को देख कर घबरा गया था।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार खुद सेकिंड क्लास मैजिस्ट्रेट है और हर तहसील पर पुलिस रहती है ?

श्री अध्यक्ष—वह कह रहे हैं कि वह घबरा गया था ।

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—आरोप तहसीलदार और नायब तहसीलदार के ऊपर भी है कि उनके इशारे पर मारपीट हुई अन्यथा लेखपाल इस तरह की हरकत नहीं करता लेकिन माननीय राजस्व मन्त्री जी बतलायें कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है जब कि कार्यकर्त्ताओं की मांग है कि उनको वहां से हटाने के बाद ही उचित जांच हो सकती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इन्क्वायरी हो रही है । इससे साफ जाहिर हो जायगा कि उनकी साजिश है या नहीं । जब यह मालूम हो जायगा कि उनकी साजिश है तो उनका भी ठीक रूप से तदारुक किया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि लेखपाल ने किसानों का नाम पड़ताल के समय काबिज के खाने में नहीं लिखा था, इसीलिये कार्यकर्त्ता ने उनकी मदद करने के लिये कब्जे का इन्दराज कराने के लिये उनसे कहा और क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि पड़ताल किस फसल और किस जिन्स की होनी थी जिस को लेखपाल ने नहीं किया था और किसानों से रुपया आदि मांग रहा था जिसमें नायब तहसीलदार और तहसीलदार का भी हिस्सा था ? इसीलिये यह साजिश करके कार्यकर्त्ता को मरवाया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस बहस का जवाब देने के लिये सूचना की जरूरत है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय राजस्व मंत्री के पास ऐसा कोई प्रस्ताव आया है कि जिसमें श्री राजबहादुर द्विवेदी, जिला कांग्रेस कमेटी, फैजाबाद, रवीन्द्रनाथ देव, मंत्री, जिला प्र० सो० पा, फैजाबाद, सैयद सिबते मुहम्मद नकवी, नेता सोशलिस्ट पार्टी, फैजाबाद, हरगोविन्द सिंह, मंत्री, जिला कम्युनिस्ट पार्टी, फैजाबाद, भगवती शुक्ल, ब्लाक प्रमुख, कटहरी, फैजाबाद और राम सुमेर वर्मा, निर्दलीय, फैजाबाद के दस्तखत हैं और यह प्रस्ताव १८ अक्तूबर, १९६२ को पास हुआ है जिसमें मांग की गयी है कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार, लेखपाल, और कुर्क अमीन बाकायदा इस साजिश में हैं और इसीलिये मारपीट हुई है ? इसलिये क्या वे इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराने की कृपा करेंगे ताकि मामले की सही जांच होकर निपटारा हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसी पर और एक माननीय सदस्य जगदम्बा प्रसाद की मांग पर हमने रिपोर्ट मांगी है और उसी पर आधारित यह सूचना है ।

श्री जगदम्बाप्रसाद—मंत्री जी ने बतलाया कि एस० डी० ओ० जांच कर रहे हैं । तो अगर वे बहैसियत एस० डी० एम० जांच कर रहे हैं तो उस जांच पर या तो पुलिस मुकदमा चलायेगी या फाइनल रिपोर्ट लगा देगी । लेकिन अगर एस० डी० एम० की जांच इन्कम्प्लीट हो तो क्या सरकार उस संबंध में फिर से जांच कराने की कृपा करेगी क्योंकि वह इंक्वायरी एक पक्षीय है और उसमें पी० एस० पी० के नेताओं ने कोई भाग नहीं लिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दोनों पार्टियों ने रिपोर्ट दर्ज करा दी है और उनके आधार पर पुलिस इन्क्वायरी कर रही है और अगर वह देखेगी तो एक या दोनों पार्टियों का चालान करेगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी जिन लोगों के नाम प्रस्ताव में हैं उनसे भी मैजिस्ट्रेट के अलावा किसी अन्य उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे ताकि सही बात की जानकारी हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं समझता हूं कि जब पुलिस इंक्वायरी हो रही है तो कोई दूसरी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—अब यह विषय समाप्त होता है ।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सदस्यों द्वारा दिये गये धन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कुछ सूचनायें आयी हैं माननीय सदस्यों की ओर से । पहली माननीय तेजसिंह जी की है । वह इस प्रकार है:

"So long as there is state of emergency in the country, I have decided to travel in third class which I even now generally do, and charge half the T.A. allowed. The balance may kindly be remitted to the National Defence Fund. It is requested that my bill may kindly be prepared on this basis for the future.

श्री तेज सिंह कहते हैं कि मैं थर्ड क्लास में आता जाता हूं और मैंने यह निश्चय किया है कि अपना आधा ट्रैवलिंग एलाउन्स लूंगा जब तक कि संकट कालीन स्थिति हमारे देश में रहेगी । हम सब उनके आभारी हैं ।

माननीय बनारसीदास जी ने लिखा है कि मैंने कल मुख्य मंत्री जी को १,००० रुपया का चेक, अपने पूरे मास का वेतन सहायतार्थ भेज दिया है । मेरी पत्नी ने एक सोने का लाकेट लगभग तीन तोले का माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया है सहायतार्थ । यह एक श्री बहुगुणा जी का है, आपने ९०२ रुपये नकद दिये हैं और ५ तोला सोना दिया है और उसके साथ ही साथ यह भी है कि १०० रुपये मासिक वह देते रहेंगे अपने वेतन से ।

एक दूसरा यह है श्री किशोरी लाल जी का, उन्होंने कहा है "जब तक भारत पर चीनियों का आक्रमण जारी रहे, मेरा सम्पूर्ण वेतन राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के हेतु काट लिया जाय ।"

एक दूसरा है माननीय देवदत्त मिश्र जी का । आपने लिखा है "सेवा में निवेदन है, कृपया इस प्रकार की व्यवस्था का आदेश दें कि १ दिसम्बर, १९६२ से जब तक मातृभूमि चीनी आक्रमण से मुक्त न हो मेरे विधान सभा के वेतन से प्रति मास ५ दिन का वेतन मुख्य मंत्री जी के कोष में जमा हो जाया करे ।"

एक दूसरा है कुमारी श्रद्धा देवी का । "मातृभूमि पर बर्बर चीनी आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति का सामना करने के लिये नवम्बर १, १९६२ से अपने विधान सभा की सदस्या की हैसियत से वेतन का आधा अर्थात् १०० रुपये मासिक मुख्य मंत्री जी के सुरक्षा कोष में एक वर्ष तक देने का संकल्प करती हूं ।"

एक दूसरा है माननीय अवैद्यनाथ जी का । "देश की उत्तरी सीमा पर विश्वासघाती चीन के आक्रमण से उत्पन्न राष्ट्रीय संकट की बेला में मातृभूमि की सीमा की रक्षा के लिये मैंने प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में नवम्बर से १०० रुपये प्रत्येक माह में अपने वेतन से तब तक देने का संकल्प किया है, जब तक हमारी सीमा पर युद्ध जारी रहेगा । कृपया मेरे वेतन से १०० रुपये प्रत्येक माह प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जमा करने की व्यवस्था कर दें । इसकी सूचना मुख्य मंत्री जी को भी दे दी है ।"

एक दूसरा है श्री मंशाराम गुप्त का । "सेवा में निवेदन है कि चीनी दरिन्दों ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है । उसके हेतु मैं अपने वेतन में से १०० रुपये प्रति मास उस समय तक सेना सहायता कोष में दान स्वरूप देता रहूंगा जब तक कि चीनी दरिन्दे यहां से खदेड़ न दिये जायें । अतः मेरे वेतन से प्रतिमास १०० रुपये चन्दे के रूप में काटकर शेष १०० रुपये का वेतन बिल बनाने का आदेश दिया जाय ।

आगे में ५३ से अध्यक्ष नगरपालिका के पद पर कार्य कर रहा हूं और मेरी उम्र ६२ साल होते हुए भी तन्दुरुस्ती अच्छी है। अतः लड़ाई के बारे में जो भी मेरे योग्य सेवा समझें आदेश देने की कृपा करें। मैं उसके पालन के लिये हर समय तैयार हूं।"

एक और श्री जगदीश नारायण सिन्हा जी का है। "मैंने निश्चय किया है कि जब तक देश संकट कालीन स्थिति में है, अपने वेतन में से २५ रुपये मासिक कटाता रहूंगा। मैंने अपने शिक्षा काल में फौजी तालीम २ वर्ष तक इंडियन टेरीटोरियल आर्मी का सदस्य रह कर प्राप्त की हुई है। कई वर्ष तक 'प्राविन्शियल सोशल सर्विस' सहारनपुर कंपनी का एडजुटेन्ट रहा हूं। सहारनपुर व इलाहाबाद की संयुक्त कंपनियों का ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर भी रहा हूं। अतः जहां के लिये भी उपयुक्त समझा जावे, अपनी सेवायें समर्पित करने के लिये तैयार हूं। उचित कार्य-वाही हेतु आपको लिख रहा हूं। आशा है आप स्वस्थ होंगे।"

एक दूसरा श्री ब्रह्मदत्त मायर जी का है:

"As the first instalment of contribution for the National Defence Fund from my Constitu ncy" 'Saharanpur City' I herewith submit, Rs. 4,160 in cash and three cheques of Rs. 501, 51 and Rs. 251, total Rs. 4,963. This amount is contributed by the Machinery Merchants, Hardware Merchants and the petty retailers of Court Road and Nehru Market, Saharanpur."

यह हिन्दी में इस प्रकार है "मैं नेशनल डिफेन्स फंड म ४,१६० रुपया देता हूं नकद के रूप में और तीन चेक क्रमशः ५०१,५१, और २५१ रुपये की भी देता हूं, जिसका कुल योग ४,९६३ रुपये है। यह धन हार्डवेयर मरचेन्ट्स और मशीनरी मरचेन्ट्स तथा छोटे दूकानदारों द्वारा दिया गया है जो कि नेहरू मारकेट और कोर्ट रोड, सहारनपुर, के हैं। यह रुपया मैंने उनसे कहा है कि यह मुख्य मंत्री को दे दें।

शनिवार, ३ नवम्बर, १९६२ को सदन की बैठक बुलाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—आगे का कार्यक्रम क्या होगा, वह बता दिया जाय।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—प्रोग्राम के विषय में मैं नेताओं से परामर्श करना चाहता हूं। स्वतः इस विचार का हूं कि अब मुझे और मेरे साथियों को और सभी लोगों को जरा घूमने फिरने का और कार्य करने का समय मिले और कम से कम १०–१५ रोज का समय तो हमें अवश्य मिले, उसमें हम सब एक सलाह से किसी निर्णय पर पहुंच जायं तो आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायगा। फिलहाल शनिश्चर को जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं कि सप्लीमेंटरी बजट शनिश्चर को भी बैठ कर पास कर लें। इसलिए मैं ३ तारीख तक का प्रस्ताव रखना चाहता हूं—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६ के उपनियम (२) के अनुसार इस सदन की बैठक शनिवार को नहीं होती है, परन्तु कुछ आवश्यक वित्तीय एवं विधायी कार्यों पर विचार एवं उनके पारण के लिए यह सदन यह निश्चय करता है कि इसकी बैठक शनिवार दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ को भी निर्धारित समय पर हो।"

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—मैंने एक प्रस्ताव इसी संबंध में भेजा है, उसे भी देख लें।

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये अभी ३ तक का प्रस्ताव हो रहा है ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम १६ के उपनियम (२) के अनुसार इस सदन की बैठक शनिवार को नहीं होती है, परन्तु कुछ आवश्यक वित्तीय एवं विधायी कार्यों पर विचार एवं उनके पारण के लिए यह सदन यह निश्चय करता है कि इस की बैठक शनिवार, दिनांक ३ नवम्बर १९६२, को भी निर्धारित समय पर हो । "

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सदस्यों द्वारा दिये गये धन के सम्बन्ध में सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—एक सूचना मैं और दे दूं । माननीया राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी ने लिख कर भेजा है कि "मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में ५ तोले सोना दिया है, तथा जब तक चीन की लड़ाई चलती रहेगी अपने वेतन में से सौ रुपया कटवाती रहूंगी । मुख्य मंत्री मेरी सेवा इस संकट के समय किसी रूप से ले सकते हैं, मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं ।"

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मेरे पास एक माननीय सदस्य जनसंघ के, श्री लोकपाल सिंह, एक कागज दे गये थे और चाहते थे कि यह सूचना भी सदन को दे दी जाय । उन्होंने १,१०१ रुपया इकट्ठा किया है और उसको इस कोष में शायद वहीं के स्टेट बैंक में जमा किया है ।

और ११ सिपाही जिनके नाम भी उन्होंने दिये हैं उन्होंने तैयार किये हैं इस लड़ाई के सिलसिले में । यह कागज वे मुझे दे गये हैं और चाहते थे कि मैं इसकी सूचना सदन को दे दूं ।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो राज्य और देश में परिस्थिति चीनी हमले के कारण पैदा हो गयी है उसको ध्यान में रखते हुये इस जोत-कर विधेयक को वे वापस ले लें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठ जायं । अभी माननीय नेता सदन ने यह कहा है कि वे विभिन्न दलों के माननीय नेताओं से बातचीत करके यह तय करना चाहते हैं कि किस तरह से जल्दी से जल्दी कार्य हो । इसी कारण आप देखेंगे कि १७ नवम्बर का प्रस्ताव सदन में नहीं रखा गया । तो जब वे परामर्श कर लेंगे, सदन को कार्यक्रम की सूचना दे दी जायेगी ।

'नेशनल हेराल्ड' एवं उसके सम्पादक के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी का नेशनल हेरेल्ड के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का एक प्रस्ताव है . . . .

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—मैं भी अपने इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

सदस्यों द्वारा प्रार्थनाएं

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—मेरा प्रस्ताव था. . . .

श्री अध्यक्ष—नेता सदन अन्य विरोधी दलों के नेताओं से कार्यक्रम के विषय में अभी परामर्श करके कुछ तय करेंगे । अभी आपका प्रस्ताव नहीं आ सकता । अगर उस संबंध में कुछ तय नहीं होता है तो आप बाद को इसे दे सकते हैं ।

श्री लखपतराम शर्मा—उसे प्रस्तुत तो कर दिया जाय ताकि माननीय सदस्यों को पता हो जाय कि वह क्या है और क्यों दिया गया है. . . .

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं । प्रस्ताव क्यों रखा गया है और क्या है, यह प्रस्ताव में उसी समय ले सकता हूं जब कि मैं यह समझूं कि वह सदन के लिये आवश्यक है । मैं जानता हूं इस समय वह आवश्यक नहीं है । जब आवश्यक होगा तो वह रख दिया जायेगा ।

श्री लखपतराम शर्मा—आपने स्वीकार भी नहीं किया और अस्वीकार भी नहीं किया ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने इस सदन में यह सूचना दी कि एक और दो के बीच में आपस में एक महत्वपूर्ण परामर्श होगा । मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वह भी अपना कार्य करे, इस पर भी माननीय विरोधी दल के नेतागण परामर्श करें यह बहुत आवश्यक है । मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूं कि इस प्रश्न पर भी विचार करें ताकि उस कमेटी की सलाह से भी हम सदन के कार्य-संचालन में फायदा उठा सकें ।

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—इस पर भी एक और दो के बीच बात कर लेंगे । आज तो मैं एक मास की अनुपस्थिति के बाद यहां आया हूं ।

श्री अध्यक्ष—इस दृष्टि से आप बात करें कि बिजनेस एडवाजरी कमेटी काम करने लगे, यह मेरा निवेदन है ।

अब इस समय हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय १२ बजकर २५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजे उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

*उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (क्रमागत)†

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने सुबह अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से दलों के नेताओं से निवेदन किया था कि वे आज मेरे कमरे में इकट्ठे हुए और आपस में विभिन्न विषयों के ऊपर विचार-विनिमय हुआ । साधनों के इकट्ठा करने के विषय में भी विचार हुआ । चूंकि हम एक नया वातावरण इस सदन में और इस सदन के बाहर पैदा करना चाहते हैं जो विभिन्न दलों के नेताओं के सहयोग से और उनके सदस्यों के द्वारा प्रदेश में और देश में आज की परिस्थिति में पैदा हुआ है । मैं सरकार की ओर से ऐसा समझता था और समझता हूं कि अब जो भी कार्य इस सदन में हम करें वह सब दलों के नेताओं और सदस्यों के सहयोग से करें । सदन के विभिन्न दलों के नेताओं ने जो आज मेरे कमरे में इकट्ठा हुए उन्होंने आज की गंभीर परिस्थिति के ऊपर अपने-अपने विचार व्यक्त किये और हम इस नतीजे पर आये कि जो समस्या उत्तर प्रदेश की आज की इस परिस्थिति में है वह काफी गंभीर है तथा चिन्ताजनक है तथा उसमें वे तथा प्रदेश के नागरिक जैसा कि उनको विश्वास है परिस्थिति पर काबू पाने के लिये सरकार को अपना पूरा-पूरा सहयोग देंगे और आक्रमणकारी को यहां से निकाल भगाने के लिये मदद करेंगे । उस सहयोग में वे उन साधनों को जुटाने की भी चेष्टा करेंगे जिससे जो परिस्थिति आज हमारे देश और प्रदेश में चीनी आक्रमण के द्वारा पैदा हो गयी है उस पर काबू पा सकें । अतः आज सब की सलाह से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जो हमारा यह जोत-कर विधेयक है इसके ऊपर भी विचार स्थगित कर दिया जाय ।

---

*४ सितम्बर, १९६२ को कार्यवाही में छपा है ।

†२२ अक्तूबर, १९६२ की कार्यवाही से ।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

और हम सब ३ या ५ तारीख को अभी सदन से उठें और १५–१६ दिन या इससे कम दिन अपने-अपने क्षेत्र में जाकर उस वातावरण को जो कि देश और प्रदेश में इस समय बन गया है उसे और मजबूत बनायें और अपने प्रदेश के नागरिकों में वह नयी चेतना और जागृति पैदा करें और उस उमंग और उत्साह को जो उनके बीच में पैदा हुआ है नया बल प्रदान करें और उसके बाद और बीच में हम फिर उन साधनों को मुहइया करने के विषय में इस बिल के द्वारा या अन्य किसी रूप से उन प्रश्नों पर विचार करें जिससे कि हम अधिक से अधिक मात्रा में साधन उपलब्ध कर सकें । सरकार जो भी कोई कार्य करे और जिसमें इधर के बैठने वाले साथीगण जो अधिक संख्या में हैं और जिनकी सरकार है और जिनकी सरकार ने अपने उत्तर-दायित्व को निभाने के लिये विभिन्न प्रकार के विधेयक करों से सम्बन्धित इस सदन में प्रस्तुत किये हैं वे उस उत्तरदायित्व को सम्भालने के लिये हर प्रकार के सहयोग देने के लिये उत्सुक हैं ।

मैं उन सभी नेताओं को बधाई देता हूं और उनकी उस प्रवृति के लिये जो कि उन्होंने मिल-जुल कर अपने बीच में प्रस्तुत की उसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिल जुल करके उस प्रकार से साधन इकट्ठा करने की चेष्टा करेंगे जिससे कि हम अधिक से अधिक आज की इस लड़ाई के अवसर पर अपने प्रदेश में जो सुरक्षा की समस्या है उसमें अधिक से अधिक सहायक और सहयोगी बन सकें । इसलिये मैं इस अवसर पर यह प्रार्थना करता हूं कि जोतकर विधेयक पर विचार स्थगित किया जाय और जो अन्य विधेयक हैं, जिनके विषय में मेरी बात हुई है और जो कि औपचारिक ढंग की चीज है उन्हें आज और कल में पास कर लें ।

जहां तक जनसंघ के उपनेता जी का सम्बन्ध है, उन्होंने तो यहां तक कहा कि जो कार्य ३ दिन में होने वाले हैं वे कार्य एक ही दिन में खतम हो जायं; वे तो इस बात के समर्थक हैं । मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि जो नेतागण अब तक सदन की ऐडवाइजरी कमेटी में नहीं शामिल होते थे वे अब पूरा-पूरा सहयोग देंगे और शामिल होंगे और बराबर हम सब की मिल जुल कर यह चेष्टा होगी कि हमारा अधिक समय बाहर उस जनता के बीच में व्यतीत हो जिसे हमें जागृत करना है, जिसे हमें उठाना है और चीनियों से भिड़ने के लिये तैयार करना है न कि हमारा समय यहां सदन के वादविवाद में अधिक मात्रा में व्यय हो । मैं इस भावना के लिये और इस विचार के लिये भी माननीय नेताओं को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं । इन चन्द शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि जो अगला कार्यक्रम आज के कार्य-क्रम में दिया हुआ है, उस जोत-कर विधेयक के प्रश्न पर विचार करने के अलावा, अब उसे लिया जाय और जोत-कर विधेयक के सम्बन्ध में विचार आज स्थगित किया जाय ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कि माननीय नेता विरोधी दलों को आमन्त्रित करके इस परिस्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास किया । जिन भावनाओं को माननीय मुख्य मंत्री जी ने व्यक्त किया है मैं समझता हूं वह हम सभी लोगों के लिये बहुत ही उत्साह दिलाने वाली और मिलकर काम करने वाली हैं । जहां तक देश के ऊपर संकट और उसको टालने के लिये और उस का मुकाबला करने के लिये साधन इकट्ठा करने का सम्बन्ध है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरफ के बैठने वाले लोगों को वह उस सीमा तक पायेंगे जिसमें कि हम अपने को मिटा कर भी अपने देश की हिफाजत करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे । उनकी किसी प्रकार की कोई योजना जो देश की रक्षा करने के लिये होगी वह योजना अकेले किसी की न होगी, वह सारे देश की होगी, और हमने जैसा कि पहले भी कहा था कि यह जो विपत्ति आई है उसका सामना भारतवर्ष का बच्चा बच्चा, नर नारी, गरीब, धनी, हर आदमी करना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहता है और वह अपने ऊपर हमला समझता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस देश के प्रश्न पर प्रदेश के सभी लोगों को अपने पीछे पायेंगे, अपने इर्दगिर्द पायेंगे और जो भी कुरबानी आज देश मांगेगा, परिस्थिति मांगेगी, उसमें कोई भी रत्ती भर पीछे नहीं रहेगा। इस समय इतना कहकर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जो परिस्थिति उन्होंने उत्पन्न करने की चेष्टा की है उससे मैं आशा करता हूं कि कुछ ही महीनों में वह यहां का वातावरण ऐसा बनाकर दिखा देंगे कि कोई आदमी या देश जो बुरी नीयत से हमारी तरफ देख रहा होगा उसका साहस ही न होगा कि वह हमारी तरफ बुरी नजर से देख भी सके।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अभी सदन के सम्मुख प्रस्ताव रखा और जो यह घोषणा की कि इस जोत-कर विधेयक पर विचार इस समय स्थगित किया जाय, यह एक बहुत ही ऊंची बात है और बहुत बड़ा कदम है जो हमारी सरकार ने लिया है, इसके लिये हमें मुख्य मंत्री जी का शुक्रगुजार होना चाहिये और मैं उनको इसके वास्ते धन्यवाद और बधाई देता हूं। जो विचार उन्होंने प्रकट किये वह बहुत ही उचित और परिस्थिति के अनुकूल हैं, यह मानी हुई बात है और यह मैं अकेले अपनी ओर से ही नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं एक सदस्य और नागरिक के नाते कहता हूं कि आज हमें इस बात पर गर्व है कि सब दल मिलकर संकट का सामना करने के लिये तैयार हैं। हमको आज के संकट में कोई काम भी सौंपा जाय उसको हम करने को तैयार हैं और माननीय चन्द्रभानु गुप्त को अपना नेता मानते हैं। जिस तरह से हमने आजादी की लड़ाई लड़ी उसी तरह से हम आज मातृभूमि की रक्षा के लिये तैयार हैं, हमारा उपयोग किया जाय और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम जो भी हमें सौंपा जायगा उसको हम पूरा करेंगे और कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। हमें बड़ा गर्व है कि अभी वह जेनरेशन यहां मौजूद है कि जिसने अपने परिश्रम, खून पसीने से आजादी हासिल की थी, आज यदि उस आजादी को कायम रखने के लिये हमारा बलिदान भी हो जाय तो हम उस स्वर्ग की कामना करते हैं, उससे हमारा आत्मसन्तोष होगा और हम उसके लिये भगवान को धन्यवाद देंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने को माननीय मुख्य मंत्री जी की भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं, आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नेता विरोधी दलों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के कमरे में इस महत्वपूर्ण मसले के विचारविमर्श में शामिल हो सका। जहां तक देश के राष्ट्रीय संकट का प्रश्न है इसमें कोई दो रायें नहीं हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी जो विरोधी दलों से आशा करते हैं मैं मुख्य मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब कतई आप के साथ हैं और मैंने वहां भी कहा था और यहां भी कहता हूं चाहें आप हम सब को मोर्चे पर भेज दें लड़ने के लिये हम लड़ सकते हैं और किसी से पीछे नहीं हैं। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, मुसीबतें उठायी हैं। हमसे काम अगर सप्लाई लाइन में लेना चाहें वह काम भी हम कर सकते हैं। हम मुख्य मंत्री जी को विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी भी आई० सी० एस० अफसर से कम क्षमता नहीं रखते हैं।

एक प्रश्न जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात में कहा ठीक ही कहा और हम लोगों के दिमाग में इसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये कि ४३ करोड़ भारतीयों के मनोबल १ महीने या १०, १५ दिन के अन्दर गांवों में जा कर उठा सकें तो हमारी हुंकार से ही चीनी तिब्बत और ल्हासा से बाहर चले जायंगे।

श्रीमन्, मुझे आज नेता जी सुभाषचन्द्र बोस की बात याद आ गई। नेता जी पेनांग के हवाई अड्डे पर पहुंचे तो वहां के व्यापारियों ने उनसे कहा आराजी हुकूमत के अफसर हमसे रोज रोज चन्दा मांगते हैं, आप बता दें अपनी पूंजी का हम कितना प्रतिशत आराजी हुकूमत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उग्रसेन]

और आजाद हिन्द फौज के लिये दे दें। जब मैं बर्मा गया था तो नेता जी के एक साथी ने मुझे बताया था, उन्होंने मुस्कराकर कहा तुम कहते हो अपने धन का कितना प्रतिशत आजाद हिन्द फौज और आजाद हिन्द सरकार को दे दें अगर यही प्रश्न आजाद हिन्द फौज के सिपाही हमारे सामने रखें कि कितना कितना प्रतिशत खून दें तो आजाद हिन्द फौज की लड़ाई चल सकेगी ? मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रतिशत का सवाल नहीं है, आज एक दिन, दो दिन के वेतन का प्रश्न नहीं है। जो नेता जी का नारा था टोटल मोबीलाइजेशन का, आज सर्वस्व होम करने का समय है। मैं सब की तरफ से कहता हूं, मैंने तो १५ दिन के अन्दर जो जनता की भावनाओं को देखा है, छोटे-छोटे लड़कों को चाऊ का पुतला जलाते देखा और कहते सुना कि चीनी बदमाशों को खदेड़ेंगे, कितना जन जागरण हुआ है, इसको देख कर मेरे जैसे आदमी का मन खिलखिला उठा है। पुरानी बातों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जो भी सहयोग हमसे चाहेंगे वह सहयोग हम सब विरोधी दल के लोग देने को तैयार हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी भावनाओं को मुख्य मंत्री जी की भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मुख्य मंत्री जी ने जिस राजनीतिक सूझ बूझ का परिचय दिया है इस अवसर पर उसके लिये मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मेरा विश्वास है कि इस राष्ट्रीय संकट की बेला में साधनों की कमी हमारे देश में नहीं पड़ेगी। हमारे देश में साधन हैं, देशवासियों के पास कुर्बानी का माद्दा और भावनायें हैं उनके जागृत करने की जरूरत थी जो स्वतः चीनी आक्रमण से अपने आप जागृत हो गई है। उसे संगठित करना है, सही रास्ते पर ले चलना है और उसका महत् प्रयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये करना है। यह हम सब का कार्य है। इस बिल के स्थगन से जो भी पैसे की कमी सरकार को मालूम होगी उससे कई गुना पैसा इस प्रदेश से मिलेगा। हमें यह भी विश्वास है कि अगर नेशनल एमरजेन्सी के नाम पर सरकार और नेताओं की अपील निकलेंगी, कोई भी ऐसा कदम उठाया जायगा तो यह देश और प्रदेश उससे कई गुना पैसा देने में पीछे नहीं हटेगा और वह कार्यवाही शुरू हो गई है। मैंने इन ५, ६ दिनों में अपने क्षेत्र के दूर दूर गांवों में दौरा करके देखा है। आज बच्चों में, नौजवानों में, बूढ़ों में इस प्रकार की भावना पैदा हो गई है कि हमारे देश पर आक्रमण हुआ है और हम सब को मिल कर देश की रक्षा करनी है, इसके लिये जो भी बलिदान देना पड़े देंगे। इस तरह की भावना अपने आप बिला विशेष संगठन के भी दूर गांवों में पैदा हो गई है और होती जा रही है। इसलिये हमें विश्वास है कि साधनों की कमी नहीं पड़ेगी और न अपने मुल्क की आजादी की रक्षा के लिये बलिदानों की कमी पड़ेगी। जो राष्ट्रीय संकट हमारे यहां आया है ऐसे समय में अपने सभी भेदभाव भुला कर हमको अपने देश की सुरक्षा के पीछे जुटना है। जो आजादी लाखों देशवासियों की अनेक कुर्बानियों के बाद प्राप्त की गयी वह आजादी हमारी लाशों पर से ही छीनी जा सकती है। लाखों-करोड़ों हिन्दुस्तानियों की लाशों के बाद ही कोई मुल्क चाहे वह चीन हो या कोई दूसरा हो हमारे हाथ से हमारी आजादी छीन सकता है। इस समय जिस तरह की भावना देश में पैदा हुई है। जिससे कि सभी तरह के विचारों और खयालात के लोग एक होकर सरकार की विदेशी और सुरक्षा नीति के पीछे खड़े हुए हैं उसे हमको और मजबूत और संगठित करना है और कोशिश करना है कि वह भावना और मजबूत हो जाय ताकि हमारे देश पर आक्रमण करने वालों को अपने मुंह की खानी पड़े और उन्हें अपनी सीमाओं के पीछे ढकेल दिया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने इस मौके पर बड़प्पन और उदारता का परिचय दिया जैसी कि इस संकट की बेला में उनसे अपेक्षा थी। इन शब्दों के साथ मैं बात समाप्ता करता हूं।

***श्री भगवानसहाय** (जिला शाहजहांपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, आज जो मुसीबत हमारे देश पर आई है उसको देखते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो हम सब लोगों को सहयोग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेने के लिये एकत्रित किया उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं और समझता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज जो हमारे देश पर संकट आया हुआ है, मैं समझता हूं कि हमको अपने मतभेद हटाकर, सब लोग मिल कर उस बड़े दुश्मन का मुकाबला करें ताकि जो आजादी हमने बड़ी कुर्बानी के बाद, बहुत मुसीबतें उठाने के बाद हासिल की है उसको हम अच्छी तरह से कायम रख सकें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि तमाम विरोधी दल उनके पीछे हैं और उनके नेतृत्व में इस राज्य में जो भी कुर्बानी करने की आवश्यकता पड़ेगी उसमें वह किसी से भी पीछे नहीं रहेगा और मैं उन्हें इस बात का यकीन दिलाता हूं कि जो भी कदम वह इस राज्य और देश की रक्षा के लिये उठायेंगे उसमें हम उनका पूरा-पूरा साथ देंगे। इन शब्दोंके साथ में एक बार फिर माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को सब से पहले बधाई देता हूं कि उन्होंने इस संकट की स्थिति में इतना उदार कदम उठाया है और इसके साथ ही साथ जो राष्ट्रीय संकट आज हमारे सामने है उसको देखते हुये यही विश्वास दिलाया जा सकता है और यह विश्वास पूर्णतया है भी कि देश की रक्षा के लिये आखिरी दम तक जो कुछ भी बलिदान की आवश्यकता पड़ेगी उसमें हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और जिन शत्रुओं ने गलत कदम आज इस देश की भूमि पर रखा है उनको पीछे हटना पड़ेगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। इतना कहते हुये पुनः मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से आज इस सहयोग की शृंखला बनाई है उसके अन्तर्गत आगे बढ़ते हुये राष्ट्रीय संकट का सामना करते हुये वह सफल होंगे।

*श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, इस दल के जो विचार, नीतियां और कर्त्तव्य राष्ट्र के प्रति रहे हैं वे बहुत ही स्पष्ट हैं और भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के प्रति हम लोगों के दृष्टिकोण को भली भांति जानता है, उसको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वातावरण आज इस सदन में पैदा किया है मैं उसकी बड़ी सराहना करता हूं और उनको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हमारे दल का प्रत्येक व्यक्ति जब तक उसके शरीर में आखिरी बूंद खून की बचेगी वह अंतिम सांस तक सहायता देता रहेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि सदन का समय बचाना भी बहुत बहुमूल्य है। मैं पुनः मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सदस्यों द्वारा दिये गये धन के सम्बन्ध में सूचना (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—दो, एक सूचनायें हैं। माननीय चन्दसिंह रावत जी यह एलान करना चाहते हैं कि वे आज से अपना पूरा वेतन इस देश की लड़ाई में अर्पण करते हैं।

एक माननीय रामजीलाल सहायक की तरफ से पत्र आया है। वह भी मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं।

"मान्यवर, मैंने निश्चय किया है कि जब तक चीनी हमलावर भारतीय सीमा से बाहर न खदेड़ दिये जायं तब तक मैं नीचे लिखे के अनुसार कटौती की गयी धनराशि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के हेतु देता रहूंगा :—

१—अपने दैनिक भत्ते में से २ रुपया प्रति दिन कटा कर राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दूंगा।

२—अपने मासिक भत्ते में से २० रुपये प्रति माह आना-जाना काट कर राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उपाध्यक्ष]

३—अपने मासिक वेतन में से १० रुपये मासिक कटा कर राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दूंगा ।

कृपया ऐसी व्यवस्था कराने का कष्ट करें जिससे कि यह धनराशि मेरे भत्ता एवं वेतन बिलों से कार्यालय द्वारा काट ली जाया करे और राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जमा कर दी जाया करे।"

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक, १९६२

*विद्युत उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक, १९६२ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय ।

श्रीमन्, यह एक छोटा-सा नान कंट्रोवर्शल विधेयक है। १९४५ में भारत सरकार ने एक बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन बनाया था ताकि देश में टेक्निकल एजूकेशन की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुये वह उसको स्टैंडर्डाइज करने पर विचार करे। उनकी यह सिफारिश थी कि यूनिवर्सिटी के डिग्री कोर्सेज तो यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड थे और यूनिवर्सिटीज उनका कंट्रोल किया करती थीं लेकिन डिप्लोमा कोर्सेज अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग किस्म के थे। उस बोर्ड ने हमारे यहां यह सिफारिश की कि उत्तर प्रदेश में भी एक टेक्निकल एजूकेशन बोर्ड बैठाया जाय जो यह देखे कि किस तरह की परीक्षायें हों, किस तरह के स्कूल हों, क्या उनकी मान्यतायें हों इत्यादि। १९५८ में एक जी० ओ० के मातहत हमारे यहां एक टेक्निकल एजूकेशन बोर्ड बनाया गया जो आज भी काम कर रहा है। उसी बोर्ड को एक स्टैट्युटोरी राइट देने के लिये हम यह बिल लाये हैं।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि कौंसिल में जब यह बिल हम लाये थे तो वहां के सब सदस्यों ने मिल कर बहुत से अमेंडमेंट दिये थे और खासतौर से प्रिन्सिपल मदन मोहन साहब, जो कि बहुत दिनों से टेक्निकल एजूकेशन बोर्ड के मेम्बर थे और एक बहुत पुराने एजूकेशनिस्ट हैं और डाक्टर ईश्वरी प्रसाद साहब ने बहुत से अमेंडमेंट दिये थे। उनके अमेंडमेंट्स हमने मान लिये और उसके बाद जो यह बिल आया है यह करीब-करीब ऐसी शक्ल में है जो बहुत कंट्रोवर्शल नहीं है। इस बिल में तीन चीजें हैं। एक तो जो बोर्ड बनेगा उसमें कौन-कौन से सदस्य होंगे। इस संबंध में जो प्रिंसिपल मदन मोहन साहब ने सजेस्ट किया वह करीब-करीब सब हमने मान लिया और जो आज बोर्ड काम कर रहा है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। एक चीज मैं बता दूं कि उसमें हमने नामिनेटेड चेयरमैन रखा है जबकि कुछ लोगों ने कहा कि आप नामिनेटेड सदस्य क्यों लाना चाहते हैं। तो कौंसिल में मदन मोहन साहब ने यह कहा था कि मैं अपोजीशन सीट पर खड़े हुये यह कह सकता हूं कि इस बोर्ड का चेयरमैन नान-आफिशियल होना चाहिये। हमारा इंटरमीडियेट एजूकेशन बोर्ड का तजुर्बा है और उस तजुरबे की बिना पर हम इस बिल को लाये हैं। उसमें बहुत-सी खराबियां थीं, उनको मैं यहां कहना नहीं चाहता हूं, हमने कोशिश की है, अपोजीशन के लोगों तथा एजूकशनिस्ट की सलाह से, कि इसमें खामियां न आयें। एक तो इसमें परसोनेल की बात है। दूसरी चीज यह है कि बोर्ड क्या काम करेगा? इस बोर्ड के ३/४ काम हैं। एक तो परीक्षायें लेना और दूसरे स्टैंडर्ड मुकर्रर करना और इस चीज को देखना कि टेक्निकल संस्थाओं की बिल्डिंग्स कैसी हों, फरनीचर कैसा हो, यानी इक्विपमेंट कैसा हो। ये चीजें इस बोर्ड की हैं। आप देखेंगे कि इसमें कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं हैं। मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बोर्ड को

---

†२४ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसा कि है और विधान परिषद् से निकल कर आया है, इसे स्वीकार करेंगे और इस विधेयक को पास करेंगे ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक, १९६२ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जिसे इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन ३ महीने के भीतर सदन के समक्ष प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि यह विवादग्रस्त विधेयक नहीं है । मैं तो यह देखता हूं कि जो प्रवृत्ति आज हमारे प्रदेश में चल रही है, कहीं यह प्रवृत्ति आगे चलकर हमारी जनतंत्रीय व्यवस्थाओं के लिये एक अभिशाप सिद्ध न हो जाय । इस विधेयक में जहां परिषद् के संगठन का प्रश्न है, आप देखेंगे कि धारा ४(१) में स्पष्ट दिया गया है कि परिषद् के अधिकांश सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके । मान्यवर, जो अनुभव हमें इस सरकार का है उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन नियुक्तियों में पक्षपात होगा । जिन बोर्डों में राज्य सरकार अपने अधिकार के अन्तर्गत नियुक्तियां करती है तो उनमें दलगत भावना का आधार लिया जाता है । तो मैं पुराने अनुभव के आधार पर इस बात को जोरदार ढंग से कहना चाहता हूं कि जब इस बोर्ड का संगठन होगा तो उसमें सरकार पक्षपात रहित होकर कार्य नहीं करेगी ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---श्रीमन्, आपने जो विधेयक विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है उसे शायद देखा नहीं है, पहले वाले को देखा है । जितने सदस्य होंगे उनको राज्य सरकार ने रख दिया है । नियुक्ति का इसमें सवाल नहीं है । अगर माननीय सदस्य विधान परिषद् वाला विधेयक देख लेंगे तो शायद उनकी यह राय नहीं होगी ।

श्री मैनेजरसिंह---पहले वाले विधेयक में सरकार की मनोवृत्ति साफ जाहिर होती है । इस युग में सरकार सारे अधिकारों को केंद्रित करना चाहती है । यह प्रदेशीय सरकार की मनोवृत्ति है, इसको मैं साफ करना चाहता हूं , उपाध्यक्ष महोदय । जैसा कि मेरा ध्यान माननीय मंत्री जी ने आकर्षित किया है विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक की धारा ४ की तरफ, उसमें राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सभापति, एक उप-सभापति, राज्य विधान-सभा के दो सदस्य, राज्य विधान परिषद् के दो सदस्य, राज्य सरकार के उद्योग, वित्त और विद्युत विभागों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि और राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट चार अन्य व्यक्ति हैं । मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता । मैं केवल दो बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस माननीय सदन को आपने अधिकार देने की बात की है । यह कौन-सी न्याय की बात है कि इस माननीय सदन में जहां ४३१ सदस्य हैं उनके केवल दो प्रतिनिधि प्राविधिक शिक्षा परिषद् के सदस्य होंगे और सरकार के मनोनीत चार सदस्य होंगे ? क्यों नहीं आप रख देते कि छः सदस्य विधान सभा के होंगे ? अगर आप ऐसा करते तो मैं समझता कि प्रजातांत्रिक पद्धतियों में आपका विश्वास है और उसके अनुसार आचरण भी है । मेरा एतराज यह है कि सरकार की प्रवृत्ति प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और प्रवर समिति में जो आवश्यक संशोधन हो सकें वह कर दिये जायं । इसमें झगड़ा और विवाद की बात नहीं है और जब विवाद का सवाल नहीं है तो यह सीधासादा प्रस्ताव है, प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें । उसमें इस आदरणीय सदन के कुछ सम्मानित सदस्य, जिन की इसमें रुचि हो, जो इसमें दखल रखते हों, उनकी प्रवर समिति बने । प्रवर समिति से आने के बाद आप विचार करें ताकि इसमें जो कमियां हों उनको दूर किया जा सके ।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस बोर्ड का स्थापना के लिये बिल लाया गया है और जिन पुनीत भावनाओं से हम इस कार्य को करना चाहते हैं, मेरा अपना ऐसा खयाल है कि हमारे राज्य में आज टेक्निकल एजूकेशन की क्या स्थिति है, उसके साथ-साथ और कौन-कौन से ऐसे सवाल हैं, उन तमाम बातों पर अगर ब्योरे से सोचा गया होता, मानता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस सदन को यह अवगत कराया है कि विधान परिषद् में बड़े-बड़े शिक्षा शास्त्रियों ने अनमोल सुझाव दिये और उन्होंने उन अनमोल सुझावों को स्वीकार किया, मैं पूरा भरोसा रखता हूं कि मेरी दृष्टि में जो कमियाँ हैं जिनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मेरा पूरा भरोसा है कि जिस उदारता का परिचय उन्होंने परिषद् में दिया है उसी उदारता का परिचय वह यहाँ भी देंगे ।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारे राज्य में आज टेक्निकल एजूकेशन की स्थिति क्या है ? आप स्वयं भी यह जानते होंगे कि आज टैक्निकल एजूकेशन के नाम पर राज्य सरकार के विभिन्न विभाग अलग-अलग शिक्षा दे रहे हैं । जहाँ तक इस बिल का संबंध है मैं समझता हूं कि एलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा जो टेक्निकल शिक्षा दी जाती है, गवर्नमेंट टेकनिकल एजूकेशन जो चलती है उसके सम्बन्ध का यह बिल है । आई० टी० आई० का सम्बन्ध लेबर डिपार्टमेंट से है । आई० टी० आई०, सी० टी० आई, जी० टी० आई०, जी० पी० टी० आई०, इस तरह से यह सारे नाम टेकनिकल एजूकेशन के लिये लिये जाते हैं । और मान्यवर, यदि आप इन विभिन्न पाठ्यक्रमों को ध्यान से देखें तो आपको यह ज्ञात होगा कि लगभग इन सभी संस्थाओं में एक ही तरह के ट्रेड्स में विद्यार्थी प्रशिक्षित किये जाते हैं । और तो और, हरिजन कल्याण विभाग भी अपनी ओर से टेक्निकल एजूकेशन के लिये कुछ पाठ्यक्रम चलाता है । तो मान्यवर, पहला सुझाव मेरा यह था कि यदि हमें अपने देश-प्रदेश के इस महत् प्रश्न की ओर कोई गम्भीर कदम उठाना है तो सबसे पहले हमें यह करना होगा कि टेक्निकल एजूकेशन के नाम पर जो विभिन्न प्रकार की संस्थायें आज राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं वह सब एक हेड के अन्दर चली आवें । इसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा अगर एलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ही उनको चलावे या लेबर डिपार्टमेंट चलाये या हरिजन कल्याण विभाग चलाये । वैसे मेरा यह सुझाव है कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ही इन विभागों को होना चाहिये । यह मेरा एक निश्चित सुझाव है । होता क्या है ? इसके अमली पहलू की तरफ मान्यवर, ध्यान दें । एलेक्ट्रिशियन का ट्रेड जो है आई० टी० आई० में भी उसके ऊपर विद्यार्थी प्रशिक्षित हों, जी० टी० आई० में भी प्रशिक्षित हों । एक नियोजन वाली व्यवस्था में जब हम टेक्निकल परसोनेल को तैयार करते हैं तो जैसा कि हमने दूसरे मुल्कों में देखा है, वहाँ का नियम यह है कि अगले वर्षों में.....

*श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—आन ए प्वाइंट आफ इन्फारमेशन । अगर आप चाहें तो मैं थोड़ी सी इन्फर्मेशन दे दूं । मैं आपसे यह अर्ज कर दूं कि यह जो बोर्ड हम बना रहे हैं यह संस्थाओं को चलाने वाली चीज नहीं है । यह तो एक बोर्ड है जो परीक्षाओं को लेगा और इसका स्कोप हमने बहुत ज्यादा रखा है । जो परीक्षायें आज हैं वह भी और जो भविष्य में होंगी वह भी सब हम रूल्स और स्टेट्यूट्स बनाकर इसके अन्दर बढ़ा सकेंगे । हमारे यहाँ इस वक्त तीन किस्म की चीजें चल रही हैं । एक तो डिग्री है जो यूनिवर्सिटियाँ देती हैं । एक डिप्लोमा स्तर पर है जिसको कि बोर्ड देगा और एक और भी है जिसका आप ने जिक्र किया सर्टिफिकेट के तौर पर, उसे कौंसिल आफ वोकेशनल ट्रेड्स एक है वह देती है अभी तक । हम यह विचार कर रहे हैं कि यह वोकेशनल ट्रेड्स वाली चीज जो है वह गवर्नमेंट आफ इंडिया का लेबर डिपार्टमेंट रन करता है, उसका खर्चा वह देते हैं, अभी तक वह इस बात के लिये इनसिस्ट करते हैं कि उनकी एक अलग कौंसिल उसको चलाये, लेकिन इसमें हमने इसका स्कोप रखा है कि हमारा जो बोर्ड बने आगे उसमें जो कोई भी इस प्रकार की शिक्षा हो यह बोर्ड उसकी परीक्षाओं को ले सके । आपकी जानकारी के लिये मैं बता दूं कि यह जो बोर्ड है इसका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संस्थाओं से कोई संबंध नहीं है। वह तो अलग चीज है कि कौन चलाये कौन न चलाये। यह तो सिर्फ परीक्षायें लेगा और उनको रेकग्नाइज करेगा जैसे इंटरमीडिएट बोर्ड है। अगर सब सदस्य यह चाहते हों तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं होगा, मैं समझता हूं कि यह तो शायद ठीक नहीं होगा कि इसको एक कमेटी में भेजें, लेकिन जैसा हमने कौंसिल में भी किया था कि जो लोग इसमें इन्टरेस्टेड हैं वह सब एक साथ बैठ जायं और बैठकर जो इन्फारमेशन हमारे पास है वह हम आपको दे दें और जो कुछ आप चाहते हैं, उन सबका एक सामन्जस्य करके हम एक दूसरी चीज ला सकते हैं, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो सदन थोड़ी देर के लिये ऐडजर्न हो सकता है और वह लोग जो इन्टरेस्टेड हैं वह सब बैठकर बात कर सकते हैं। मैनेजर सिंह साहब की सूचना के लिये मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें दोनों ही बातें हैं। एक तो परीक्षा वाली बात है और दूसरे रूल्स और स्टेट्यूट्स बनाते समय क्या टेक्निकल एजूकेशन है, क्या होनी चाहिये, यह सब बना लिया जायगा। यह काम हमारा और उनका नहीं है। जहाँ तक नामिनेशन की बात है मैं समझता हूं कि जैसा कि इंटर-मीडियेट एजूकेशन बोर्ड का कांस्टीट्यूशन है उससे यह अलग है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके बारे में बातचीत हो जाय तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग सब बैठकर बात कर सकते हैं।

श्री रामायणराय—माननीय उपमंत्री जी ने हमारी दिक्कत को हल करने का प्रयास किया है। मैं उनका आभारी हूं। लेकिन मैं जिस प्रश्न की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था वह एक विशेष प्रश्न है। वह अगर ऐसा समझते हैं कि कोई खास इस विषय पर बोलने के विचार से मैं बोल रहा हूं ऐसी बात नहीं है। मैं सिंसियरली यह फील करता हूं कि एक अराजकता इस क्षेत्र में विद्यमान है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो यह बड़ा सख्त लव्ज इस्तेमाल करता हूं अराजकता का। मैं इसलिये कहता हूं कि मैंने जो दूसरे मुल्कों की टैक्निकल एजुकेशन की स्कीम को देखा तो चाहे वह सर्टिफिकेट के स्टेज की बात हो, चाहे डिप्लोमा स्टेज हो और चाहे डिग्री का स्टेज हो, वहाँ की पद्धतियों से हमारी पद्धति में काफी भिन्नता है। जैसे कि चाइनीज सिस्टम आफ टैक्नीकल एजुकेशन.....

एक सदस्य—उसका नाम न लीजिये।

श्री रामायणराय—मैं उस शब्द को वापस लेता हूं जो मैंने अभी कहा है। आपका रोष व्यक्त होना चाहिये किन्तु हम एक ऐसे देश के रहने वाले हैं जो इतना उदार रहा है कि किसी भी देश की यदि कोई अच्छी चीज है तो उसको लेने में हमने अनुदारता नहीं बरती है। मैं व्योरे में नहीं जा रहा हूं। हम आज टैक्निकल एजूकेशन एक दृष्टि से चला रहे हैं कि जो राज्य में हमारे स्थापित होने वाले विभिन्न प्रकार के कारखाने हैं या विभिन्न प्रकार के जो टैक्निकल काम हम करने वाले हैं उन कामों को करने के लिये विभिन्न प्रकार के हमको टैक्निकल एजूकेटेड लोग मिल जायं। तो अच्छा यह था कि समन्वित रूप से कोई इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाता जिससे अधिक लाभ लोगों को होता। आज जो अव्यवस्था है उसका परिणाम यह होता है कि एक खास प्रकार के टैक्निकल एजूकेशन के आदनी आज नहीं मिलते हैं और किसी खास तरह के आदनी बहुत मिलते हैं। कोई पता नहीं है कि हमारे पास एलेक्ट्रिशियन कितने हैं। हमारे पास डिप्लोमा होल्डर कितने हैं।

मुझे हैरत हुई अभी जब हमारे पास एक बी० एस-सी० इंजीनियरिंग का लड़का आया। वह कहने लगा कि हमारी कुछ मदद कीजिये। एक तरफ हम यह कहते हैं कि हमारे पास टैक्निकल परसोनेल की कमी है। मान्यवर, मैं जिम्मेदारी के साथ माननीय मंत्री जी को यह सूचना देना चाहता हूं कि इस अव्यवस्था के कारण एजूकेशन का जो दूसरा पक्ष है इम्पलायमेंट का उस पक्ष के क्षेत्र में भी हम न्याय नहीं कर पाते और जो भी हम प्रशिक्षित लोग तैयार करते हैं उनको ठीक-ठीक जगहों पर नहीं बैठा पाते हैं। आखिर ऐसे एजूकेशन को चलाने का लोगों का यह भी मंशा रहता है कि किसी भी ऐसी सोसायटी में, जिसमें ह्यूमन इंजीनियरिंग को मान लिया

[श्री रामायणराय]

गया है, ह्यूमन इंजीनियरिंग से मेरा मतलब है कि "नेचर आफ दि वर्क और नेचर आफ दि कैडर रिक्रूटेड" उसकी शिक्षा और क्षमता के अनुकूल अगर हम व्यवस्था करना चाहते हैं तो फिर यह आवश्यक हो जाता है कि इसमें कोई योजना हो। आप एक बोर्ड बना रहे हैं। बड़ी अच्छी भावना से वह बोर्ड बना रहे हैं लेकिन इस बोर्ड के बनते समय इसका यह जो अनिवार्य पहलू है यदि इस पहलू की तरफ ध्यान दिया होता तो मैं मान्यवर, बतलाऊं कि जहाँ आपने कर्त्तव्य निर्धारित किया है उस कर्त्तव्य क्षेत्र में भी कुछ विस्तार किया होता। इसके अलावा जिस तरह से परसोनेल की बात आपने की है, जो कम्पोजीशन बोर्ड का होगा उस कम्पोजीशन में एक अनिवार्य कमी रह गई है।

मैं माननीय मंत्री जी का एक ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और जानता हूं कि वह जानबूझ कर नहीं छोड़ा गया होगा, लेकिन संभव है कि आपका ध्यान उधर न गया हो। आप देखें कि एक आदमी भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो छात्र आयें चुनाव में उनका वह एप्टीट्यूड टु दि ट्रेड समझ सके। वह किस प्रकार की टेक्निकल एजूकेशन में अच्छे सिद्ध हो सकते हैं, इस प्रकार की सलाह देने वाला कोई व्यक्ति बोर्ड में नहीं रखा गया है। यदि माननीय मंत्री जी इस बारे में कुछ बतला सकें तो ठीक है.....

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैंने श्रीमन्, बतलाया कि इसमें सब कमेटियां रखी गयी हैं और वे अलग-अलग कामों के लिये होंगी। आप सेलेक्शन के लिये जो सब कमेटी बनायेंगे उसमें टेक्निकल आदमियों को को-आप्ट कर सकेंगे। हम उनमें बाहर से लोग ले सकेंगे। इसके कांस्टीट्यूशन में यह है कि बाहर के लोग जो सर्विस में रहते हैं विभिन्न विभागों की या जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के लोग हैं, ऐसे लोग बोर्ड में आलरेडी काम कर रहे हैं। सिर्फ इसको एक लीगल शेप दी गयी है। लेकिन यदि सदस्यगण चाहें तो बैठ कर इसको देख सकते हैं। हमने वहाँ भी इस पर काफी बहस की है और यहाँ भी कर सकते हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जैसा प्रस्ताव है अगर वह पूरा का पूरा मान लिया जाय, पारित कर दिया जाय तो क्या हर जगह उसका भाष्य करने के लिये मंत्री जी पहुंचा करेंगे? हर बार उनको उसका भाष्य करने के लिये खड़े होना पड़ा है। तो इसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने स्वयं ही कहा था कि स्पष्टीकरण हो जाय तो अच्छा है इसलिये वह खड़े हुये थे।

श्री रामायणराय—मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में एक सूचना प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस तरह के कामों से गड़बड़ी हो सकती है। मैं तृतीय योजना की रूपरेखा पढ़ रहा था। मैंने देखा कि इस समय एग्रीकल्चर कालेज खोलने की एक होड़ लगी हुई है और उसमें मैंने यह पढ़ा कि तृतीय योजना के पूरा होते-होते एग्रीकल्चर के स्नातक हमारी आवश्यकता से अधिक हम को उपलब्ध हो जायेंगे। माने, काफी बेकार होने लगेंगे इसलिये कि एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ आदमी क्लर्क तो नहीं बन सकता। वे तो एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो जहाँ हम एक विशेष प्रकार की शिक्षा देने जा रहे हैं वहाँ नियोजन आवश्यक है। जनरल एजूकेशन आप चाहे जिस प्रकार चलाइये, एक बी० ए० या एम० ए० किया हुआ व्यक्ति क्लर्क भी हो सकता है और डिप्टी कलेक्टर भी, लेकिन जब टेक्निकल एजूकेशन का सवाल आता है तो उस से संबद्ध सभी बातों को हमें सोचना पड़ेगा। उसमें रोजगार का सवाल लाजमी है। जो लोग उसमें लगें उनके ऐप्टीट्यूड को देखना लाजमी है, आगे उनका भविष्य क्या होगा यह भी देखना होगा और इन बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान होना चाहिये। आपने यह भी कहा कि बोर्ड की उपसमितियां होंगी। मैं साफ-साफ कह रहा हूं कि इस बोर्ड के अन्दर १ आदमी होना चाहिये जो कि वोकेशनल गाइडेन्स के बारे में कोई जानकारी रखता हो, ऐप्टीट्यूड हो।

तो ऐसे लोग आपके पास मौजूद हों जिससे समय-समय पर इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोग आपको मिलते रहें। वह लोग ऐसी कठिनाई महसूस करते हैं। संभव है कि वह आपके पास नहीं पहुंच पाते हों। कुछ कारण इसके भी हो सकते हैं। तो विशेषज्ञों का होना मेरी समझ में नितान्त आवश्यक है।

मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी टेक्निकल एजूकेशन का आज जो भी स्वरूप है उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन उस टेक्निकल एजूकेशन में भर्ती का जो ढंग है और साथ ही साथ उसमें जो आप स्कालरशिप्स देते हैं वह आज की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। आखिर में कौन लोग जाते हैं इस दिशा में? मैं जानता हूं मान्यवर, बड़े-बड़े प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। वह चाहते हैं टेक्निकल एजूकेशन लेना लेकिन जो परसेन्टेज आपका स्कालरशिप्स का है और आपका मेथड आफ एडमिशन है वह ऐसा खर्चीला पड़ता है कि अगर आप चाहेंगे तो मैं स्पेसेफिक उदाहरण इसके लिये दे दूंगा। इसलिये मेरा कहना यह है कि बोर्ड बनें, ठीक है लेकिन इससे संबद्ध बड़े-बड़े प्रश्न हैं विद्यार्थियों के संबंध में, काम करने वाले अध्यापकों के संबंध में और फिर उस टेक्निकल परसोनेल के संबंध में, इन प्रश्नों पर भी आप जरा दृष्टिपात करें तब मेरा सवाल हल हो जायगा। अन्त में मैं फिर माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस बोर्ड जिसकी आपने स्वयं सूचना दी अगर आप यह मानते हैं कि यह परीक्षा लेने वाला बोर्ड हो तो यह ठीक है कि केन्द्रीय लेबर डिपार्टमेन्ट कुछ सहायता देकर प्रशिक्षण चलाता है। तो अपने अधीन वह चलाये। लेकिन जहां तक परीक्षा पद्धति का प्रश्न है उसमें काम करने वाले कौन लोग होंगे और कैसे होंगे, इसका सवाल है। मेरा कहना यह है कि जब तक इन पर बोर्ड का नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस क्षेत्र में पुनः अराजकता बनी रहेगी। तो मजबूर होकर मैं इस शब्द को बारबार दोहरा रहा हूं। अगर आप चाहेंगे तो ब्योरे से बता दूंगा। मैं और ज्यादा समय सदन का नहीं नष्ट करना चहता हूं। मेरा कहना यही है कि इस एनामोली और एनारकी को कम किया जाय। उस बोर्ड के कम्पोजीशन में कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाय कि जिसके कारण यह बोर्ड अधिक व्यापक और विस्तृत हो सकेगा। वह अपने उद्देश्य को अधिक सफलता से हासिल कर सकेगा। जो खतरा अब तैयार है उसको समाप्त कर भविष्य के लिये कुछ योजना अपने सामने रखें। यह ज्यादा हितकारी होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक आज सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और टेक्निकल एजूकेशन प्रदेश के अन्दर बढ़े और जल्दी से जल्दी उसके द्वारा अपने प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा मिल सके। यह एक बहुत स्वागत करने का विषय है। परन्तु मैं चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और जैसा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं कि कुछ आवश्यक संशोधन हों तो वह भी पूर्ण कर लिये जायें। मैं प्रवर समिति की बात कहता हूं, चूंकि अधिक समय सदन का न लगे, मैं इसको थोड़े में ही कहूंगा और समाप्त करने की चेष्ट करूंगा।

पहली बात तो प्रवर समिति में क्यों भेजना चाहिये इस पर कहूंगा कि जिस बोर्ड के कान्सटीट्यूशन के बारे में कहा गया उसमें ३७–४० के करीब सदस्य हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर विचार किया जाय तो इनमें २–४ ही इलेक्टेड आदमी हैं, बाकी नामिनेटेड, पदेन या सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसे ही सारे पदाधिकारी हैं और इतना ही नहीं, सब सदस्यों को फिर से कोआप्शन करने का अधिकार भी दे दिया गया है। यह एक विचित्र सी बात है कि सरकारी अधिकारियों को भी हाथ उठा कर वोट देने की बात चलती चली जा रही है, यह उचित नहीं है। इसका विधान होना चाहिये। ऐसा परिवर्तन होना चाहिये कि इलेक्टेड मेम्बरों की संख्या अधिक हो जाय जिससे उनका सीधा उत्तरदायित्व हो जाय।

दूसरे, विधेयक के बारे में यह देखने में आता है कि किस प्रकार की शिक्षा दी जाय, यह नियमों द्वारा तय होगा। किस तरह से भर्ती किये जायेंगे, यह भी नियमों द्वारा होंगे।

[श्री रक्षपालसिंह]

इससे आभास नहीं होता कि यह कितना व्यापक है और किन-किन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला और किस प्रकार की शिक्षा देने वाला विधेयक है। जो प्रशिक्षण होंगे वह किस ग्रेड और स्तर के होंगे और इंजीनियरी करने के बाद जो ग्रेड या डिप्लोमा होगा तो प्रथम डिप्लोमा को प्राप्त करने वाला किस-किस काम को कर सकेगा, इसका उल्लेख होना चाहिये। जैसा कि उल्लेख किया, इसमें से एक लेबर का रिप्रेजेंटेटिव भी जरूर होना चाहिये था और नौकरी दिलाने की जो बातें होती हैं उनका भी इसमें समावेश किया जा सकता था। आखिर में मैं यह कहूंगा कि जो टेक्निकल एजूकेशन सरकार की ओर से दी जाती है यह महत्वपूर्ण तो है ही, सरकार का उत्तरदायित्व भी है और मैं प्रार्थना करूंगा कि टेक्निकल एजूकेशन को जहाँ तक संभव हो सरकार की तरफ से सब निःशुल्क या ज्यादा से ज्यादा सहायता देते हुये दी जा सके, उसकी व्यवस्था विधेयक में होनी चाहिये थी। इन कारणों से मैं प्रार्थना करूंगा कि इसको एक प्रवर समिति में भेज करके थोड़े ही समय में उस पर चर्चा करते हुये उसको पूर्ण कर लिया जाय। मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है इस पर बहस की जा सकती है और उसकी काफी गुंजायश है, लेकिन जैसा कि इधर के सदस्यों ने कहा और उसका व्याख्यात्मक जो प्रवचन श्री मंत्री जी ने किया उन दोनों को मद्दे नजर रखते हुये मैं जरूर इस बात को महसूस करता हूं कि यदि आप चाहें तो इस सदन को आधे घंटे के लिये या ४५ मिनट के लिये एडजर्न कर दें और जो लोग दिलचस्पी लेते हैं, एक साथ बैठ कर इन चीजों पर बहस कर लें और सबकी मिली-जुली एक राय से बिल प्रस्तुत कर दिया जाय और पास कर दिया जाय।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—हम तो तैयार हैं, ऐडजर्न कर दीजिये, बैठकर बात कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—हाउस क्यों ऐडजर्न हो, दूसरा बिल ले लिया जाय, आप बात कर लें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—उचित हो यदि इस पर वही सदस्य बोलें जिन्हें टेक्निकल एजूकेशन का ज्ञान हो।

श्री उपाध्यक्ष—यहाँ जितने माननीय सदस्य हैं सबको बोलने का अधिकार है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, माननीय शर्मा जी क्या चाहते हैं, यह हम समझ नहीं पा रहे हैं, समझा दें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—श्रीमन्, मैंने बार-बार यह निवेदन किया है कि यह बिल नान-कन्ट्रोवर्शियल है और इसमें कोई बहस करने की गुन्जायश नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर माननीय सदस्य इसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं, उनकी कुछ शंकायें हों, तो हम आपस में बैठ कर बात कर लें और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर इस बिल में कोई चीज और ऐडजेस्ट करने की जरूरत होगी तो वह कर दी जायेगी। मुझे उसमें कोई एतराज नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष—अगर दोनों पक्ष राजी हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा सदन को स्थगित करने के लिये। जितने समय के लिये प्रस्ताव हो, स्थगित कर दिया जाय।

श्री उग्रसेन—इस पर जो माननीय सदस्य विचार करना चाहें सदन के बाहर विचार कर लें, तब तक अगला कार्य ले लिया जाय ताकि सदन का समय व्यर्थ में नष्ट न हो।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—माननीय उग्रसेन जी ने जो बात फरमायी है, वह बहुत मुनासिब है। बजाय इसके कि हाऊस आधा घंटे के लिये स्थगित हो, माननीय सदस्य इधर उधर जायं, यह उचित होगा कि अगला कार्य ले लिया जाय और इस बिल को बाद में ले लिया जाय। जिन लोगों को इसमें दिलचस्पी है वे आज बैठकर मंत्री जी से बात कर लें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह ठीक है, अगला बिल ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—तो अब चूंकि सदन की यह राय है, यह बिल बाद को लिया जायेगा, इसके बाद वाले बिल पर अब विचार होगा।

*उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) संशोधन विधेयक, १९६२

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ (The Uttar Pradesh Weight and Measures (Enforcement) Amendment Bill, 1962) पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत मामूली सा संशोधन विधेयक है। जब से यह वेट्स और मेजर्स प्रचलन में आये हैं तब से जो अनुभव हमें प्राप्त हुये और जो दिक्कतें सामने आयीं उनके आधार पर कुछ संशोधन किये गये हैं। कुछ बातें इसमें से निकालने की हैं और कुछ का स्पष्टीकरण कर दिया गया है। इससे लोगों को लाभ ही होगा, कोई हानि नहीं होगी। एक जगह इसमें व्यापार अथवा वाणिज्य के क्या अर्थ होते हैं उसका स्पष्टीकरण किया गया है। इससे लाभ ही होगा। दूसरी जगह यह संशोधन किया है कि एक प्रतिबन्धात्मक खंड को निकाल दिया गया है जो कि सोना, चांदी या रत्न आदि के संबंध में है। उसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी है। एक जगह यह संशोधन है कि हमने जहां, "स्टील यार्ड" शब्द लिखा था उसके असली मानी डंडी से थे और उसी को हमने और स्पष्ट कर दिया है। किसी भी बिल के सर्कुलेशन से तो आपका तात्पर्य यही होता है कि वह विधेयक साफ हो। उसमें भ्रम की कोई गुन्जायश न हो। इस संशोधन बिल द्वारा हमने विधेयक को और स्पष्ट ही किया है ताकि कोई भ्रम की गुन्जायश न रह जाय। जो फैसला हमने लिया है वह अनुभव के आधार पर ही लिया है। अब अगर सर्कुलेशन के आधार पर इसको और जटिल बनाना हो तो बात दूसरी है। मैं समझता हूं कि माननीय कल्पनार्थसिंह जी बड़े समझदार आदमी हैं, सारी बातों को समझते हैं और वह आग्रह नहीं करेंगे कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय।

***श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)**—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय खाद मंत्री जी की बातें सुनीं। उन्होंने मूल विधेयक में संशोधन की बात रखी क्योंकि कुछ गड़बड़ी थी। अब वह इस संशोधन के बाद उसे बहुत ही शुद्ध विधेयक या अधिनियम बना देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके द्वारा उनसे और सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो इस प्रदेश और देश में अंग्रेजीकरण हो रहा है हर बात का, जरा ये लोग बतावें कि कितने लोग किलोमीटर, किलोग्राम, मिलोग्राम समझते हैं? ....

श्री उपाध्यक्ष—अपना संशोधन आप पेश कर रहे हैं या नहीं?

श्री कल्पनार्थसिंह—पेश कर रहा हूं। मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६२, को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक पखवारे में अपनी रिपोर्ट दे दे तथा समिति को विधेयक का अधिकार-क्षेत्र बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त हो।" जब मैंने यह देखा कि यह संशोधन सदन में

---

*१५ अक्तूबर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथसिंह]

प्रस्तुत हुआ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस अधिनियम की मूल धाराओं पर, उसके उद्देश्यों पर, और सभी बातों पर इस सदन को विचार करने का अवसर प्रदान होगा। इस विधेयक में मुख्यतः २, ३ बातें निहित हैं जिनकी तरफ आपके द्वारा में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मिलोमीटर, किलोमीटर, मिलीग्राम और किलोग्राम ये जितने नाम हैं, इन पर मुझे सख्त ऐतराज है। लेकिन मैं कहता हूं, चाहे कोई कहे या न कहे, कि अगर दर्जी न बतावे या बनिया न बतावे कि कुर्ते में कितना कपड़ा लगेगा, तो माननीय सदस्य लोग स्वयं नहीं बता सकेंगे कि उनके कुर्ते में कितने मिलीमीटर या किलोमीटर कपड़ा लगेगा। मैं एक ही बात सुना करता था कि ग्राम है जिसमें लोग निवास करते हैं। लेकिन अब यह एक अजीब ग्राम फैल गया है। मैं पूछने लगा कि किलोग्राम, मिलोग्राम, कहां रहते हैं, तो पता चला कि मंत्रीजी ने, इस सरकार ने, यह सब भेज रखा है। इसका कहां पता लगावें कि कौन जिला और कौन डाकखाना है? देहाती आदमी और निरा देहाती, निरक्षर भट्टाचार्य। तो मंत्री जी जरा उन व्यापारियों को अच्छी तरह से समझा दें कि अगर गरीब किसान मजदूर आवे, देहाती आवे, और बेपढ़ा आवे तो उसके तोल में गड़बड़ मत करना। माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन दे सकेंगे? सोने की तोल की तरफ मंत्री जी की निगाह गई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज खरीदार लूटा जा रहा है इस किलोमीटर और मिलोग्राम के चक्कर में। कुर्ता बनवाने के लिये जाइये तो कह देगा कि ३ गज नहीं लगेगा, ३। मीटर लगेगा। दर्जी कुछ और कहेगा और दूकानदार कुछ और कहेगा। चार बार वह दर्जी की दूकान पर जावेगा और ४ बार दूकानदार के यहां दौड़ेगा। हमने एक दूकानदार से कहा कि आप हमें क्यों दौड़ा रहे हो, तो उसने कहा कि मैं क्या जानूं, आप जितना कहें मैं उतना कपड़ा फाड़ दूं, मुझे पता नहीं कि कुर्ते में कितना लगेगा और जाकट में कितना लगेगा। यह नामकरण की बात मैंने कही।

अब प्रचलन कैसा है? पहली अक्तूबर से इस सरकार ने गज वगैरह की नाप बन्द कर दी। यह नहीं सोचा कि क्या इन सारी बातों का समुचित ढंग से प्रशिक्षण जनता को हो गया है या नहीं। नया पैसा चला, उसका नाम कुछ दूसरा नहीं रखा गया। पैसा हिन्दुस्तान का आदमी समझता है। रुपया भी समझता है। अगर कोई दूसरा नाम रखा होता तो यह बतलाया गया होता कि छंटाक इतने का होगा, तोला इतने का होगा, माशा इतने का होगा, मन इतने का होगा, तो बात समझ में आती। देहाती आदमी ने १ आने को समझ लिया कि ५ नये पैसे और १ छोटा पैसा रख दें। २ आने को समझ लिया कि १० नये पैसे और २ छोटी टिकिया रख दें। मंत्री जी जरा पता लगाने की कोशिश करें और अपनी ओर के माननीय सदस्यों से ही पता लगावें। दूर जाने की जरूरत नहीं है। वह पता लगावें कि व्यापारी के द्वारा जाने या अनजाने, दोनों ही उसमें शामिल हैं, खरीदार लूटा जा रहा है या नहीं। अगर लूटा जारहा है तो मैं निवेदन करूंगा कि उसे आप इस लूट से बचाइये। आप उस लूट को बन्द करिये। आपकी जिम्मेदारी है अगर इस प्रकार की खरीदार की लूट होती है। सुना है मैंने कि एक टैक्स आप वापिस लाने वाले हैं, मुबारकबाद है सरकार को। शायद अर्से बाद कुछ समझ में आया। लेकिन जितना टैक्स लगा रखा है वही क्या कम है? तो आप एक तरफ से लूट रहे हैं और बनिये को कहते हैं कि तुम दूसरी तरफ से लूटो। तो सरकार जरा बचावे। सामान खरीदने जाओ और बनिये से पूछो कि यह क्या बाट रखा है तो वही किलोग्राम और मिलोग्राम का नाम वह लेना शुरू कर देता है और जब देहाती किसान अपना गल्ला उसे बेचे तो वह कोई आदमी वहां बैठावे कि बनिया कैसे बाटों से तोलता है, इसे देखे और जब खरीदने जाय तो भी निगरानी के लिये एक आदमी और बैठाया जावे जो उसे देखता रहे। नहीं तो घर लाकर तोलो।

एक शख्स बाजार से एक बनिया से एक सामान लाया। जब उसने घर लाकर उसको तोला तो वे जो एक रुपये के थे उसमें से एक पाव कम हो गये। जब वह दूकानदार के पास फिर गया तो उसने कह दिया जितने होने चाहिये थे उतने ही हैं। उसने मुझसे कहा कि यह बनिया तो बाट ही नहीं बता रहा है। पता नहीं कौन-सी भाषा बोल रहा है। मैंने कहा गलती

बनिये की नहीं है वह तो जो सरकार बताती है वही बोलता है । तो मेरा कहना यह है कि मंत्री जी को हिन्दी का कोई शब्द ही नहीं मिला था । ७ समुन्दर पार से इन शब्दों को उठाकर वे लाये हैं । आज के किसान की कौन कहे, उसकी ७ पुश्त तक उसको न समझ पायेंगी । मेरी तो इच्छा यह थी कि मंत्रीजी लोगों को इस लूट से बचाते और इस पर जनता की राय जानने के लिये इसको जनता में घुमाते । तब उनको मालूम होता कि उसके पक्ष में कौन-कौन हैं । हो सकता है मंत्री जी और उनकी सरकार के कुछ लोग उसके पक्ष में हों । अगर मंत्री जी इस अव्यवस्था को दूर कर दें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी । माननीय शांति प्रपन्न जी ने बड़ी स्वस्थ परम्परा डाली कि वे बातें करके इस विधेयक को बाद में लायेंगे । माननीय मंत्री जी इसको प्रवर समिति में न भेजें लेकिन इसके ये नाम जरूर बदल दें । जब तक वे नाम नहीं बदलते तब तक मैं यह कहने के लिये मजबूर हूं कि जिस मेरी समझदारी का मंत्री जी ने हवाला दिया वह बहुत दूर जाकर बैठ जाती है । आशा है माननीय सदस्य और मंत्री जी मेरी इन बातों पर गौर करेंगे । इन शब्दों के साथ में अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—अभी माननीय कल्पनार्थसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें काफी सचाई है । आज इस सदन में काफी दिनों के बाद सद्भावनापूर्ण वातावरण लाने की परम्परा डाली गयी है उसको वास्तविक रूप देने के लिये मैं सदन में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे कोई वादविवाद खड़ा हो । यह सत्य है कि इस बाट प्रणाली को किसान तो क्या वर्षों तक बुद्धिजीवी लोग ही न समझ पायेंगे । मैंने स्वयं जब बाट इंसपेक्टर से बहुत देर तक बातें की तब चौथाई में समझ पाया । मेरी समझ में नहीं आता कि भारत की इस निराली संस्कृति पर क्यों प्रहार किया जा रहा है । इस विदेशी पद्धति को भारत में लागू करने के लिये बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा । कानून बनाकर भले ही आप उनके ऊपर थोप दें लेकिन इससे एक बड़ी अव्यवस्था पैदा हो जायगी, इसको माननीय मंत्री जी को अवश्य मान जाना चाहिये । आज हम क्या कहें, जिस वक्त इन बाटों के नाम सामने आते हैं, उनके नाम गिनने में किसान, मजदूरों का चक्कर में पड़ जाना तो स्वाभाविक ही है लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वे भी चक्कर में पड़ जाते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि इस नयी बाट प्रणाली में आसानी क्या है । मैंने नयी प्रणाली के इतिहास को पढ़ा है और पुरानी प्रणाली के इतिहास को भी पढ़ा है.....

श्री उपाध्यक्ष—असल में जो यह बिल है, उस ऐक्ट में कुछ शब्द जो आये हैं उन्हीं का इसमें एक्सप्लेनेशन है । बाकी जो आपने फरमाया है, वह बात तो सही होगी लेकिन इस बिल से उसका कोई संबंध नहीं है ।

*श्री राधेश्याम शर्मा—श्रीमन्, मैं तो इस विधेयक की परिधि यानी इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की बात कह रहा हूं । वैसे तो मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं परन्तु मैं फिर सदन के सामने और माननीय मंत्री से एक प्रार्थना करता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करने के लिये अगर इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिये । जैसे अभी एक माननीय मंत्री महोदय ने कुछ सदस्यों के सुझाव को मान कर उस समस्या के हल करने की बात रखी है, उसी तरह से वे भी इस समस्या के हल करने का सुझाव रखें तो उससे इस सदन में और ज्यादा सहयोग कायम होगा । हम तो इस विचार के हैं कि सदन के अन्दर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये जो कि विवाद का विषय हो । अगर इस तरह का कोई विवाद उठे और उस पर इस सदन में विचार न हो तो निहायत अच्छा है ताकि एक सद्भावना का वातावरण बना रहे । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री कल्पनार्थसिंह जी, आपको कुछ कहना है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, जब सारा सदन मेरी बात से सहमत है तो जवाब देने की क्या जरूरत है। अगर मेरे प्रस्ताव के विरोध में कोई बात कही जाय तो मैं उसका जवाब दूंगा, अपने इस हक को मैं सुरक्षित रखता हूं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कल्पनार्थसिंह व अन्य साथियों ने इस पर जो अपने विचार व्यक्त किये, मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं, मगर जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा कि यह जो सद्भावना का वातावरण बना हुआ है, इसमें किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिये, इसलिये मैंने यह उचित नहीं समझा कि बीच में कोई आपत्ति करूं। जब यह मूल अधिनियम विधेयक के रूप में यहां प्रस्तुत हुआ था तो उस समय दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश मुझे ही इसे यहां रखने का मौका प्राप्त हुआ था। चूंकि इसमें मीटर, किलोमीटर आदि शब्द आये हैं इसलिये मैंने दुर्भाग्यवश की बात कही। मेरी दिक्कत यह थी कि जब यह मूल अधिनियम एक विधेयक के रूप में यहां पेश हुआ था तो उस वक्त विरोधी दल के सदस्यों ने व मेरे दल के सदस्यों ने भी इस पर आपत्ति की थी। इस मौके पर मैं आपको यह भी बतला देना चाहता हूं कि इस विधेयक के आने से पूर्व यह तीन चार साल पहले की बात है—हमारी गवर्नमेन्ट ने यहां से केन्द्रीय सरकार को लिखा था कि बाटों के नाम निश्चित करने में हिन्दी भाषा के शब्दों का ही प्रयोग किया जाय, मगर केन्द्रीय सरकार ने एक ही नमूने का प्रयोग समस्त प्रदेशों में कराया है। उन्होंने कहा कि सारे देश के अन्दर एक ही नाम का प्रयोग होना चाहिये क्योंकि अगर एक जगह एक नाम हो और दूसरी जगह उसका दूसरा नाम हो तो उससे कठिनाई उपस्थित हो जायगी। उन्होंने अपना एक पैटर्न बना कर दे दिया और उस पैटर्न के बारे में मैंने निवेदन किया था कि यह एक नमूना वहां से आया और उसी के अनुसार ड्राफ्ट पेश किया गया। सवाल यह हो सकता है कि जब काम चल रहा था तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई। ज्यों-ज्यों देश में औद्योगीकरण होगा त्यों त्यों आगे चलकर कठिनाई हो सकती थी इसलिये यह सोचा गया कि देश की पूर्ण रूप से औद्योगिक उन्नति होने से पहले ही इसे लागू कर दिया जाय।

दूसरे वह लूटने की बात कहते हैं कि व्यापारी उपभोक्ताओं को लूटते हैं। लेकिन मैं उन को बता दूं कि उपभोक्ताओं की इस दिक्कत से प्रेरित हो कर ही यह कानून लाया गया था। यहां परिस्थिति यह थी कि हर जिले और हर कस्बे में अलग-अलग तरह-तरह के बाट और तौल प्रचलित थे और बाट जो बरसों से घिस गये थे उन को इस्तेमाल किया जाता था और कम तौल होने से पहले कोई सजा निर्धारित नहीं थी। अगर यह मूल विधेयक होता तो सद्भावना के खयाल से आपकी बात हम कुछ सुन लेते और घंटे भर के लिये विचार के लिये एडजर्न कर के बैठ जाते और कोई नतीजा निकालते और सब के एतराज सुनते। यह मूल ऐक्ट नहीं है और अगर हम इसको वापस भी लें तो इससे जनता का कोई लाभ न होगा और न परिधि बढ़ाकर सरकुलेट करने से ही कोई नतीजा निकल सकता है। मूल ऐक्ट में हम आमूलचूल परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? तो इसको आल इंडिया पैटर्न पर लाया गया है और अगर वह हवाई जहाज पर सवारी करें और हम टट्टू पर चलें तो हम कैसे अपने को एडजस्ट कर सकते हैं? अगर हम इस पृष्ठभूमि में देखें तो हमारे सामने और कोई चारा नहीं है। हां, सारे देश में आप नया पैसा कहते हैं, इसी प्रकार के नाम होते हमारी भी यह राय थी लेकिन चाहे कोई भी कारण हो, केन्द्रीय सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसके बाद हम ने उसी पैटर्न पर मूल विधेयक प्रस्तुत किया और सब ने इसको माना और समझा और उस वक्त आज से तीन-चार साल पहले इसे दस शहरों पर लागू किया गया था।

जहां तक व्यापारियों की लूट की बात है, मैं आप से बता दूं कि हमने हर माननीय सदस्य की सेवा में पहले ही कनवर्जनटे बिल्स भेजे थे और वह हर जगह पर टंगे रहते हैं, अखबारों में भी दिया जा चुका है। जिन में किलोग्राम, मन और क्विन्टल आदि का अन्तर और वजन सब दिया हुआ है। पहले १० शहरों पर ही लगाया गया था और अब उस को अनिवार्य किया जा रहा है।

पहले यह होता था कि दादा ने एक बार बाट खरीद लिये और सेर घिसकर छटांक भी न रहा लेकिन इस्तेमाल होता रहा। लेकिन अब हमने हर दो साल बाद वर्किंग स्टैन्डर्ड के साथ बाटों को फिर से सील कराने की पाबन्दी रखी है। यह इसीलिये रखा गया है कि व्यापारी घिसे बाट रखकर जनता को लूट न सकें। इस तरह की गारन्टी इसमें है। केवल बुलियन या रत्नों के बाट के लिये हमने आवश्यकता नहीं समझी है। अब कामर्शियल ट्रान्जेक्शन का जहां तक सवाल है वह यह था अब तक जैसे लेबोरटरीज कामर्शियल ट्रांजैक्शन में नहीं आती हैं, तो अनुभव ने बताया कि शब्द की व्याख्या की आवश्यकता है। अगर आप समझते हैं कि सर्कुलेशन में जाने से नाम बदल सकते हैं, इस का क्लेरीफिकेशन ले लूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं था। लेकिन यह तो आल इंडिया पैटर्न है। आपने कहा एकदम से कैसे लागू किया जाय? अगर हम इसको पोसपोन कर सकते तो कर देते लेकिन सारे भारत में एक तिथि इसके लिये निश्चित है जब से यह चालू हो जायंगे, अनिवार्य हो गया है। एक शब्द आया वेट्स एंड मेजर्स में जिससे बाट जबरदस्ती पुराने जो रखे हुये हैं उनको अपनी परिधि में नहीं ले पाते थे और घपला पैदा हो रहा है इसलिये उसको स्पष्ट किया है। अगर हम इसको वापस ले लें तो व्यापारी और उपभोक्ता दिक्कत में पड़ जायेंगे।

पुरानी तौल में कहीं ४० की, कहीं ८० की और कहीं ९० की तौल थी। अब सब जगह एक सौ होगी। जहां तक भावनाओं का प्रश्न है, जो शब्द प्रयोग किये हैं वे मुझे भी रुचिकर नहीं हैं, मगर अन्तर्राष्ट्रीय दाशमिक प्रणाली को लिया है इसलिये यह नाम रखना उचित समझा गया। कल मैं पढ़ रहा था जब कांस्टीट्युएंट असेम्बली में भाषा पर वाद-विवाद हो रहा था तो न्यूमेरिकल्स अंग्रेजी में रखे गये। अतः वृहत् दृष्टिकोण हमें अपनाना पड़ता है। पैसे में तो सहूलियत थी १ रुपये में १०० पैसे कर दिया। इसमें कुछ दिक्कत अवश्य है। संसार के अधिक देशों में यही दाशमिक प्रणाली है और हमारा देश तो इस प्रणाली का जन्मदाता है इसलिये हमें इसको बुरा नहीं समझना चाहिये। मीटर को आप मतर कह सकते हैं जैसे सोशलिस्ट भाई रिपोर्ट को रपट कहते हैं तो अंग्रेजी शब्द को इस रूप में ढाल दीजिये, क्या बुराई है। इसमें यह कठिनाइयां हैं, अन्यथा मुझे सर्कुलेशन में भेजने से कोई एतराज नहीं था। पर हम इसका स्कोप बढ़ा नहीं सकते, नामों में परिवर्तन नहीं हो सकता और जब कुछ नहीं हो सकता तो इस इन्नोसेन्ट और इनोकुअस संशोधनों की मट्टी पलीत क्यों करा रहे हो? दूसरी बात यह रही कि जहां तक उसका सही प्रयोग हो उसके लिये कंवर्जन टेबिल को अधिक मात्रा में हिन्दी में ग्रामों में वितरण करने तथा प्रचार करने हेतु हम तैयार हैं और जो भाई कहेंगे जिस जिले के लिये उसके लिये उतने पर्चे भिजवा दिये जायेंगे और पूरी सहूलियत देंगे और यह कोशिश करेंगे कि कोई किसी को लूट न पाये और कोई किसी को दिक न कर पाये।

व्यापारियों की दिक्कत का भी खयाल हमें है। उनका एक डेपूटेशन मिला था। उन्होंने कहा कि तराजू जो होती है उसकी डंडी पर छेद नहीं है। अब तक यह था कि तोड़ कर शीशा भर मोहर लगाते थे। हमने कहा कि नये जो बनें उनमें छेद पहले ही बना लो लेकिन तोड़ने की वजह से एक्योरेसी का डर था इसलिये पेंच से काम चल जाय तो अच्छा है। तो इसे देखना चाहिये। लिहाजा व्यापारियों को और जनता को सहूलियत हम दे रहे हैं।

मैं समझता हूं कि गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है। अब इसका हाल्ट करना खतरे से खाली नहीं है। एक दम ब्रेक लगाने से जान का खतरा हो सकता है। आपका सुझाव बहुत सुन्दर था लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि उस विधान सभा में आप नहीं थे। बहुत मुमकिन था कि एक बार आप जोर डाल सकते, हमने भी लिखा और वह होता नहीं, और दिल की भड़ास निकाल सकते लेकिन अब रोने से क्या फायदा है। लिहाजा अब जैसा यह है इसे पारित करना ही उचित होगा और जो सद्भावना और सुन्दर वातावरण हमारे सदन के अन्दर तथा बाहर मौजूद है उसके अनुसार मुझे कोई आपत्ति न होती अगर आपका सुझाव मानने की स्थिति में होता तो उसे अवश्य मान लेता। आप कहते कि इसे वापस ले लो तो वापस ले लेता। लेकिन इससे जनता को ही कष्ट होगा। अगर सर्कुलेशन में करने से कोई फायदा होता तो कोई जिद न करके आपकी बात को मान लेता। मैं आशा करता हूं कि कल्पनाथ जी इसे वापस लेंगे।

*श्री कल्पनाथसिंह—मैंने मंत्री जी की बात सुनी और पहले ही मैंने कहा था कि मैं अपना हक सुरक्षित रखता हूं अपनी बात कहने के लिये। इसलिये दो-चार शब्द जरूर निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो कायदे के खिलाफ हो जायगा। वैसे एक स्टेटमेंट देकर आप वापस ले सकते हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दिल में जो बात थी करीब-करीब माननीय मंत्री जी ने उन्हीं बातों का जिक्र किया। मैं यह जरूर समझता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट अंग्रेजी को बहुत अहमियत देती है और मंत्री जी की बात नहीं चली होगी लेकिन मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस सदन के खयालात पुनः केन्द्रीय सरकार को पहुंचा दें कि यह हमारा उनसे मौलिक मतभेद है।

एक बात की और अपील है कि केन्द्रीय सरकार तेज गाड़ी पर चढ़ी हुई है तो चढ़ी रहे लेकिन कोई कारण नहीं है कि आप उसका हिन्दी नामकरण यहां नहीं कर सकते। उसका पर्यायवाची उपयुक्त शब्द खोजा जा सकता है। कागज में जो अंग्रेजी शब्द वहां चलेगा उसका हिन्दी में पर्यायवाची शब्द उत्तर प्रदेश में चला करेगा। इससे कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन जब मंत्री जी के और हमारे खयालात वही हैं तो क्या कारण है कि आज उन्हीं की बात चला करे? गाड़ी बहुत दूर निकल चुकी है, ब्रेक लगाने में खतरा है, माना मैंने, लेकिन स्टेशन पर गाड़ी रुकती भी है। स्टेशन पर जरा विश्राम करिये, कोयला पानी लीजिये और तब चलिये। अगर देर भी हो जाय तो स्पीड जरा बढ़ा लीजियेगा, कोई परेशानी नहीं होगी।

मैंने पहले ही कहा था कि इन संशोधनों को देखने के बाद मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अपने खयालात को रखने का अवसर मुझे मिलेगा। जहां तक पार्लियामेंटरी प्रोसीजर का सवाल है, मैं तो उस अनुभव का दावा करता नहीं कि जो मंत्री जी या सरकार के दूसरे सदस्यों को हक प्राप्त है, उनको बहुत अवसर मिला है इस सदन की सेवा करने का, बहुत से लोगों की तो इसमें जिन्दगी ही कट गयी है, मुझे तो अभी जुम्मा-जुम्मा आठ ही दिन हुये हैं, लेकिन यह बात सही है कि इस संशोधन विधेयक के आने के बाद प्रसन्नता इसलिये हुई कि इस पर मेरे खयालात को मंत्री जी को जानने का मौका मिलेगा। यह भी है कि जब एक अधिनियम में संशोधन पेश किया जाय तो पूरे अधिनियम पर भी कोई संशोधन पेश किया जा सकता है चाहे वह सरकार द्वारा पेश किया गया हो या न किया गया हो। वैसे मंत्री जी चाहें तो कोई दूसरा संशोधन पेश कर सकते हैं और अगर सिद्धांततः मंत्री जी इस बात को उचित समझते हैं तो मैं अपना यह संशोधन वापस ले रहा हूं। लेकिन मंत्री जी कम से कम इस बात का आश्वासन दें कि अपने जिन खयालात का इजहार उन्होंने इस सदन में किया है उनकी पूर्ति के लिये वे फिर दूसरा संशोधन इस विधेयक में लायेंगे।

जहां तक लूट की बात है वह तो अपनी जगह पर है। ट्रांजीशन के पीरियड में वे चाहे जैसी भी टेबिल पेश करें देहात का साधारण आदमी जल्दी उसे समझेगा नहीं, लेकिन मैं उसको भी मानने को तैयार हूं अगर मंत्री जी के जो खयालात हैं उनकी पूर्ति के लिये वे स्वयं, एक-दो महीने बाद सही, संशोधन लाने का आश्वासन दे दें।

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Weight and Measures (Enforcement) Amendment Bill, 1962] पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खण्ड २—६

२—उत्तर प्रदेश बाँट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में—

नियम संख्या ५,१९५९ की धारा २ का संशोधन

(१) खंड (ञा) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय—

"(ञा ञा)" व्यापार अथवा वाणिज्य के व्यवहार में 'प्रयुक्त' का तात्पर्य—

(१) प्रतिफल (consideration) के बदले धन का मूल्य संक्रमित करने या देने के लिये, या

(२) किसी पथकर अथवा शुल्क के सम्बन्ध में भुगतान करने के लिये।

किसी ऐसे व्यवहार के लिये या उसके सम्बन्ध में प्रयुक्त से है जो ऐसा व्यवहार हो, जिसके सम्बन्ध में लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन धारणशक्ति या भार की माप में मात्रा का अवधारण किया जाये या उसकी घोषणा की जाये;" और

(२) खंड (ठ) में शब्द "लोहे के गज" के स्थान पर शब्द "दंड-तुला" रख दिया जाय।

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

उ०प्र० अधिनियम संख्या ५,१९५९ की धारा ३ का संशोधन

(क) उपधारा (१) में शब्द "और चाँदी, सोने तथा रत्नों के लिये कार्यमानकों के विशेष सेट तैयार किये जा सकते हैं" निकाल दिये जायं; और

(ख) उपधारा (४) में 'कोलन' के स्थान पर 'पूर्ण विराम' रख दिया जाय और उसका प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय।

४—मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

उ०प्र० अधिनियम संख्या ५,१९५९ की धारा १० का संशोधन

अमुद्रांकित व्यापारिक बाटों तथा मापों की बिक्री तथा प्रयोग का निषेध

"१०—कोई बाँट या माप अथवा तोलने या मापने का यंत्र तबतक व्यापार या वाणिज्य के किसी व्यवहार में न तो प्रयुक्त किया जायगा, न ऐसे प्रयोग के लिये बेंचा जायेगा या दिया जायगा, जब तक कि वह नियत रीति से परीक्षित अथवा पुनः परीक्षित न हो गया हो, तथा उसे निरीक्षक ने नियत रीति से परीक्षण मुद्रा से मुद्रांकित न कर दिया हो।"

५—मूल अधिनियम की धारा १२ तथा २५ से शब्द "व्यापारिक" निकाल दिया जाय।

उ०प्र० अधिनियम संख्या ५,१९५९ की धारा १२ तथा २५ का संशोधन

६—धारा २० के खंड (क) से और ४३ की उपधारा (२) के खंड (ग) से शब्द "व्यापारिक" निकाल दिया जाय।

उ०प्र० अधिनियम संख्या ५,१९५९ की धारा २० और ४३ का संशोधन

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २,३,४,५ और ६ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९६१

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ को संशोधित करने का;

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

(२) यह अधिनियम, उसकी धारा ५ को छोड़कर, तुरन्त प्रवृत्त होगा और उक्त धारा ५ ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगी जो राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, तदर्थ निश्चित करे ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Weights and Measures (Enforcement) (Amendment) Bill, 1962] पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान विधेयक, १९६२

श्रम उपमंत्री श्री (हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Shops and Commercial Establishments Bill, 1962) पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय ।

मान्यवर, इस विधेयक के संबंध में जब यह विधान परिषद् में स्वीकृतार्थ उपस्थित हुआ था तो काफी विचार-विनिमय हुआ था और मैं उस सदन के सभी दलों और सभी सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इसके संबंध में बड़े कृपापूर्ण शब्द कहे थे । मैंने यह बात इसलिये कही कि यह विधेयक एक ऐसा प्रोग्रेसिव मेजर है कि जिसके संबंध में और जिसकी मंशा के संबंध में सभी दलों और व्यक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है । इसको लाने के पहले जो हमारी श्रम कानूनों को बनाने की परम्परा है, उसके मुताबिक भी हमने इस विधेयक के संबंध में और सिद्धान्तों

---

*१८ अक्तूबर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है ।

के संबंध में त्रिदलीय समिति, श्रम मालिक, श्रम पूंजी और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ में बैठकर विचार कर लिया है और कई वर्ष के विचार-विनिमय के बाद और सदन की बारबार इस मांग के बाद और श्रमिकों की मांग के बाद, उस कानून में जिसको हटाकर, नये विधेयक के आने की बात हो रही है, उसमें परिवर्तन किया जाय, उनको ध्यान में रखते हुये और १४/१५ साल का जो हमारा अनुभव था और जो उत्तर प्रदेश का शाप्स एण्ड कमर्शियल ऐक्ट था, इस विधेयक की रूपरेखा और रचना पर बनाई गई है ।

हमने जो अनुभव किया था, चाहे इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के सिलसिले में रहा हो इस विधेयक के द्वारा हमने जो उसकी कमियां थीं उनको दूर करने की कोशिश की है । हमने चेष्टा की है कि श्रमिक की परिभाषा ऐसी बन जाय कि उसके अन्तर्गत कानूनी अड़चन की दिक्कत न आये, जो अब तक आया करती थी । हमने यह भी चेष्टा की है कि जो पुराना ऐक्ट था यानी जो आजकल है, उसकी एक धारा है कि जब मालिक चाहे एक महीने के नोटिस देकर श्रमिक को विदा कर देता था और इस धारा का काफी गलत इस्तेमाल हुआ । इसको हमने हटाने का प्रस्ताव इसमें किया है और कहा है कि अगर कोई मालिक किसी श्रमिक को हटाना चाहे तो उसे मौलिक और न्यायपूर्ण रास्ते से ही हटाया जा सकता है जिसको देश ने स्वीकार किया है यानी अगर उसने काम में कमी की हो, शरारत की हो, तो उसे मौका मिलना चाहिये साबित करने के लिये कि उसके ऊपर यह दोष आयद होता है, लागू होता है । इस तरह प्रिंसिपल आफ नैचुरल जस्टिस और जो दूसरी मान्यतायें हैं उनको इस बिल के द्वारा हमने स्थापित करने की चेष्टा की है । साथ ही जो स्त्रियां काम करती हैं उनको प्रसूती लाभ नहीं मिलता था । उन अधिष्ठानों में जिनपर कानून लगता है इस विधेयक के द्वारा चेष्टा की गयी है कि उनको प्रसूती लाभ दिलाया जाय ठीक उसी तरह से जैसे मैटर्निटी बेनिफिट दूसरे कानूनों में मिलने की व्यवस्था है साथ ही काम करने के घंटों और दूकानें कब खुलें और कब बन्द हों और खास तौर से उनका नियन्त्रण किया जाय, इसके संबंध में उचित व्यवस्था करने की चेष्टा की है । अन्त में मान्यवर, एक बात और इस विधेयक के संबंध में कहना चाहता हूं जो कि मेरी नजर में काफी उत्साहवर्द्धक बात हुई है और अच्छी बात हुई है और वह यह है कि श्रमिकों के लिये जो छुट्टियां थीं, सिक लीव, प्रिविलेज लीव और कैजुअल लीव, इस मद में बढ़ोत्तरी की गयी है । साथ ही केयरटेकर स्टाफ, वाच ऐंड वार्ड स्टाफ को छुट्टियां नहीं मिलती थीं, वह भी इसके द्वारा दिलाने की कोशिश की गयी है । मजदूरों की प्रमुख मांगें इस प्रकार इस विधेयक द्वारा स्वीकार की जा रही हैं । यह कहा जा सकता है कि यह सारा का सारा कानून श्रमिकों की बात ध्यान में रख कर लाया गया है । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो दबा है, कमजोर है, थका है, उसको राहत देने की कुछ चेष्टा की गयी है । यह मेरा दावा नहीं है कि सारी दिक्कतों को हमने दूर कर दिया है लेकिन मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा काफी मंजिल तय करने की चेष्टा की गई है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी । इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि यह सदन अपनी राय से हमें अनुगृहीत करेगा ।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान विधेयक, १९६२ को जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक पखवारे में अपनी रिपोर्ट दे और समिति को विधेयक का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त हो ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संबंध में यह निवेदन करना है कि मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको देखने के लिये, हम इस विधेयक की अन्तिम धारा से चलें, तो हमें पता चलेगा कि माननीय मंत्री महोदय के १४, १५ वर्षों के अनुभव और ज्ञान के बावजूद भी कोई बिल में श्रमिकों के लिये बड़े पैमाने पर अच्छी व्यवस्था नहीं की गई है । इसमें दिया है कि यूनाइटेड प्राविंसेज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरीशकुमार गंगावार]

शाप्स ऐंड कामर्शियल एस्टैबिलिशमेंट ऐक्ट, १९४७ निरस्त किया जाता है । जब मैंने पुराने बिल को देखा और इस नये बिल को देखा तो सिवा इसके कि कुछ स्त्रियों और बच्चों के लिये विशेष सुविधा दी गयी हो, परन्तु अधिकतर जो दूसरे कर्मचारी हैं उनके लिये कोई बहुत बड़ा फायदा इसमें मिलने वाला नहीं है जैसा कि मैं अभी सिद्ध करूंगा । इसीलिये मेरा निश्चित मत है कि यह एक प्रकार से मूल विधेयक हो गया है, बाट और माप वाले विधेयक को तो माननीय मंत्री ने यह कह कर उड़ा दिया था कि यह पहले डिस्कस हो चुका है और एक प्रासीजरल बात है लेकिन यह तो मूल विधेयक है और इसलिये इसको अवश्य ही प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

मान्यवर, इसमें सबसे पहले राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किन क्षेत्रों में कितनी धाराओं को लागू करे और किन क्षेत्रों में कितनी धाराओं को लागू न किया जाय । मेरा यह निवेदन है कि जब तक सम्पूर्ण प्रदेश में यह कानून एक साथ लागू नहीं होगा तब तक श्रमिकों का कुछ भला होने वाला नहीं है । जो कुछ भी हमको लागू करना है एक साथ लागू करना चाहिये और बीच में कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये । हां, एक बात मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे नगर या नगरियां या तीर्थस्थान या पर्यटक केन्द्र जो हों, ऐसे स्थानों पर तो हम इस नियम को रिलैक्स कर सकते हैं । लेकिन जैसी कि (बी) पार्ट में एक बहुत बड़ी सूची दी गई है भाग (ख) में ४६ ऐसी टाउन एरियाज और म्यूनिसिपल क्षेत्र हैं कि जिनमें धारा ४,५,६,७, तथा अन्य लागू नहीं की गई हैं, यह न्यायानुकूल नहीं है और श्रमिकों के हितों की इससे उपेक्षा होती है, उनको कोई लाभ नहीं होता । इसी प्रकार से यदि आप देखें तो इसमें छुट्टी की जो व्यवस्था की गई है, जो बन्दी के दिन के विषय में धारा है, धारा ८ की उपधारा (२) उसमें कोई निश्चित दिन नहीं रखा गया है । सरकार ने यह अपने हाथ में रिजर्वेशन रखा है कि चाहे जिस दिन को हम बन्दी का दिन कर दें और जैसा कि देखने में आया है मैं श्रीमन्, अपने अनुभव से बताता हूं कि ज्यादातर कर्मचारी रविवार की छुट्टी की मांग करते हैं, परन्तु हमारी सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पिछले ऐक्ट में यह अधिकार दे दिये थे कि वह अपनी सम्मति से और उसके साथ-साथ जो वाणिज्य प्रतिष्ठानों के प्रस्थापक हैं उनकी सम्मति से वह दिन निश्चित करेगा। उसमें कर्मचारियों की राय नहीं ली जायगी । वही अधिकार सरकार ने फिर अपने लिये सुरक्षित रखे हैं और जो एक दिन बन्दी का सामूहिक रूप से होना चाहिये उसकी जगह अलग-अलग दिन मुकर्रर होगा जैसा कि अब तक होता रहा है । आज भी जो प्रादेशिक दूकानदार कर्मचारी संघ का अधिवेशन हुआ उसकी यह मांग है कि हमें रविवार को छुट्टी दी जाय । तो सरकार को इसमें व्यवस्था करनी चाहिये थी कि रविवार को छुट्टी का दिन होगा और यदि रविवार के दिन किसी विशेष परिस्थिति में इंस्पेक्टर वगैरह को सूचना देकर कोई दूकानदार या वाणिज्य प्रतिष्ठान का प्रस्थापक दूकान को खुला रखना चाहे तो उसके एवज में फिर कोई छुट्टी वह देगा । इस प्रकार की कोई निश्चित व्यवस्था इस विधेयक में न होने के कारण श्रमिकों को वास्तव में नुकसान उठाना पड़ेगा और पिछले ऐक्ट के मुकाबिले इस ऐक्ट में श्रमिकों को इस मामले में कोई लाभ नहीं होगा ।

दूसरी बात यह है कि इसमें बराबर यह डिमांड की जाती रही कि दूकान के कर्मचारियों को स्थायित्व प्रदान करने के लिये कोई न कोई नियम होना चाहिये । इसमें इस बात की तो व्यवस्था की गई है कि कोई कर्मचारी बिना कारण निकाला नहीं जायगा, उससे पहले उसको नोटिस दी जायगी । परन्तु कोई कर्मचारी स्थायी रूप से कब खयाल किया जायगा, उसको परमानेंट कब माना जायगा, इसकी कोई व्यवस्था इस ऐक्ट में नहीं है, जो कि श्रमिकों के लिये सबसे अधिक नुकसानदेह है । यह व्यवस्था भी इसके अन्दर आनी चाहिये थी कि दो वर्ष तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात अगर किसी कर्मचारी की सेवा संतोषजनक हो तो उसको तुरन्त स्थायी कर दिया जाय और उसके लिये फिर एक अलग व्यवस्था उसको चालू करने की होनी चाहिये थी । इसी प्रकार से श्रीमन्, जितनी भी और नौकरियां हैं सब में स्थायी कर्मचारी होने के बाद बोनस, प्राविडेंड फंड की सुविधा दी जाती है लेकिन इन कर्मचारियों के लिये इस विधेयक में कोई सुविधा नहीं है । १४ साल तक गर्भ में रहा और १४ साल के बाद शुकदेव जी की तरह से बाहर आया

तब भी उनकी परिस्थिति के अन्दर इस रूप में कुछ अन्तर नहीं पड़ा । उनको प्राविडेंड फंड की सुविधा नहीं दी जाती है तो यह सुविधा न देना इस बात का सूचक है कि उनके साथ कोई बहुत बड़ा न्याय नहीं किया गया बल्कि अन्याय किया गया है और वही मिसाल है कि "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया" ।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, बाजार कर्मचारी संघ और बाजार कर्मचारी यूनियन आज बन गई है । आप स्वयं जानते हैं कि जब तक उनके पदाधिकारी या उनमें से एक दो व्यक्तियों की नौकरी सुरक्षित नहीं की जायगी तब तक वह लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इधर उन्होंने किसी प्रकार कर्मचारियों के हित में भाग लिया उधर दुकानदार या कारखानेदार उनको निकालने की कोशिश करते हैं । इसलिये यह आवश्यक था कि इसमें कुछ कर्मचारियों की नौकरी को स्थायी किया जाता जो उन कर्मचारियों के लिये लड़ते रहते और उनकी मांगों को प्रस्तुत करते रहते और मालिक उनका कुछ बिगाड़ न पाते जब तक कि उनकी कार्यवाही बहुत ही आपत्तिजनक और व्यवसाय के विरुद्ध न होती । इस प्रकार की बातों का इसमें अभाव है ।

इसके अतिरिक्त इसमें जो जुर्माने की व्यवस्था की गई है वह पहले १०० रुपया है और फिर अन्त में ५०० रुपये की व्यवस्था की गई है । इस प्रकार की जुर्माने की व्यवस्था से कोई विशेष प्रभाव मालिकों के ऊपर उस समय तक लाभकारी रूप में नहीं पड़ता जब तक हम कोई कार्यवाही व्यवस्थित रूप में नहीं करते । तो इस प्रकार की व्यवस्था इसमें नहीं है । इसमें धारा ३४ में १०० रुपये पहले और उसके बाद ५०० रुपये तक जुर्माने अगले अपराध में हो सकता है । जुर्माने की व्यवस्था अभी भी है । ५० रुपया जुर्माना लिया जाता है लेकिन मैंने इस विषय में सवाल भी पूछे हैं और उनका उत्तर अभी मुझे नहीं मिला है कि कितने ऐसे केसेज हुये । उत्तर प्रदेश में जब से यह ऐक्ट लागू हुआ जो जुर्माने के केसेज हों उसका उत्तर अभी नहीं मिल सका है । लेकिन मैं अपनी जानकारी के आधार पर बता सकता हूं कि ज्यादातर यह होता है कि उनके चालान कर दिये जाते हैं, लेकिन बाद में उनको यों ही छोड़ दिया जाता है या चालान बिलकुल ही नहीं किया जाता और चालान करते समय कर्मचारियों की कोई बात नहीं सुनी जाती । सीधे सीधे इन्सपैक्टर और दुकानदार का संबंध होता है । मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि जितने १९४७ से केसेज अब तक हुये हैं उनमें कोई कारण जरूर रहा होगा । उसमें कुछ न कुछ बात रही होगी । मेरी जानकारी यह है कि उनको कुछ दिया जाता है और उनको कुछ देकर श्रमिकों को हमेशा दबाया जाता रहा है और दूकानदार अपनी दुकानों को १०, ११ और १२ बजे तक रात में खोलते रहे हैं । उसमें उनका चालान तो किया गया लेकिन उनको कुछ नुकसान नहीं हो पाया है । यह मेरी जानकारी की बात है । ऐसी स्थिति में जब तक हम मजदूरों के लिये या कर्मचारियों के लिये कोई ऐसी व्यवस्था न करें कि जो सुव्यवस्थित हो तो उनको लाभ नहीं हो सकता है । मान लीजिये कि कोई इंस्पैक्टर महोदय या कोई अधिकारी चालान नहीं करता है और दुकानदार गैर-कानूनी तरीके से बरतता है बहुत देर तक खोले रहते हैं या कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं करते तो उनकी जो प्रतिनिधि संस्था यूनियन आदि हो, उसे उनकी तरफ से मुकदमा पेश करने का अधिकार होना चाहिये । इसके अतिरिक्त शाप्स ऐण्ड कमर्शियल झगड़ों को निपटाने के लिये कहीं न कहीं एक मैजिस्ट्रेट होना चाहिये । आज हमारे कर्ताधर्ता केवल इंस्पेक्टर्स हैं । वह चाहें तो मुकदमा चलायें चाहे तो न चलायें और उसमें समय लगता है । तो यदि एक मैजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया जाय और वह इसी विधेयक के अन्तर्गत कार्य करे और पूरे जिले के लिये एक हो जाय तो निश्चित रूप से इसमें कार्यवाही भी जल्दी हो सकेगी और जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी फैली हुई है वह भी समाप्त हो सकेगी । उसे अधिकार होना चाहिये कि वह केवल इंस्पेक्टरों द्वारा ही नहीं, वरन् श्रमिकों तथा कर्मचारियों द्वारा लाये गये मामलों की भी सुनवाई करे । इससे न केवल श्रमिकों का लाभ होगा, बल्कि इंस्पेक्टरों को काम में भी सहूलियत होगी इसलिये कि वे हर समय हर जगह नहीं पहुंच सकते । इसलिये एक मैजिस्ट्रेट की आदलत की स्थापना इस विधेयक में होनी चाहिये थी तभी श्रमिकों के साथ न्याय हो सकता है और उसे अधिकार होना चाहिये कि वह श्रमिकों की संस्था द्वारा उठाये गये मामलों को सुन सके ।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

इसके अलावा जैसा यू०पी० शाप्स ऐंड कामर्शियल इस्टैबलिशमेंट ऐक्ट निरस्त किया गया था उसमें एक बड़ी भारी कमी थी और वह यह कि इंस्पेक्टरों के चालान पर ही मामले निर्भर करते थे । मैं समझता हूं कि इस विधेयक में अवश्य ही ऐसी व्यवस्था होगी जिससे कि श्रमिकों को न्याय मिल सकेगा । मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि इंस्पेक्टरों का दूकानों से १०, १५ और २० रुपया महीना बंधा रहता है और इसलिये उनका चालान नहीं होता, होता भी है तो फर्जी चालान होता है, बाद में वह कागज फाड़ दिया जाता है । मैं चाहता था कि इस विधेयक में मोबाइल कोर्ट्स का इन्तजाम किया जाता । वह मैजिस्ट्रेट एक्सक्लूसिवली इस काम के लिये रहता और उसकी ड्यूटी होती कि शाम के समय जब कि लोग ज्यादा देर तक दूकानें खोले रहते हैं और कर्मचारियों को परेशान करते हैं उस समय दो, तीन सिपाहियों, एक दो इंस्पेक्टर्स और आवश्यक सामान सहित टाउन एरियाज में, म्युनिसिपैलिटीज में दौरा करते और जिस व्यक्ति को इस ऐक्ट की खिलाफवर्जी करते देखते उस पर तुरन्त मुकदमा चलाया जाता और वहीं निर्णय दे दिया जाता तो यह भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता था । एक मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति में हमारा ज्यादा नुकसान नहीं होता और श्रमिकों को यह सुविधा दे कर हमको जो लाभ होता उसके मुकाबले में वह धन विषयक नुकसान में यह कहने के लिये तैयार हूं कि कम ही पड़ता । और मैं समझता हूं कि सदन भी मेरी इस बात को महसूस करेगा । श्रीमन्, जो सबसे इम्पारटेन्ट पहलू है, जो विशेष महत्व की बात है, वह मैं अवश्य बता देना चाहता हूं । वह यह है कि जो १९४७ का यू० पी० शाप्स एन्ड कमर्शियल ऐक्ट था, उसमें एक बात की निश्चित व्यवस्था की गई थी कि चाहे वह १२ घंटे का था कि दूकान १२ घंटे खुलेगी । लेकिन विधेयक पर वह अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है कि वह १२ घंटे खुलेगी यह नहीं लिखा । आज जब कि एक युग है मजदूरों के हितों को संरक्षण देने का, श्रमिकों के हितों को पोषण करने का तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के अधिकार अपने हाथ में रखना कोई तर्कसंगत और न्यायसंगत बात नहीं होगी । मेरी तो यह मांग है कि इसमें संशोधन लाया जाता । वह मैंने दिये हैं । लेकिन अब आज ही प्रस्तुत हो गया जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी । इसलिये वह रखे हुए हैं । मैंने हर एक धारा पर विस्तृत रूप से संशोधन दिये हैं । उसमें कारण भी मैंने बताये हैं कि क्यों ऐसा होना चाहिये । मेरा तो कहना यह है कि यदि काम के घंटों की उचित व्यवस्था नहीं की जाती है तो निश्चित् रूप से इसका कोई प्रभाव नहीं होगा । इसलिये मेरा यह नम्र निवेदन है कि इसमें ऐसा प्राविजन होना चाहिए कि सुबह १० बजे दूकानें खुलें और शाम को ८ बजे बंद हो जायं । यदि इस प्रकार कोई बात निश्चित कर दी जाती तो बहुत ही अच्छा होता । बीच में १ घंटे की छुट्टी भी दी जा सकती थी । यदि आप १२–१४ घंटे दूकानें खुलवायें तो यह कोई समझ में आने वाली बात नहीं है । उसमें चेक करने में बाधा पड़ेगी । यह एक महत्वपूर्ण विषय है फिर भी जहां फैक्टरियों में श्रमिकों के काम करने के घंटे तय करने के लिये हड़तालें हो जाती हैं, वहां पर इन कर्मचारियों के लिये कुछ नहीं हो रहा है जो कि दूकानदारों को मेहनत करके मोटा करता है । यदि उन दयनीय स्थिति वाले कर्मचारियों के लिये आपने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की और उनके काम करने के घंटे नहीं तय किये तो यह बहुत ही अनुचित बात है ।

मैं आपको इस संबंध में दिल्ली के बारे में बताऊंगा । वहां पर काम करने के घंटे तय कर दिये गये हैं और पंजाब में भी इसी प्रकार से है । दिल्ली में ८ बजे के बाद कोई दूकान खुली नहीं रह सकती है । तो उसकी ठीक से चेकिंग होती है और मोबाइल कोर्ट से उसका फैसला होता है । इसी प्रकार से पंजाब में, अमृतसर में सायंकाल साढ़े सात बजे के बाद कोई दूकान खुली नहीं रह सकती और इसी प्रकार सुबह ९ बजे से पहले खुल भी नहीं सकती है ।

इसलिये कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ही काम करना होगा । आपको तो २–४ बातें जैसे प्राविडेंट फंड की बात और काम करने के घंटे हैं उनको आपको निश्चित करना है । नहीं तो इस विधेयक का कोई महत्व नहीं रह जाता है । आप यह कर सकते थे कि ग्रामों को अलग करके घंटों की व्यवस्था की जा सकती थी । उनका समावेश उसमें करने में कोई आपका नुकसान

नहीं हो जाता। इसी बात पर जोर देने की जरूरत है। जैसा कि कहा जाता है कि सरकार की कुछ पूंजीवादी मनोवृत्ति है और इसलिये सरकार पूंजीवादियों की सहायता भी करना चाहती है। हमें यह देखना है कि कहीं सरकार उनके हिसाब से ही घंटे न तय कर दे। इसलिए हमें बार बार दोहराने की जरूरत पड़ती है कि श्रमिकों के घंटे निश्चित कर दिये जायं। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी किसी विवाद में प्रतिनिधि स्वरूप कार्य करेंगे उनकी नौकरी सुरक्षित मानी जायगी। श्रमिकों के झगड़े में और उनका प्रतिनिधित्व न कर पाये तो असली चीज सामने नहीं आ सकती। आज इसमें ट्रिब्यूनल की कोई व्यवस्था नहीं है। रजिस्टर्ड यूनियनों को भी अधिकार होना चाहिए कि वह अपने प्रतिनिधि किन्हीं कर्मचारियों के झगड़े को सुलझाने के लिए भेज सकें और अदालतें उसको मान्यता दें। इस प्रकार के बहुत से संशोधनों की इसमें आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि आज का समय ऐसा नहीं है कि मैं इस पर और विशेष बात कहूं, इसलिए जितनी बातें मैंने रखी हैं इससे भली प्रकार आप समझ गये होंगे कि इसको प्रवर समिति में भेजने की कितनी आवश्यकता है जिससे सब पहलुओं से विचार किया जा सके। मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

*श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो-चार बातें अपने दोस्त बहुगुणा जी से कहनी हैं। एक तो यह कि ऐसे बिल रोज-रोज तो आते नहीं हैं। यह ठीक है कि ऐसा ऐटमास्फेयर है कि जल्दी करनी चाहिए, लेकिन जो बिल आयेगा वह हमको ध्यान रखना चाहिये कि हमेशा के लिये आयेगा। इसमें कुछ चीजों पर आप विचार करें। कानपुर में लेदर फैक्टरी हैं। उनको अलहदा अलहदा हफ्तों में ५०–५०, ६०–६० हिस्सों में बांट करके काम लिया जाता है। एक फैक्टरी एक जगह नहीं हैं, अलग-अलग हैं ताकि एक्साइज ड्यूटी से बचा जा सके। तो अगर फैक्टरी ऐक्ट में नहीं आती तो इस ऐक्ट में लाने की कोशिश करनी चाहिए, इस प्रकार का प्रावीजन रखना चाहिए

दूसरे मिलों के अन्दर कुछ सेक्शंस वर्कर्स के हैं जो फैक्टरी ऐक्ट में नहीं आते, जैसे चपरासी है। इंडस्ट्रियल हाउसिंग में उनको मकान नहीं मिल सकता, फैक्टरी ऐक्ट में उनको वर्कर नहीं समझा जाता। एक गैर-वर्कर मकान अलाट करा के और ५० परसेंट की तादाद में ऐसे लोग रह सकते हैं और चपरासी को मकान नहीं मिल सकेगा। तो इस तरह का प्रावीजन करना चाहिए कि चपरासी, क्लार्क और ऐसे स्टाफ को कानून में कवर किया जा सके और छोटे छोटे इस्टैब्लिशमेंट को भी कवर कर सकें।

दूसरी बात यह है कि टाइमिंग के बारे में ट्राइपार्टाइट कमेटी में डिस्कशन हुआ और मुझे आशा थी कि आप तय करेंगे। १२ घंटे आपने रखा है और रूल्स में तय करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस वक्त हो रहा है। दूकानदार खुद कहता है। पहले तो कभी नहीं कहा, एम्पलाई की मांग रही है, लेकिन इस वक्त दुकानदार खुद कहता है और आपके पास डेपुटेशन आये हैं और हम लोगों से भी मिले हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि आपको १० बजे से ८ बजे तक टाइम निर्धारित कर देना चाहिए। ८ घंटे काम हो, १० घंटे दुकान खुले, दो घंटे की छुट्टी उनको मिले, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं और वह यह कि यह जो आपने ओपनिंग और क्लोजिंग वाली चीज रखी हैं इससे एक सिर दर्द पैदा हो जायेगा। मैं बाजार में सौदा लेने गया। दूकानदार एक किवाड़ खोल कर बैठा रहेगा, जो सौदा लेने जायेगा उसको सौदा दे देगा कोई भी जो ४ आने या ८ आने का सौदा लेगा वह यह पसन्द नहीं करेगा कि वह १० बार कचहरियों के चक्कर लगाये। इसलिये जब भी आपका इन्सपेक्टर जायेगा, वह कह देगा, दूकान बन्द थी, हमने सौदा नहीं लिया। तो थ्योरी में तो दूकान बन्द रहेगी, मगर वह खुली रहेगी। तो इस उलझन को निकाल देना चाहिये, वरना जो इस बिल का मकसद है वह समाप्त हो जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री संतसिंह यूसुफ]

मेरी एक प्रार्थना है। आप उनकी छुट्टी के मामले में, ग्रेच्युटी के मामले में, रिटायरमेंट के मामले में, कुछ न कुछ प्राविजन हो, यह चीज आप अपने दिमाग में रख लें, यही मेरी प्रार्थना है आपसे। जब अमेंडमेंट का टाइम आयेगा तो मैं और अपनी बात कहूंगा। आप इन बातों की ओर अवश्य ध्यान दें ताकि लोग मनमानी न कर सकें। कम से कम आपसे जरूर यह आशा की जा सकती है कि आप इस ओर कुछ ध्यान देंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की जनता की, आम लोगों की तथा खासतौर से मजदूरों की यह इच्छा थी, बहुत दिनों से, कि यह विधेयक आये। अब तक जो कानून था उससे दूकानदार लोग छोटे-छोटे बच्चों के ऊपर, जो उनके यहां काम करते थे, बड़ा शोषण किया करते थे। मैंने कई दूकानों पर देखा है और खास कर हलवाइयों के यहां कि उनके यहां रात के १०-१० और १२-१२ बजे तक बच्चे काम किया करते हैं और ग्राहकों को पानी आदि पिलाते हैं। इस विधेयक से उन लोगों की कुछ हिफाजत जरूरत होगी, लेकिन साथ ही साथ में माननीय बहुगुणा जी से यह अपील जरूर करूंगा कि वे निश्चित रूप से इस विधेयक में यह चीज लिख दें या कह दें कि जो १० वर्ष तक के लड़के होंगे वे किसी तरह भी इम्प्लाय नहीं किये जायेंगे। यद्यपि बच्चों के लिये निषेध है लेकिन बच्चों की उम्र का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसा होना चाहिये कि कम से कम दस बरस तक के बच्चों को किसी भी अधिष्ठान में नौकर नहीं रखा जायगा, न उससे काम लिया जायगा। जब बच्चे रहेंगे ही नहीं तो ५ घंटे की बात जो बच्चों के लिये रखी गयी है, वह नहीं उठेगी।

स्त्रियों के लिये इसमें कहा गया है कि उनके प्रसव काल में लाभ मिलेगा। बहुगुणा जी तो विदेशों में गये हैं वहां पर ३ महीने की छुट्टी मिलती है। यहां पर ६ सप्ताह प्रसव के पहले और ६ सप्ताह बाद में रखा गया है। लेकिन यह साफ नहीं रखा गया है, इसको साफ तौर पर होना चाहिये कि उनकी यह छुट्टी पूरी तनख्वाह के साथ होगी।

८ घंटे का समय तो ठीक रखा गया है लेकिन दूकान के खुलने और बंद होने का समय भी साफ तौर पर होना चाहिये। दोनों समय निश्चित हो जाने चाहिये। इससे इंसपेक्टर लोगों को भी धांधली करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में जो अधिकार सरकार ने मजदूरों के लिये लिए हैं वे उनकी भलाई के लिये लिए हैं। सरकार से तो ऐसी आशा भी न थी लेकिन बहुगुणा जी अथवा और कुछ लोगों की समझ में शायद यह बात आई और उन्होंने मजदूरों की भलाई के लिये यह विधेयक बनाया। इससे न केवल मजदूरों का ही लाभ होगा लेकिन दूकानदारों को भी लाभ होगा और दूकानों के संचालन में भी उनकी क्षमता बढ़ेगी। उचित यह होगा कि समय भी १० बजे से ८ बजे तक का रख दिया जाय और बीच में २ घंटे आराम करने का समय मिले।

*श्री हरीशकुमार गंगवार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिन बातों को सामने रखा था उनको माननीय संतसिंह जी और पांडेय जी ने भी रखा। दूकानों को खोलने और बंद करने के समय को तय करने से न केवल मजदूरों को ही लाभ होगा वरन् व्यापारियों को भी लाभ होगा। उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोचने का मौका मिलेगा, उनको बाल-बच्चों को भी थोड़ी राहत मिलेगी। आज तो दूकानदार ९९ के फेर में पड़ा रहता है। रात को १२ बजे दुकान बन्द करता है और सबेरे ५-६ बजे फिर खोल देता है। और बाल बच्चों के साथ जो गार्हस्थ धर्म का एक सबसे बड़ा सूत्र है, उसकी ओर अपना बिलकुल ध्यान नहीं देता। उसका नतीजा यह होता है कि व्यापारी वर्ग के बच्चे ज्यादातर जैसा कि वे उनको बनाना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाते। वे अपनी गृहणियों व सहधर्मिणियों के साथ भी ज्यादा समय नहीं व्यतीत कर पाते जो कि एक पारिवारिक व्यवस्था में सुख और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समृद्धि से जीवन बिताने के लिये बहुत ही आवश्यक चीज है। वे उनके साथ न रह कर उनकी मनोभावनाओं को भी नहीं समझ पाते। यहां तक कि बहुत समय तक उनके बच्चों को बाजार जाकर अपनी मन पसन्द चीजें खरीदने का भी मौका नहीं मिलता। अगर कभी किसी चीज के खरीदने की जरूरत होती है तो उनके बच्चे नौकरों के साथ चले जाते हैं और वे बेचारी गृहणियां घर से बाहर नहीं निकल पातीं। मुश्किल से कहीं हफ्ते में बाजार बन्दी के दिन वे अपने घर वालों के साथ सिनेमा देखने चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में मेरा नम्र निवेदन है कि दूकानों के लिये समय निश्चित कर दिया जाय।

इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है कि श्रमिकों के लिए ८ घंटे का समय दिया गया है। लेकिन ८ घंटे की बात पूरी नहीं होती अगर दूकान १२ घंटे तक खुलें। फिर तो व्यापारियों को छूट हो जायेगी कि वे श्रमिकों से जितना चाहें काम लें। अब कर्मचारियों के लिये भी लाचारी की बात हो जायगी कि अगर दूकान खुली है तो कुछ न कुछ काम करना ही होगा। बाज दफा वह यह भी कह सकता है कि तुम तो १० बजे आये, चाहे वह ८ बजे ही दूकान पर आ गया हो। तो व्यापारी वर्ग के लिये दूकानों के खोलने व बन्द करने का एक समय निर्धारित हो जाना चाहिये जिससे किसी तरह की वे गड़बड़ी न कर सकें। यह भी हो सकता है कि दूकान बन्द करके व्यापारी हिसाब-किताब देखते रहें और ९९ के चक्कर में पड़े रहें। तो यह एक बहुत बड़ी खामी है जिसको निकालने की जरूरत है। इसमें आपने श्रम कारावास का दंड न रख कर केवल जुर्माने में रुपया, पैसा देने की बात रखी है। व्यापारी वर्ग से चाहे जितना रुपया पैसा लेना चाहें वह निकाल कर दे देगा अगर उसकी एक उंगली आपने पकड़ ली, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि अगर गुप्ता जी व्यापारियों के कान ऐंठेंगे तो तमाम पैसे आ जायेंगे। यह व्यापारी वर्ग रुपया, पैसा देने में नहीं हिचकता है जितना कि वह कारावास से घबड़ाता है। रुपये, पैसे के बदले में अगर उसे कारावास की सजा मिल जाय तो उसकी अक्ल में बात आ सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मीठे वाले का चालान कई बार हुआ जिसे हजार, दो हजार रुपये करके कई बार जुर्माना हुआ जिसे उसने दे दिया, फिर भी वह अपनी उस हरकत से बाज नहीं आया जिस हरकत के लिये उसे सजा दी जाती थी। अन्त में जब उसे ६ महीने कैद की सजा हुई तब जाकर उसकी वह हरकत बन्द हुई। इसलिये मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और फिर इस पर बहस हो। जहां तक सद्भावना की बात कही जाती है, इसमें सद्भावना के घटने की कोई बात तो है नहीं। लेकिन अगर अनजाने में मैंने ऐसी कोई बात कह दी हो तो उसके लिये क्षमा प्रार्थी हूं। सद्भावना का मतलब यह तो होता नहीं है कि हम किसी के अधिकारों पर कुठाराघात करें। इसको दो तीन महीने के लिये स्थगित किया जा सकता है और फिर बाद में इस पर विचार कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा अनुग्रहीत हूं माननीय काशी नाथ मिश्र जी का कि उन्होंने इस विधेयक की जो मंशा है उसको सही रूप में पकड़ा। एक चीज जो उन्होंने कही, उसके सम्बन्ध में सिर्फ कह देना चाहता हूं। उन्होंने सही कहा कि ऐसे बच्चों को बिलकुल न रखा जाय जो १० साल के नीचे के हों। इस विधेयक के सेक्शन २ (२) में जो बच्चों की परिभाषा दी गयी है उसे मैं पढ़ देना चाहता हूं। "बच्चा वह कहलायेगा जिसने १४ साल पूरा न कर लिया हो।" तो उनकी बात उसमें आ जाती है। एक बात उन्होंने और कही थी कि दुकानें खोलने और बन्द करने के घंटे और समय निश्चित हो और इसी को लेकर प्रवर समिति की बात भी कही गई। सारे भाषण का निचोड़ यही था कि शाप्स के घंटे निश्चित किये जायं। हमारे माननीय संतसिंह युसूफ जी एक बड़े कानपुर के श्रमिक नेता हैं और उनको हम सब का श्रमिक आन्दोलन में बड़ा अनुभव होने के नाते उनको चाचा का टाइटिल देकर पुकारते हैं, उन्होंने भी इस बात पर दबाव दिया कि समय मुकर्रर किया जाय....

एक सदस्य—क्या सदन में भी उनको चाचा कह सकते हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उनको हम एल्डरली नेता मानते हैं इसलिये उनका अदब हमें करना चाहिये, मैं उनके अनुभव का अदब कर रहा था। जो कुछ उन्होंने कहा मैं उसका विश्लेषण करना चाहता हूं, वह कहते हैं कि सब के काम के घंटे १० से ८ बजे तक कर दो। दूसरे वह कहते हैं कि जो चमड़े की फैक्टरीज छोटे-छोटे हिस्सों में चलाई जा रही हैं और जो फैक्टरी ऐक्ट में नहीं आती हैं उन पर भी यह कानून लागू कर दो। तीसरे वह कहते हैं कि फैक्टरी के क्लर्कों पर भी इस ऐक्ट को आयद कर दो। तो उनको इन तीनों बातों में मेल क्या है? फैक्टरी के क्लर्कों का जो सेक्शन है उस पर यह ऐक्ट लागू नहीं होता। उन के काम करने के घंटे और जो चमड़ा फैक्टरी में शिफ्ट हो सकते हैं उन सब के लिये १० बजे से ८ बजे तक का समय रखने की बात स्वयं अपने में ही मेल नहीं खाती। कामर्शियल एस्टेब्लिशमेंट की परिभाषा बड़ी है, वह काफी व्यापक है लेकिन फिर भी लोग उससे निकल जाते हैं वह अब पकड़ में आ जायंगे। तरह तरह के कारोबार पर यह बिल लागू होगा, एक तरह का उद्योग नहीं है, खाने पीने की दूकानें, तरकारी, अंडे की दूकानें तथा अन्य जूते, कपड़े और जरूरत के सामान की दूकानें हैं कारखाने जिनमें मैनुफेक्चरिंग प्रासेज होता है, बीड़ी बनाने का कारखाने सब इसमें आ जाते हैं। १० से ८ बजे की बात को मान कर मुझसे ज्यादा कोई सन्तुष्ट न होता अगर मैं अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाता। लेकिन हमारे ऊपर सदन के विश्वास का बोझ है और हमें उसको निभाना है। यह सम्भव नहीं है, अगर हम काम के घंटे निश्चित करते हैं तो हमें होटल, जो स्टेशन पर हैं उस के घंटे अलग निश्चित करने होंगे, शहर के होटलों के यह होंगे, सिनेमा के यह घंटे होंगे, तरकारी वालों के यह घंटे होंगे गंगा जमुना नहाकर आने वाले जो देहात के झौवे वालों से रास्ते से तरकारी खरीदते चले आते थे उनके यह घंटे होंगे, कितना ही लम्बा हम एनेक्टमेंट करते लेकिन फिर भी कोई न कोई छूट ही जाता। यह सब चीजें हमारे नियमों में आयेंगे और उनमें हम कोई ऐसी चीज नहीं लायेंगे जो कोई श्रमिकों या मालिकों के लिये अनर्थ करे और वह नियम भी सदन के सामने आयेंगे, हम सदन में उनके लिये जबावदेह होंगे। इसलिये इस स्टेज पर काम के घंटे निश्चित करना फिजिकली पासिबिल नहीं है।

स्प्रेड ओवर की बात कही गई, १२ घंटे और ५–६ घंटे की बात। इसके दो उत्तर हमारे पास हैं। पहली बात तो यह है कि जहां तक स्प्रेड ओवर और काम करने के घंटों का सवाल है इस चीज को इस वक्त हम हर चीज के सम्बन्ध में सदन के सामने नहीं रख सकते। लेकिन दिल्ली में जिनकी बड़ी प्रशंसा की गई शायद वहां स्प्रेड ओवर साढ़े १४ घंटे का है, हमने १२ घंटे ही रखा है जो पहले १३ घंटे था, १ घंटा और कम कर दिया। अब १२ घंटे के स्प्रेड ओवर को देखें क्या मानें हैं। मतलब यह नहीं दुकान बराबर खुली रहे। बल्कि जो कर्मचारी के काम करने के घंटे होते हैं उनको रिलीज बना सकते हैं और कुल टोटल १२ घंटे से ज्यादा न हो। जो मुमकिन हो सकता है वह किया गया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—दिल्ली में क्या स्प्रेड ओवर है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—काम करने के घंटे निश्चित करना एक बात है और स्प्रेड ओवर करना दूसरी बात है।

श्री ब्रह्मदत्त सायर (जिला सहारनपुर)—हम तो यह चाहते थे कम से कम कर दीजिए।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जो मेरी सूचना है वह मैं कह रहा हूं। यह कहा गया कि सारे सूबे में बन्द एक ही दिन हो। आप जरा सोचें यह कैसे सम्भव हो सकता है कि सब प्रकार की दुकानें एक ही रोज बन्द रहें? यह रोजमर्रा की चीजें देने वाले लोगों पर विवेयक लगने वाला है इसलिये एक दिन सब की छुट्टी हो यह सम्भव नहीं है।

यह कहा गया कि मजदूरों से नहीं पूछा जायगा सरकार के अफसर बन्दी का दिन तय कर देंगे। हम तो मालिक मजदूर की बात देखते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कंज्यूमर है जिसकी सुविधा भी हमको देखनी पड़ेगी और उसको देख कर ही कर्मचारी तय करेंगे।

तीन बातें कही गई, इस विधेयक में परमानेन्सी, क्यों नहीं लायी गई, प्रावीडेंट फंड और बोनस की व्यवस्था क्यों नहीं की ? माननीय संत सिंह युसूफ जी ने थोड़ा-सा कहा लेकिन फिर रुक गये, मुझे खुशी है क्योंकि वह जानते हैं कि प्रावीडेंट फंड के लिये अलग कानून है, प्रावीडेंट फंड ऐक्ट। सभी क्लास के मजदूरों के लिये एक ही कानून है। बोनस के लिये कहा गया। उसके लिये कोई कानून बिड़ला और दालमिया के बड़ी फैक्टरीज के लिये बना नहीं तो छोटी दुकानों के लिये कहां से रख देते, किस उसूल के अन्दर ऐसा करते ? यह कहा गया परमानेन्सी निश्चित कर देनी चाहिये थी। माननीय संतसिंह युसूफ, नरसिंह नारायण जी और जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है जानते हैं कि हर क्लास के मजदूरों के लिये परमानेन्सी की व्यवस्था अलग-अलग नहीं है, उसका एक ही ऐक्ट है जिसको स्टेंडिंग्स आर्डर्स ऐक्ट कहते हैं। वहां परमानेन्सी की व्यवस्था उसी तरह से की जाती है और दूसरा कोई कानून नहीं है। इसलिये इसमें उसको नहीं ला सकते थे। मेरा यह दावा नहीं है मजदूरों की सब समस्यायें इस ऐक्ट से कवर हो जाती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आम मजदूरों के साथ उनको चलाना पड़ेगा, कुछ उनकी प्रमुख समस्यायें हैं जिसके लिये यह विधेयक है।

कहा गया जेल की व्यवस्था होनी चाहिये, जुर्माने से ही काम नहीं चल सकता है। मैं मानता हूं जो कानून की अवहेलना करे उसके साथ सख्ती होनी चाहिये जिससे मालिक और मजदूर में भेदभाव न पड़े, दोनों को बराबर दंड मिले, दोनों का समाज में मूल्य एक-सा होना चाहिये। अब इसमें सजा इसलिये नहीं रखी गयी कि अगर हमने किसी मालिक को नहीं भेजा तो मजदूरों को भी नहीं भेजा। मजदूरों ने न जाने कितनी गैर-कानूनी हड़तालें की हैं लेकिन हमने उन्हें भी जेल भेजा नहीं है क्योंकि भेजने में तकलीफ होती है, अफसोस होता है। यह सामाजिक न्याय की बात है। हमने ६ महीने की सजा जानबूझ कर नहीं रखी।

शाप्स ऐंड कामर्शियल ऐक्ट के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों की बात कही गयी कि उस कानून में कमजोरी है और सुधार की आवश्यकता है। मेरी राय में वह मजदूर आज भी बदकिस्मती से असंगठित है। मैं नहीं कह सकता कि फैक्टरियों में जिस तरह से श्रमिक नेता काम करते हैं उसी तरह से उनमें काम करके उन्हें भी संगठित बनाया गया हो। जब तक संगठित हो कर मालिकों की मनोवृत्ति पर अंकुश लगाने की क्षमता वे नहीं रखते तब तक चाहे कितने कानून बना दीजिये कोई भला उनका होने वाला नहीं है। मैं उन श्रमिक कल्याण हेतु कार्य करने वाले श्रमिक नेताओं को दावत देता हूं कि वे इस संगठन को मजबूत बनाने के लिये उनके निर्माण में अपना योगदान दें।

अलग मैजिस्ट्रेसी की बात कही गयी। अलग मैजिस्ट्रेसी हम नहीं बना सकते। ट्रांसपोर्ट वाले कहें कि हमारा मैजिस्ट्रेट अलग हो, शाप्स ऐक्ट वाले कहें कि हमारा मैजिस्ट्रेट अलग हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वाले कहें कि हमारा मैजिस्ट्रेट अलग हो, तो इस तरह से इतने मैजिस्ट्रेट हो जायेंगे कि इस हाउस के सदस्य अगर बिना तनख्वाह भी बैठना चाहें तो मैजिस्ट्रेटों की तनख्वाह उससे पूरी नहीं हो सकती। ये सब बातें देख कर यह किया गया है कि जो भी उचित होगा करेंगे।

एक बात भ्रष्टाचार की कही गयी कि इंस्पेक्टर बहुत खराब है। मैं इस बात का दावा तो नहीं कर सकता कि हमारे सारे विभाग में सुन्दर आदमी काम करने वाले हैं। अच्छे बुरे जैसे हम हैं और आप हैं वैसे ही वे भी हैं। लेकिन इतना विश्वास मैं दिला सकता हूं, आम शिकायत पर तो लाचारी है कुछ कर सकना, लेकिन निश्चित शिकायत किसी माननीय सदस्य की आई हो और उसकी जांच न कराई गयी हो तो मैं दोषी हूं। किसी इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई लिखित शिकायत आई हो कि फलां इंस्पेक्टर ने फलां जगह से रिश्वत ली है और हमारे पास यह सबूत है, ऐसी शिकायत नहीं आई। जितने मुकदमे चले इंस्पेक्टरों द्वारा वे भी अदालतों से खारिज हो जाते थे। जब प्रासिक्यूशन में मुकदमा चला जाता था और कहा जाता था कि एविडेंस लाओ तो उसमें मजबूरी हो जाती थी। कानून में कोई व्यवस्था नहीं थी कि किसी से कागजात उसी के खिलाफ मांगे जा सकते। किसी भी आदमी से

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

उसके खिलाफ गवाही नहीं ली जा सकती। अब इसमें प्राविधान किया गया है और एम्पलायर एसोसियेशन की तरफ से एतराज भी किया गया कि यह कैसा कानून है कि जो भी कागज चाहेगा इंस्पेक्टर उठा कर ले जा सकेगा । हमने कहा कि यह हमारी बड़ी बेबसी है। तुम्हारी पकड़ और सजा तभी होगी जब सबूत हमारे पास आयेगा। लिहाजा इसको चलने दें और देखें कि क्या होता है।

प्रवर समिति का मैं विरोध नहीं करता। लेकिन जब मैं लेबर लीडर था मैंने कहा था कि यह ऐक्ट बदला जाय। पिछली मिनिस्ट्री में भी मैं यह मांग करता रह गया कि यह बदला जाय। लेकिन अब जब यह ऐक्ट जिस शक्ल में भी आ गया है उसे चलने दिया जाय और देखें कि जितना आगे हम चल सकते हैं, उतना चलने दिया जाय।

ओपिन और क्लोज के बारे में सवाल उठाया गया। ठीक है। लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि कानून की यह मर्यादा है कि १०० बेईमान छट जायं पर एक बेगुनाह सजा न पाये। अब दीवाली की व्हाइट वाशिंग हो रही है और वह ओपिन किये हुये हैं तो सजा हो गयी क्योंकि दूकान खोले हुये था। लिहाजा मेरा यह कहना है कि ट्रेड यूनियन मजबूत रखिये तो ओवर टाइम कम नहीं हो सकता। जिस क्षेत्र में यूसुफ साहब काम करते हैं क्या मजाल है कि मजदूर आधा घंटा ओवर टाइम बिना ओवरटाइम स्लिप के कर ले भले ही पदमपत लाख कोशिश कर लें। लिहाजा संगठन को मजबूत करना होगा वर्ना अपनी कमजोरी को दूसरे के कंधे पर रखना उचित नहीं होगा। श्रमिक आन्दोलन कमजोर है, हम कमजोर हैं, मैं अपने को उसका एक हिस्सा मानता हूं इसलिये "हम" शब्द कहता हूं इसलिये ये मुसीबतें आया करती हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपने साथी से प्रार्थना करता हूं कि श्रमिकों के हित के लिये जो कुछ हम यह ला पाये हैं इसको स्वीकार करें और भविष्य में जो होगा, हम और वह दोनों हम उम्र हैं, उसको हम देख लेंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार—उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो जो आज कहा गया है मंत्री महोदय ने वही सन् १९४७ में भी कहा होगा.....

श्री उपाध्यक्ष—जवाब देने का मौका नहीं है। आप यह बताइये कि आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं या प्रेस करते हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—आजकल की परिस्थिति के अनुसार मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Shops And Commercial Establishments Bill, 1962] पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २—४१

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(१) "शिशिक्षु" का तात्पर्य किसी व्यापार या व्यवसाय में नियोजक (employer) द्वारा शिक्षण के प्रयोजनार्थ मजदूरी पर या बिना मजदूरी के नियोजित ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु १२ वर्ष से कम न हो :

(२) "बच्चा" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो चौदह वर्ष का न हो चुका हो ;

(३) "बन्द" का तात्पर्य खंड (१३) के अर्थ में खुला न होने से है;

(४) "वाणिज्य-अधिष्ठान" का तात्पर्य किसी भू-गृहादि से है जो, फैक्टरी के भू-गृहादि या दुकान न हों और जहां कोई व्यापार, कारोबार, निर्माण (manufacture) या उससे सम्बद्ध अथवा उसका आनुषंगिक या सहायक कोई काम लाभ के लिये किया जाता हो और उसके अन्तर्गत ऐसे भू-गृहादि भी हैं जहां पत्रकारिता या मुद्रण का कार्य अथवा रुपये के लेन-देन, बीमा, स्टाक तथा अंश, दलाली या उत्पाद-विनिमय का कारोबार किया जाता हो अथवा जो थियेटर या सिनेमा के रूप में या किसी अन्य सार्वजनिक विनोद या मनोरंजन के लिये प्रयुक्त होता हो अथवा जहां फैक्ट्री के लिपिक तथा अन्य कर्मचारिगण, जिन पर फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ के उपबन्ध प्रवृत्त न होते हों, कार्य करते हों ; ऐक्ट संख्या ६३,१९४८

(५) "दिन" का तात्पर्य मध्यरात्रि से प्रारम्भ होने वाली २४ घंटे की अवधि से है:

प्रतिबन्ध यह है कि उस कर्मचारी के विषय में, जिसके कार्य का समय मध्यरात्रि के बाद तक हो, दिन का तात्पर्य उसके कार्य के प्रारम्भ होने के समय से २४ घंटे की अवधि से है;

(६) "कर्मचारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो नियोजक द्वारा किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में किये जाने वाले किसी व्यापार, कारोबार या निर्माण में, अथवा उसके संबंध में, मजदूरी पर अनन्यतः या मुख्यतः नियोजित हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:—

(क) अवेक्षक, माली या पहरा और रक्षा दल (watch and ward) का कोई सदस्य,

(ख) फैक्ट्री या औद्योगिक अधिष्ठान के लिपिक या अन्य कर्मचारिगण, जो फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ के उपबन्धों के अन्तर्गत न आते हों, और ऐक्ट संख्या ६३,१९४८

(ग) कोई शिशिक्षु या ऐसा व्यक्ति जो ठेके पर कार्य करता हो या जिसे कार्य की मात्रा के अनुसार वेतन दिया जाता हो ।

(७) "नियोजक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका, यथास्थिति, दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में किये जाने वाले व्यापार, कारोबार या निर्माण (manufacture) पर स्वामित्व हो या जो उसका प्रभारी हो अथवा जिसका उस पर अंतिम रूप से नियंत्रण हो, और इसके अन्तर्गत उक्त व्यापार, कारोबार या निर्माण के प्रबन्ध या नियंत्रण में नियोजक की ओर से काम करने वाला प्रबन्धक या अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति भी है,

(८) "फैक्ट्री" का वही अर्थ होगा जो फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ में दिया गया है, किन्तु इसके अन्तर्गत वे भू-गृहादि नहीं है जहां फैक्ट्री के ऐसे लिपिक या अन्य कर्मचारिगण कार्य करते हों, जिन पर उक्त ऐक्ट के उपबन्ध प्रवृत्त न होते हों, ऐक्ट संख्या ६३, १९४८

(९) नियोजक के संबंध में "परिवार" का तात्पर्य उस नियोजक के, यथास्थिति, पति या पत्नी, पुत्र, पिता, माता, भाई या बहिन से है, जो उसके साथ रहते हों और उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हों;

(१०) "इन्स्पेक्टर" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा २९ के अधीन नियुक्त निरीक्षक, उप-मुख्य निरीक्षक, या मुख्य निरीक्षक से है;

(११) "छुट्टी" का तात्पर्य काम पर से सवेतन अनुपस्थित रहने की उस अवधि से है, जिसका कर्मचारी इस अधिनियम के अध्याय ३ के अधीन हकदार हो;

(१२) "रात्रि" का तात्पर्य लगातार बारह घंटों की ऐसी अवधि से है जो इस प्रकार नियत की जाये कि १० बजे रात्रि और ६ बजे प्रातःकाल के बीच का समय सदैव इसके अन्तर्गत हो;

(१३) दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान के संबंध में "खुला" का तात्पर्य किसी ग्राहक की सेवा के लिये या दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में सामान्यतः किये जाने वाले कारोबार, व्यापार अथवा निर्माण के लिये खुले होने से है;

(१४) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(१५) "फुटकर व्यापार या कारोबार" का तात्पर्य माल की छोटी मात्राओं में बिक्री तथा ग्राहकों की सेवा से है और नाई या केश-प्रसाधक का व्यवसाय, पकाये हुये भोजन, जल-पान या मादक द्रव की बिक्री तथा नीलाम द्वारा फुटकर बिक्री भी इसके अन्तर्गत हैं;

(१६) "दुकान" का तात्पर्य किसी ऐसे भू-गृहादि से है, जहां थोक या फुटकर व्यापार या कारोबार किया जाता हो अथवा जहां ग्राहकों की सेवा की जाती हो, और इसके अन्तर्गत वे समस्त कार्यालय, गोदाम या भांडार भी हैं, जो ऐसे व्यापार या कारोबार के संबंध में प्रयोग में लाये जाते हों, चाहे वे उसी भू-गृहादि में हों या न हों ;

(१७) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ;

(१८) "मजदूरी" का तात्पर्य धन के रूप में अभिव्यक्त या अभिव्यक्त होने योग्य ऐसे समस्त पारिश्रमिक (चाहे वह वेतन के रूप में हो या भत्ते के रूप में या अन्य किसी रूप में) से है, जो नियोजन की अभिव्यक्त या विवक्षित शर्तें पूरी हो जाने की दशा में कर्मचारी को देय होगा और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:—

(क) कोई बोनस;

(ख) कर्मचारी को उसके नियोजन की समाप्ति के कारण देय कोई धनराशि; और

(ग) उसके नियोजन की शर्तों के अधीन देय कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक;

(१९) "सप्ताह" का तात्पर्य एक शनिवार की मध्यरात्रि से लेकर अगले शनिवार को मध्यरात्रि तक की अवधि से है; और

(२०) "तरुण" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो न तो बच्चा हो और न सत्रह वर्ष का हो चुका हो ।

अधिनियम के उपबन्ध कतिपय व्यक्तियों, दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों पर प्रवृत्त न होंगे

३—(१) इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होंगे:—

(क) ऐसे कर्मचारी जो किसी ऐसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में, जिसमें पांच से अधिक व्यक्ति नियोजित हों, गोपनीय, प्रबन्धकीय या पर्यवेक्षी प्रकार के पदों पर हों;

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार विमुक्त कर्मचारियों की संख्या ऐसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान के कर्मचारियों की कुल संख्या के दस प्रतिशत से अधिक न होगी ;

(ख) ऐसे कर्मचारी जिनका कार्य स्वाभाविक रूप से सविराम हो, जैसे यात्री या प्रार्थक (कनवेसर) ;

(ग) सरकारी या स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालय;

(घ) रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कार्यालय;

(ङ) अस्वस्थ, अशक्त, निराश्रित, या मानसिक रूप से अयोग्य व्यक्तियों के उपचार या उनकी देखभाल के लिये अधिष्ठान; और

(च) नियोजक के परिवार के सदस्य ।

(२) उपधारा (१) के खंड (क) में उल्लिखित कर्मचारियों की एक सूची दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जायगी और उसकी एक प्रति संबद्ध निरीक्षक को भेजी जायगी ।

दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों के किसी वर्ग को अधिनियम के प्रवर्त्तन से विमुक्त करने का सरकार का अधिकार

(३) राज्य सरकार, लोक-हित में, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान अथवा दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों के किसी वर्ग को ऐसी शर्तों पर जो वह तदर्थ आरोपित करे, इस अधिनियम के समस्त या किसी उपबन्ध के प्रवर्तन से विमुक्त कर सकती है।

राज्य सरकार द्वारा विमुक्ति का वापस लिया जाना

(४) राज्य सरकार, उसी प्रकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा उपधारा (३) के अधीन दी गयी किसी विमुक्ति को पूर्णतः या अंशतः स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिये जो निर्दिष्ट की जाय, वापस ले सकती है।

व्यावृत्ति

४—इस अधिनियम में दी गयी किसी बात से किसी ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिसका कोई कर्मचारी उस दिनांक को जब यह अधिनियम उस पर प्रवृत्त होना प्रारम्भ हो, उक्त दिनांक को प्रचलित किसी विधि, अधिनिर्णय (award), अनुबंध, संविदा, रूढ़ि या प्रथा के अनुसार हकदार हो ।

कारोबार का समय

५—(१) कोई दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान, जो अनुसूची २ में उल्लिखित दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान न हो, किसी भी दिन, न तो ऐसे समय के पूर्व खुलेगा और न ऐसे समय के पश्चात् बन्द होगा, जो तदर्थ नियत किया जाय ।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों के होते हुये भी दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों के विभिन्न वर्गों के लिये या विभिन्न क्षेत्रों के लिये या वर्ष की विभिन्न अवधियों में पहले खोलने या बाद में बन्द करने का समय नियत किया जा सकता है।

काम का समय और अधिसमय

(३) राज्य सरकार, किसी भी समय, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों के किसी वर्ग को अनुसूची २ में बढ़ा सकती है या उसमें से निकाल सकती है।

६--(१) कोई नियोजक किसी कर्मचारी से एक दिन में उसके--

(क) बच्चा होने की दशा में पांच घंटे;

(ख) तरुण होने की दशा में छः घंटे; और

(ग) कोई अन्य कर्मचारी होने की दशा में आठ घंटे, से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं करेगा और न उसे इससे अधिक काम करने देगा;

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कर्मचारी से जो तरुण या बच्चा न हो उपर्युक्त समय से अधिक काम करने की अपेक्षा की जा सकती है या उसे उक्त समय से अधिक काम करने दिया जा सकता है, किन्तु इस प्रकार कि स्टाक सम्हालने या लेखा तैयार करने के दिन के सिवाय किसी अन्य दिन काम का कुल समय (जिसमें अधिसमय भी सम्मिलित है) दस घंटे से अधिक न हो;

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी तिमाही में अधिसामयिक (over-time) काम का समय पचास घंटे से अधिक न होगा।

स्पष्टीकरण--"तिमाही" का तात्पर्य पहली जनवरी वा पहली अप्रैल या पहली जुलाई या पहली अक्तूबर को प्रारम्भ होने वाली तीन मास की निरन्तर अवधि से है।

(२) ऐसे कर्मचारी को, जिसने उपधारा (१) के खन्ड (ग) के अधीन निश्चित काम के समय के अतिरिक्त काम किया हो उसके नियोजक द्वारा, ऐसे अतिरिक्त समय के काम के प्रत्येक घंटे के लिये साधारण दर की दुगनी दर से मजदूरी दी जायगी।

स्पष्टीकरण १--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये "साधारण दर" का तात्पर्य आधारभूत मजदूरी तथा ऐसे भत्ते से है, (जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों को अनाज तथा अन्य पदार्थों की रियायती दर पर बिक्री से होने वाले लाभ के बराबर नकदी भी है) जो कर्मचारी तत्समय पाने का हकदार हो किन्तु इसके अन्तर्गत बोनस नहीं है।

स्पष्टीकरण २--कर्मचारी को अधिसामयिक (overtime) काम के लिये देय मजदूरी की गणना करने में एक दिन काम के आठ घंटों का माना जायगा।

विश्राम के लिए अन्तर्काल और एक दिन में काम के घंटों का विस्तार

७--किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में काम के घंटों की व्यवस्था इस प्रकार की जायगी कि प्रत्येक कर्मचारी को लगातार पांच घंटे से अनधिक काम करने के पश्चात् कम से कम आधे घंटे का विश्राम मिले और किसी कर्मचारी के काम के समयों तथा विश्राम के अन्तर्कालों का कुल विस्तार एक दिन में बारह घंटों से अधिक का न हो:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार लोक-हित में, और ऐसी शर्तों पर जो वह आवश्यक या इष्टकर समझे, विस्तार की उक्त अवधि को या तो सामान्यतः या दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों के किसी विशेष वर्ग के लिये बढ़ा सकती है।

८—(१) प्रत्येक नियोजक अपनी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान को, बन्दी के दिन जो अनुसूची २ में सम्मिलित नहीं है,

(क) सप्ताह में एक दिन, और

(ख) वर्ष में ऐसे सार्वजनिक अवकाश के दिनों (public holidays) पर, जो नियत किये जायं, बन्द रखेगा और ये दिन यहां आगे बन्दी के दिन कहे जायेंगे ।

(२) बन्दी का दिन (जो सार्वजनिक अवकाश के उपलक्ष्य में बन्दी का दिन न हो) किस दिन पड़ना चाहिये इसका निश्चय राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, नियोजक करेगा। नियोजक दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में किसी प्रमुख स्थान पर एक नोटिस प्रदर्शित करेगा जिसमें बन्दी के समस्त दिनों का उल्लेख होगा ।

(३) नियोजक द्वारा बन्दी के दिन में परिवर्तन वर्ष में एक बार से अधिक अथवा उपधारा (२) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी का नियत रीति से अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायगा। इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन अगले वर्ष की पहली जनवरी से प्रभावी होगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी स्थान के नियोजक सप्ताह के किसी विशेष दिन को बन्दी के दिन के रूप में नहीं मनाते, तो उपधारा (२) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी, नियत रीति से, किसी विशेष दिन को उस स्थान के लिये बन्दी का दिन निश्चित कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्राधिकारी, किसी स्थान के अधिकांश नियोजकों की लिखित प्रार्थना पर बन्दी का दिन निश्चित किये जाने के दिनांक के छः मास के बाद किसी भी समय, ऐसे दिनाँक से जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, उक्त बन्दी के दिन में—यदि वह सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो—परिवर्तन कर सकता है ।

स्पष्टीकरण—"स्थान" का तात्पर्य ऐसे संपार्श्विक (compact) क्षेत्र से है जिसे उपधारा (२) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी, सार्वजनिक सूचना द्वारा इस रूप में घोषित करे ।

अवकाश के दिन

९—प्रत्येक कर्मचारी को, जो चौकीदार या अवेक्षक (caretaker) न हो, नियोजक द्वारा निम्नांकित दिनों का अवकाश दिया जायगा :—

(१) प्रत्येक बन्दी के दिन का जो सार्वजनिक अवकाश का दिन हो, और

(२) प्रत्येक सप्ताह में एक पूरे दिन का:

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (२) की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी पर प्रवृत्त न होगी, जिसकी सप्ताह में नियोजन की कुल अवधि (जिसके अन्तर्गत छुट्टी पर रहने का दिन या अवकाश का दिन भी है) छः दिन से कम हो ।

उपार्जित छुट्टी अस्वस्थता सम्बन्धी छुट्टी तथा आकस्मिक छुट्टी ।

१०—(१) प्रत्येक कर्मचारी, जो एक ही नियोजक के निरन्तर नियोजन में बारह मास या उससे अधिक समय से हो, धारा ९ के अधीन अनुमत किसी अवकाश के साथ-साथ उक्त सेवा के प्रत्येक बारह मास के लिये कम से कम पन्द्रह दिन की उपार्जित छुट्टी पाने का भी हकदार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि चौकीदार या अवेक्षक, जो बारह मास या उससे अधिक समय से निरन्तर नियोजन में हो, उक्त सेवा के प्रत्येक बारह मास के लिये कम से कम साठ दिन की उपार्जित छुट्टी पाने का हकदार होगा ।

(२) प्रत्येक कर्मचारी, जो एक ही नियोजक के निरन्तर नियोजन में छः मास या उससे अधिक समय से हो, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायं, किसी एक कलेण्डर वर्ष मे कम से कम पन्द्रह दिन की अस्वस्थता–सम्बन्धी छुट्टी पाने का भी हकदार होगा ।

(३) प्रत्येक कर्मचारी, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायं, उपार्जित छुट्टी और अस्वस्थता–सम्बन्धी छुट्टी के साथ–साथ प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में कम से कम दस दिन की आकस्मिक छुट्टी पाने का हकदार होगा ।

(४) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये, समस्त छुट्टियाँ प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर स्वीकृत की जायेंगी ।

(५) ऐसी उपार्जित छुट्टी जो किसी कर्मचारी ने किसी वर्ष में न ली हो, उस उपार्जित छुट्टी में जोड़ दी जायगी जो उक्त कर्मचारी को अगले वर्ष के लिये प्राप्य हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी समय कर्मचारी को देय उपार्जित छुट्टी की कुल अवधि ४५ दिन से अधिक न होगी ।

(६) उपधारा (१) या (२) के अर्थ में कर्मचारी के निरन्तर नियोजन की अवधि को गणना करने में वह अवधि सम्मिलित कर ली जायगी, जिसमें कर्मचारी इस धारा के अधीन छुट्टी पर रहा हो ।

(७) यदि नियोजक कर्मचारी की सेवायें समाप्त कर दे, या कर्मचारी ही नियोजन समाप्त कर दे, तो नियोजक, कर्मचारी को उतने दिनों की मजदूरी का देनदार होगा, जितने दिनों की उपार्जित छुट्टी उसे देय हो ।

अस्वीकृत छुट्टी के विषय में भुगतान

११––(१) जब किसी ऐसे कर्मचारी को जिसे पैंतालिस दिन की उपार्जित छुट्टी देय हो, ऐसी छुट्टी अस्वीकृत की जाय, तो वह अस्वीकृत छुट्टी की अवधि के लिये उस धनराशि का हकदार होगा जो कि उसके उस अवधि में छुट्टी पर रहने की दशा में उसे मजदूरी के रूप में देय होती ।

(२) उपधारा (१) के अधीन देय धनराशि उस अवधि के लिये देय मजदूरी के अतिरिक्त होगी ।

(३) कर्मचारी के उक्त धनराशि ले लेने पर उसे देय उपार्जित छुट्टी में से उतने दिन घटा दिये जायेंगे जिनके सम्बन्ध में वह धनराशि प्राप्त की गयी हो ।

अवकाश के दिन और छुट्टी के लिये मजदूरी

१२––प्रत्येक अवकाश के दिन के लिये, और इस अधिनियम के अधीन दी गयी छुट्टी के प्रत्येक दिन के लिये, कर्मचारी ऐसी दर से मजदूरी पाने का हकदार होगा जो उस दर से कम न हो जिस दर से मजदूरी पाने का हकदार वह अवकाश के दिन या ली गयी छुट्टी के, ठीक पहले वाले दिन था, भले ही किसी अन्य विधि, संविदा, रूढ़ि या प्रथा में कोई विपरीत बात हो ।

मजदूरी की अवधि

१३––(१) प्रत्येक नियोजक एक अवधि निश्चित करेगा, (जिसे यहाँ आगे मजदूरी की अवधि कहा गया है) जिसकी समाप्ति पर, और जिसके सम्बन्ध में उसके कर्मचारियों को मजदूरी देय होगी,

(२) कोई मजदूरी की अवधि एक मास से अधिक की न होगी ।

(३) प्रत्येक कर्मचारी को मजदूरी ऐसी अवधि के भीतर दे दी जायगी जो नियत की जाय ।

(४) छुट्टी की अवधि की छुट्टी न लेने के कारण कर्मचारी को देय पारिश्रमिक और उसके द्वारा उपार्जित मजदूरी का भुगतान कर्मचारी को—

(क) यदि नियोजक द्वारा या उसकी ओर से उसका (कर्मचारी का) नियोजन समाप्त किया जाय तो इस प्रकार नियोजन समाप्त किये जाने के पश्चात् दूसरे कार्य-दिवस की समाप्ति के पूर्व किया जायगा ; और

(ख) यदि कर्मचारी द्वारा अपना नियोजन समाप्त किया जाय तो अगले वेतन दिवस को या उसके पूर्व किया जायगा ।

उपार्जित छुट्टी की अवधि के लिये मजदूरी का भुगतान

१४—(१) ऐसे कर्मचारी द्वारा माँग की जाने पर, जो उपार्जित छुट्टी पर जा रहा हो, उसे उक्त छुट्टी की आधी अवधि की मजदूरी का, और उस छुट्टी के ठीक पूर्व की मजदूरी की अवधि की मजदूरी का भुगतान किया जायगा । उक्त छुट्टी की शेष आधी अवधि की मजदूरी, उसके काम पर वापस आने के बाद की प्रथम मजदूरी की अवधि की मजदूरी के साथ उसे देय होगी ।

(२) अस्वस्थता सम्बन्धी छुट्टी की अवधि की मजदूरी कर्मचारी के काम पर वापस आने के बाद की प्रथम मजदूरी की अवधि की उसकी मजदूरी के साथ उसे देय होगी ।

मजदूरी में कटौतियां

१५—कर्मचारी के वेतन में से कटौतियाँ केवल उस सीमा तक और ऐसी रीति से की जायेंगी, जो नियत की जायं ।

कर्मचारियों को अर्थ-दण्ड

१६—नियोजक कर्मचारी पर, मजदूरी की अवधि के लिये उसे देय मजदूरी के तीन प्रतिशत से अधिक का अर्थ-दंड आरोपित न करेगा ।

अर्थ-दण्ड का रजिस्टर

१७—(१) नियोजक नियत प्रपत्र में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें समस्त आरोपित अर्थ-दंड तथा उनकी वसूली दर्ज की जायेगी ।

(२) कर्मचारियों से वसूल किये गये अर्थ-दंड केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिये काम में लाये जायेंगे, जो उनके लिये हितकारी हों और जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हों ।

मजदूरी की वसूली

ऐक्ट संख्या ४, १९३६

१८—यदि कर्मचारी की मजदूरी का भुगतान इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन व्यवस्थित रीति से न किया जाय तो वह पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ में व्यवस्थित रीति से इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह उक्त ऐक्ट के अधीन देय मजदूरी (wages) हो ।

नियोजक द्वारा अपने कर्मचारी को सेवा-मुक्त किया जाना

१९—(१) ऐसे कर्मचारी को छोड़कर जो निर्दिष्ट अवधि के लिये या छुट्टी के कारण हुई किसी रिक्ति में रखा गया हो, कोई अन्य कर्मचारी अपने नियोजक द्वारा सेवा से मुक्त न किया जायगा सिवाय उस दशा के जब :

(क) उसके द्वारा धृत पद की छटनी कर दी गयी हो; या

(ख) वह शारीरिक अशक्तता या लगातार अस्वस्थता के कारण अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के अयोग्य हो ;

और उस पर ऐसा लिखित नोटिस तामील कर दिया गया हो जिसमें सेवामुक्त करने के कारण दिये हों । नोटिस कम से कम तीस दिन का या ऐसी अधिक अवधि का होगा जो नियोजन की शर्तों के अधीन अपेक्षित हो :

प्रतिबन्ध यह है कि सेवामुक्ति का नोटिस उक्त अवधि से कम का भी हो सकता है यदि उसके साथ, उतने दिनों की मजदूरी का जितने से वह नोटिस अपेक्षित अवधि से कम का हो, भुगतान किया जाय ।

(२) उपधारा (१) की कोई बात अनाचार के कारण पदच्युत किये जाने पर प्रवृत न होगी ।

कर्मचारी द्वारा नियोजन समाप्त किया जाना

२०—(१) ऐसे कर्मचारी को छोड़कर जो निर्दिष्ट अवधि के लिये या छुट्टी के कारण हुई रिक्ति में रखा गया हो, कोई अन्य कर्मचारी तीस दिन का या ऐसी अधिक अवधि का, जो उसके नियोजन की शर्तों के अधीन अपेक्षित हो, नोटिस दिये बिना अपना नियोजन समाप्त नहीं करेगा ।

(२) यदि कर्मचारी उपधारा (१) के उपबन्धों का अनुपालन न करे, तो पंद्रह दिन से अनधिक अवधि की उसकी अदत्त मजदूरी उसके नियोजक के हक में जब्त की जा सकती है ।

बच्चों के नियोजन का निषेध

२१—ऐसे नियोजन में जो राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित किया जाये शिशिक्षु के रूप में काम करने के सिवाय, न तो किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में काम करने की किसी बच्चे से अपेक्षा की जायेगी और न उसे उसमें काम करने दिया जायगा ।

रात्रि में स्त्रियों तथा बच्चों के नियोजन का निषेध

२२—रात्रि में किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में कर्मचारी या अन्य रूप में, किसी स्त्री या बच्चे से न तो काम करने की अपेक्षा की जायगी और न उसे काम करने दिया जायगा ।

विशिष्ट अवधि में स्त्रियों के नियोजन का निषेध

२३—कोई भी नियोजक जान बूझ कर किसी स्त्री से, उसके बच्चा पैदा होने के बाद के दिन से छः सप्ताह की अवधि में, किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में न काम करने की अपेक्षा करेगा और न उसे काम करने देगा और न ऐसी कोई स्त्री उस अवधि में किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में काम करेगी ।

गर्भवती होने पर अनुपस्थित रहने का अधिकार

२४—(१) कोई गर्भवती स्त्री-कर्मचारी पूरे सात दिन का लिखित नोटिस देकर, अपने नियोजक से, उस अवधि तक अपने को कार्य मुक्त करने की अपेक्षा कर सकती है जो प्रसव के सम्भावित दिनांक से पूर्व छः सप्ताह से अधिक न हो ।

(२) नोटिस मिलने पर नियोजक, उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उक्त स्त्री-कर्मचारी को, प्रसव के सम्भावित दिनांक को समाप्त होने वाली छः सप्ताह की अवधि के लिये, कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा ।

(३) (क) नियोजक, नोटिस मिलने पर, उस स्त्री-कर्मचारी से, यदि वह चाहे तो किसी महिला डाक्टर से, अन्यथा, किसी अर्हता सम्पन्न चिकित्सा-व्यवसायी या दाई से, उसके (नियोजक के) व्यय पर चिकित्सकीय परीक्षा कराने की अपेक्षा कर सकता है ।

(ख) यदि—

(१) स्त्री-कर्मचारी ऐसी चिकित्सकीय परीक्षा कराने से इंकार करे, या

(२) उसकी उक्त परीक्षा किये जाने पर यह पाया जाय कि वह गर्भवती नहीं है, या यह कि उसके उस दिनांक से छः सप्ताह के भीतर प्रसव की कोई सम्भावना नहीं है जब से कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा माँगी गयी हो,

तो नियोजक उसे कार्य से मुक्त करने से इंकार कर सकता है, किन्तु यदि स्त्री कर्मचारी गर्भवती पायी जाय तो प्रसव के सम्भावित दिनांक के पूर्व छः सप्ताह की अवधि के लिये उसे कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जायगी ।

प्रसूति-छुट्टी

२५—कार्य से उन अवधियों में अनुपस्थिति जिनके सम्बन्ध में स्त्री-कर्मचारी इस अधिनियम की धारा २६ के अधीन प्रसूति-लाभों की हकदार हो, कार्य से प्राधिकृत रूप से अनुपस्थित मानी जायगी, और स्त्री-कर्मचारी इन अवधियों में से किसी भी अवधि के लिये प्रसूति-लाभों की हकदार होगी, परन्तु मजदूरी पाने की हकदार न होगी ।

प्रसूति-लाभ

२६—प्रत्येक स्त्री-कर्मचारी, जो अपने प्रसव के दिनांक से पहले कम से कम छः मास तक एक ही नियोजक के निरन्तर नियोजन में (चाहे एक ही दूकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में या विभिन्न दूकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों में) रही हो अपने नियोजक से—

(क) प्रसव के दिन से ठीक छः सप्ताह पूर्व तक की अवधि के लिये, और

(ख) प्रसव के दिन से छः सप्ताह बाद तक की अवधि के लिये ऐसे प्रसूति-लाभों की और ऐसी रीति से पाने की हकदार होगी, जो नियत की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्त्री-कर्मचारी किसी भी ऐसे दिन के लिये इस प्रकार का कोई लाभ पाने की हकदार न होगी, जिस दिन वह, उपर्युक्त अवधियों में से किसी भी अवधि में काम पर आती रही हो और उसके लिये मजदूरी पाती रही हो ।

विश्राम के लिये अन्तर्काल

२७—स्त्री-कर्मचारी अपने बच्चे के स्तनपान की अवधि में, विश्राम के नियमित अन्तर्कालों के साथ-साथ उपर्युक्त प्रयोजन के लिये आध-आध घंटे के दो और अन्तर्कालों की हकदार होगी ।

प्रसूति के कारण काम से अनुपस्थिति रहने की अवधि में, या अनुपस्थिति के कारण, सेवा-मुक्त करने या सेवा से हटाने का निषेध

२८—(१) कोई भी नियोजक किसी स्त्री-कर्मचारी को धारा २५ के अधीन काम से अनुपस्थित रहने की अनुमत अवधि में, या उस अवधि में काम से अनुपस्थित रहने के कारण न तो सेवा से मुक्त करेगा और न सेवा से हटायेगा ।

(२) यदि इन्सपेक्टर की यह राय हो कि ऐसा बिना पर्याप्त कारण के किया गया है तो प्रसव के दिनांक के छः मास के भीतर सेवा से मुक्त कर दी जाने या हटा दी जाने के कारण ही कोई स्त्री-कर्मचारी उन प्रसूति-लाभों से वंचित नहीं की जायेगी जिनकी कि वह सेवा से उक्त मुक्ति न होने या हटाये न जाने की दशा में हकदार होती ।

इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति

२९—राज्य सरकार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये एक मुख्य निरीक्षक और एक उप मुख्य निरीक्षक और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये उतने निरीक्षक, जितने आवश्यक समझे जायं, नियुक्त कर सकती है ।

इंस्पेक्टरों का प्रवेश करने आदि का अधिकार

३०—ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायं, इंस्पेक्टर हर उचित समय पर किसी ऐसे स्थान में, जो दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान हो या जिसे दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान मानने का उसके पास कारण हो, वहां रखे रजिस्टरों अभिलेखों या अन्य लेख्यों की जांच करने के प्रयोजनार्थ, प्रवेश कर सकता है । इंस्पेक्टर अपनी सहायता के लिये ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ ले जा सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे और उस स्थान का जो उस समय स्वामी या अध्यासी हो वह उन्हें प्रवेश करने देगा तथा उक्त रजिस्टरों, अभिलेखों या लेख्यों की जांच करने

देगा। इन्स्पेक्टर उनमें से ऐसे रजिस्टरों, अभिलेखों या अन्य लेख्यों का अभिग्रहण कर सकता है जिसकी उसे इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों का कोई उल्लंघन सिद्ध करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा हो।

निरीक्षक आदि लोक-सेवक होंगे ऐक्ट संख्या ४५, १८६०

३१—धारा २९ के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक तथा प्रत्येक निरीक्षक इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में पब्लिक सरवेंट (लोक-सेवक) समझे जायेंगे।

रजिस्टर आदि

३२—नियोजक ऐसे रजिस्टर तथा अभिलेख रखेगा और ऐसे नोटिस प्रदर्शित करेगा जो नियत किये जायं।

उपबन्धों का उल्लंघन

३३—प्रत्येक व्यक्ति जो, धारा २० की उपधारा (१) के उपबन्धों से भिन्न, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे या उनका अनुपालन न करे, इस अधिनियम के अधीन अपराध करने का दोषी होगा।

कम्पनियों आदि द्वारा अपराध

३४—(१) यदि इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो कम्पनी और प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उसका कारोबार चलाने के निमित्त कम्पनी का अवधायक तथा उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध करने का दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उन्हें दंड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई उक्त व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी तो इस उपधारा की किसी बात से वह दंड का भागी नहीं होगा।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह सिद्ध हो जाय, कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ है अथवा यह कि अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उसे दंड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये:—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ (association) भी है, और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है।

दण्ड

३५—इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को अर्थ-दंड दिया जा सकेगा जो प्रथम अपराध के लिये एक सौ रुपये तक तथा प्रत्येक अनुवर्ती अपराध के लिये पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

अभियोजन की कालावधि

३६—(१) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान (cognizance) न करेगा जब तक कि कथित अपराध किये जाने के दिनांक से छः मास के भीतर लिखित अभियोग प्रस्तुत न किया जाय।

(२) कोई भी न्यायालय जो द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन किसी अपराध की सुनवाई न करेगा ।

न्यायालय जो इस अधिनियम के अधीन अपराधों की सुनवाई के लिये अधिकृत होंगे

३७—इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा दिये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जायगा और न अन्य विधिक कार्यवाही की जायगी ।

इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही का संरक्षण

३८—जब कोई दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान वस्तुतः खुला हो तो परिकल्पना (presumption) यह की जायेगी कि वह किसी ग्राहक की सेवा के लिये या दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में सामान्यतः किये जाने वाले कारोबार, व्यापार अथवा निर्माण के लिये खुला है ।

परिकल्पना

३९—वर्कमेंस कम्पेन्सेशन ऐक्ट, १९२३ तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्ध, दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान के प्रत्येक कर्मचारी पर, आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे ।

वर्कमेंस कम्पेंसेशन ऐक्ट तथा रूल्स का प्रवृत्त होना ऐक्ट संख्या ८, १९२३

४०—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

नियम बनाने का अधिकार

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में नियम बना सकती है, अर्थात् :—

(क) नियोजक द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर तथा अभिलेख;

(ख) नियोजक द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाले नोटिस;

(ग) कटौतियां जो कर्मचारी की मजदूरी से की जा सकती हैं;

(घ) अर्थ-दंड तथा पदच्युति;

(ङ) आकस्मिक छुट्टी की स्वीकृति और उक्त छुट्टी की अवधि की मजदूरी के भुगतान को विनियमित करना;

(च) अन्य छुट्टियों की स्वीकृति को विनियमित करना;

(छ) प्रसूति-लाभ और उनका भुगतान; और

(ज) ऐसे विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियत किये जाने हों या जो नियत किये जा सकें ।

(३) इस अधिनियम के अधीन नियम इसी शर्त पर बनाये जा सकेंगे कि उनका पूर्व प्रकाशन किया जाय ।

(४) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल क प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, वे गजट में प्रकाशित

होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कार अथवा अभिशून्यन (annulments) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान-मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

निरसन यू० पी० ऐक्ट संख्या २२, १९४७

४१—यूनाइटेड प्राविंसेज शाप्स ऐंड कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट्स ऐक्ट, १९४७ निरस्त किया जाता है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि दो बातें आप मान लीजिये तो मैं सब अमेंडमेंट्स वापस ले लूंगा। एक तो शाप्स के लिये टाइम १० बजे से ८ बजे तक कर दिया जाय और दूसरे क्लोज के बारे में कर दिया जाय। (कई सदस्यों की ओर से संशोधनों को न पेश करने की प्रार्थना।)

श्री उपाध्यक्ष—तो आप कोई संशोधन मूव नहीं कर रहे हैं।

(कुछ रुक कर)—प्रश्न यह है कि खंड २ से ४१ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—एक निवेदन यह है कि जब 'नहीं' की संख्या बिल्कुल न हो तो कृपया उसे सर्वसम्मति से कहें।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—आप के ऐसा कहने से हम लोगों में भेद पैदा हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—बहुत अच्छा।

खंड १, प्रस्तावना शीर्षक, अनुसूची १ व अनुसूची २

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य-अधिष्ठान विधेयक, १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

दुकानों और वाणिज्य-अधिष्ठानों में कार्य और नियोजन की दशाओं के विनियमन से संबद्ध विधि का समेकन और संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रवृत्ति

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य-अधिष्ठान अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) अनुसूची १ में निर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबन्ध उक्त अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में उस मात्रा में प्रवृत्त होंगे जिसका कि निर्देश उस अनुसूची में किया गया है और राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति देकर, समय-समय पर, यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के सब या कोई उपबन्ध ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में और उतनी मात्रा में भी प्रवृत्त होंगे जिसका कि निर्देश उस विज्ञप्ति में किया जाये।

अनुसूची १

भाग क

निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानों तथा वाणिज्य-अधिष्ठानों पर इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे :—

नाम	क्षेत्र जिनमें इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे
१—आगरा	म्युनिसिपल तथा केन्टोनमेण्ट क्षेत्र
२—इलाहाबाद	,, ,,
३—बरेली	,, ,,
४—कानपुर	,, ,,
५—देहरादून	,, ,,
६—झांसी	,, ,,
७—मेरठ	,, ,,
८—मंसूरी	,, ,,
९—मथुरा	,, ,,
१०—नैनीताल	,, ,,
११—सीतापुर	,, ,,
१२—रामपुर	,, ,,
१३—शाहजहांपुर	,, ,,
१४—वाराणसी	म्युनिसिपल तथा कैन्टोनमेण्ट क्षेत्र और लंका, विद्यापीठ रोड, भोजूवीर, शिवपुर और पांडेपुर के आसन्नवर्ती क्षेत्र ।
१५—लखनऊ	म्युनिसिपल तथा कैन्टोनमेन्ट क्षेत्र और चारबाग, आलमबाग नोटीफाइड एरिया और चांदगंज, कलां, आलमबाग और मवइया के आसन्नवर्ती क्षेत्र ।
१६—फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़	म्युनिसिपल तथा केन्टोनमेन्ट क्षेत्र और लालबाग, बढ़पुर, नेकपुर और भोलेपुर के आसन्नवर्ती क्षेत्र ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नाम	क्षेत्र जिनमें इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे
१७—अलीगढ़	म्युनिसिपल क्षेत्र
१८—फिरोजाबाद	,, ,,
१९—फैजाबाद	,, ,,
२०—गोरखपुर	,, ,,
२१—हापुड़	,, ,,
२२—हाथरस	,, ,,
२३—मुजफ्फरनगर	,, ,,
२४—सहारनपुर	,, ,,
२५—गोंडा	,, ,,
२६—गाजियाबाद	,, ,,
२७—कायमगंज	,, ,,
२८—मिर्जापुर	,, ,,
२९—बुलन्दशहर	,, ,,
३०—बाराबंकी	,, ,,
३१—बांदा	,, ,,
३२—हरदोई	,, ,,
३३—जौनपुर	,, ,,
३४—पीलीभीत	,, ,,
३५—उरई	,, ,,
३६—बहराइच	,, ,,
३७—सुल्तानपुर	,, ,,
३८—आजमगढ़	,, ,,
३९—इटावा	,, ,,
४०—रायबरेली	,, ,,
४१—पडरौना	,, ,,
४२—हमीरपुर	,, ,,
४३—बस्ती	,, ,,
४४—मैनपुरी	,, ,,
४५—उन्नाव	,, ,,
४६—प्रतापगढ़	,, ,,
४७—देवरिया	,, ,,
४८—लखीमपुर-खीरी	,, ,,

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नाम	क्षेत्र जिनमें इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे
४९—गाजीपुर	म्युनिसिपल क्षेत्र
५०—बिजनौर	" "
५१—फतेहपुर	म्युनिसिपल क्षेत्र तथा कलेक्टरगंज, हरिहरगंज, रेलबाजार, देवीगंज और राधानगर के आसन्नवर्ती क्षेत्र ।
५२—कन्नौज	म्युनिसिपल क्षेत्र और सरायमीरन और मकरन्दनगर के आसन्नवर्ती क्षेत्र ।
५३—बलिया	म्युनिसिपल क्षेत्र
५४—चंदौसी	" "
५५—कासगंज	" "
५६—भदोई (वाराणसी)	" "
५७—रामनगर (नैनीताल)	" "
५८—हल्द्वानी	" "
५९—शामली (मुजफ्फरनगर)	" "
६०—बदायूं	" "
६१—शिकोहाबाद (मैनपुरी)	" "
६२—काशीपुर (नैनीताल)	" "
६३—महोबा (हमीरपुर)	" "
६४—मुरादाबाद	म्युनिसिपल क्षेत्र और रेलवे सेटिलमेंट नोटीफाइड एरिया, रेलवे स्टेशन और रेलवे इंस्टीट्यूट ।

भाग ख

निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानों तथा वाणिज्य-अधिष्ठानों पर धारा २, ३, ८, ९, १२, १३, १५, १९, ३२, ३३, ३४, ३५ और ४० के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे :—

नाम	क्षेत्र जिनमें उक्त धारायें प्रवृत्त होंगी
१—रुड़की	म्युनिसिपल तथा केन्टोनमेन्ट क्षेत्र
२—खुर्जा	म्युनिसिपल क्षेत्र
३—हरद्वार	" "

नाम			क्षेत्र जिनमें उक्त धारायें प्रवृत्त होंगी	
४—बलरामपुर (गोंडा)	..	..	म्युनिसिपल क्षेत्र	
५—मऊनाथ भंजन	..	..	,,	,,
६—तिलहर ..	..	..	,,	,,
७—नगीना ..	..	..	,,	,,
८—नजीबाबाद ..	..	..	,,	,,
९—देवबन्द (सहारनपुर)	..	..	,,	,,
१०—शाहाबाद (हरदोई)	..	..	,,	,,
११—पंडितवारी (देहरादून)	..	..	,,	,,
१२—जालौन ..	..	..	,,	,,
१३—अमेठी ..	..	..	,,	,,
१४—करवी (बांदा)	..	..	,,	,,
१५—मुगलसराय ..	..	..	,,	,,
१६—टांडा (फैजाबाद)	..	..	,,	,,
१७—गौरा बड़हज (देवरिया)	..	..	,,	,,
१८—कैराना (मुजफ्फरनगर)	..	..	,,	,,
१९—बड़ौत (मेरठ)	..	..	,,	,,
२०—वृन्दावन (मथुरा)	..	..	,,	,,
२१—मवाना (मेरठ)	..	..	,,	,,
२२—जलालपुर (फैजाबाद)	..	..	,,	,,
२३—कोटद्वारा (गढ़वाल)	..	..	,,	,,
२४—एटा ..	..	..	,,	,,
२५—ललितपुर (झांसी)	..	..	,,	,,
२६—मऊरानीपुर (झांसी)	..	..	,,	,,
२७—सम्भल (मुरादाबाद)	..	..	,,	,,
२८—अमरोहा (मुरादाबाद)	..	..	,,	,,
२९—चांदपुर (बिजनौर)	..	..	,,	,,
३०—अल्मोड़ा ..	..	..	,,	,,
३१—बीसलपुर (पीलीभीत)	..	..	,,	,,
३२—बिसवां (सीतापुर)	..	..	,,	,,
३३—गोलागोकरननाथ (खीरी)	..	..	,,	,,
३४—कोंच (जालौन)	..	..	,,	,,

विधान सभा पुस्तकालय

नाम			क्षेत्र जिनमें उक्त धारायें प्रवृत्त होंगी
३५—कालपी (जालौन)	..	..	म्युनिसिपल क्षेत्र
३६—खतौली (मुजफ्फरनगर)	..	..	" "
३७—औरइया (इटावा)	..	..	" "
३८—धामपुर (बिजनौर)	..	..	" "
३९—सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर)	..	..	" "
४०—ऋषिकेश (देहरादून)	..	..	" "
४१—उझानी (बदायूं)	..	..	" "
४२—भरथना (इटावा)	..	..	टाउन एरिया
४३—रसड़ा (बलिया)	..	..	नोटीफाइड एरिया
४४—शाहगंज (जौनपुर)	..	..	" "
४५—छिबरामऊ (फर्रुखाबाद)	..	..	टाउन एरिया
४६—मोदीनगर (मेरठ)	..	..	" "

भाग ग

राज्य में स्थित वेक्यूम पान शुगर फैक्टरियों के उन सब कर्मचारियों पर इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे जिन पर कि फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं होते हैं।

भाग घ

राज्य में स्थित सब गन्ना सहकारी समितियों के वाणिज्य-अधिष्ठानों पर इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगें।

अनुसूची २

(दुकानें तथा वाणिज्य-अधिष्ठान जिन पर धारा ५ तथा ८ के उपबंध प्रवृत्त न होंगे।)

(१) ऐसी दुकानें तथा वाणिज्य-अधिष्ठान जो अनन्यतः या मुख्यतः भोजन, जलपान, समाचार-पत्रों तथा नियतकालिक पत्रिकाओं, औषधियों, चिकित्सकीय तथा शल्य उपकरणों, शाक-सब्जी, मिठाइयों, दूध, पकाये हुए भोजन, फूल, पान और सुपारी, मांस-मछली-कुक्कुटादि (poultry), शिकार किये हुए पशु-पक्षी, अण्डों, बर्फ तथा ताजे फल और हरे चारे का व्यवसाय करते हों

(२) सिनेमा, नाट्यशाला तथा सर्वजनिक विनोद या मनोरंजन के अन्य स्थान।

(३) क्लब तथा निवास-स्थान-युक्त होटल।

(४) रेल के स्टेशनों पर के स्टाल तथा जलपान-गृह।

(५) ऐसी दुकानें जो मोटर स्प्रिट तथा मोटर अथवा वायुयान के अतिरिक्त भागों और सहायक सामान की बिक्री करती हों ।

(६) नाइयों तथा केश-प्रसाधकों की दुकानें तथा अधिष्ठान ।

(७) सरकार से लाइसेंस प्राप्त ऐसी दुकानें तथा अधिष्ठान जो मद्य-द्रवों या स्वापक भेषजों (narcotic drugs) का व्यवसाय करते हों ।

(८) अनन्यतः या मुख्यतः शव दफनाने, अन्त्येष्टि के लिये ले जाने तथा दाह-संस्कार के लिये अवश्यक वस्तुओं का व्यवसाय करने वाली ऐसी दुकानें जो नियत रीति से कलेक्टर द्वारा विज्ञापित की जायं ।

(९) अनन्यतः य मुख्यतः पेट्रोमैक्स, बैण्ड तथा लाउड स्पीकर, जिनकी अपेक्षा विवाह तथा अन्य अनुष्ठानों के अवसरों के लिये की जाती है, किराये पर देने का व्यवसाय करने वाली दुकानें ।

(१०) पूर्त प्रयोजनों के लिये आयोजित प्रदर्शनी, सार्वजनिक प्रदर्शन, मेलों या बाजारों में दुकान ।

(११) परिवहन सेवाएं ।

(१२) बिजली तथा जल-सम्भरण प्रतिष्ठान ।

(१३) अनन्यतः या मुख्यतः साइकिलों तथा रिक्शों की मरम्मत करने वाली दुकानें ।

*श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है इस वास्ते मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इसको मान लें ।

मेरा संशोधन यह है कि—

"अनुसूची २ के खंड १३ की पंक्ति १ के शब्द "रिक्शों" के बाद शब्द 'की' के बीच में शब्द 'तांगा, इक्का तथा बैलगाड़ी' जोड़ दिये जायं और शब्द 'सायकिलों' और 'रिक्शों' के बीच का शब्द 'तथा' निकाल दिया जाय ।"

अब देखिये कि शहर में बैलगाड़ी चलती है, तांगा चलता है और इक्के चलते हैं, अगर इनके पुर्जे टूट जायं और दुकान खुली न रहें तो क्या हालत होगी । इसलिये इसे बढ़ा दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, मैं बैलगाड़ी वाले हिस्से को मान रहा हूं क्योंकि इसके लिये इसरार बहुत है ।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील—श्रीमन्, मेरा दूसरा संशोधन यह है कि उतरौला और तुलसीपुर गोंडा के बहुत अच्छे कस्बों में हैं . . . .

श्री उपाध्यक्ष—आपने अनुसूची २ का संशोधन रख दिया है तो पहले वाला खत्म हो जाता है ।

प्रश्न यह है कि अनुसूची २ के खंड १३ की पंक्ति १ के शब्द "रिक्शों" के बाद शब्द "की" के बीच में शब्द 'मोटर, तांगा, इक्का तथा बैलगाड़ी' जोड़ दिये जायं और शब्द "सायकिलों" और "रिक्शों" के बीच का शब्द "तथा" निकाल दिया जाय ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, मैंने बैलगाड़ी वाला हिस्सा स्वीकार किया था जो श्रमिकों के कल्याण के लिहाज से ठीक है । मोटर को मैं नहीं मानता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—"मोटर" हटाकर बाकी प्रस्ताव को आप मानते हैं ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची २ के खंड १३ की पंक्ति १ के शब्द "रिक्शों" के बाद शब्द "की" के बीच में शब्द "तांगा, इक्का तथा बैलगाड़ी" जोड़ दिये जायं और शब्द "सायकिलों" और "रिक्शों" के बीच का शब्द "तथा" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना, शीर्षक, अनुसूची १ और संशोधित अनुसूची २ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—श्रीमन्, मैं केवल एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि नियमों में बहुत अधिकार रखा गया है तो सरकार इस चीज को ध्यान में रखकर नियम बनाये जिससे कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहें ।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो यहां पेश होंगे ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य-अधिष्ठान, विधेयक, १९६२ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, तथा सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

मान्यवर, इस अमेंडमेंट के साथ कि जो स्वीकार हुआ उसको पारित करने की कृपा करें । इतना ही कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य-अधिष्ठान विधेयक, १९६२ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, तथा सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक, १९६२ (क्रमागत)

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव किया था कि विधेयक पर विचार किया जाय । हम लोगों ने आपस में कुछ तय कर लिया है । जो संशोधन हैं वह माननीय नरसिंह नारायण मूव करेंगे और उसको मान कर हम पास कर देंगे ।

श्री मैनेजरसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की बदली हुई परिस्थिति में जिस प्रकार से आदरणीय सदन की कार्यवाही चल रही है मैं समझता हूं कि इससे प्रदेश की इज्जत बढ़ रही है । मैंने जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसे मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बाद वापस लेना चाहता हूं । मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने कृपा करके हमारे सुझावों को मान लिया है और उसके अनुसार आवश्यक संशोधन संबंधित धाराओं में कर दिये जायेंगे । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक, १९६२ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

(इस समय ५ बजकर ६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

खंड २

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "संबद्ध संस्था" का तात्पर्य अधिनियम के उपबन्धों के या तद्धीन बनाये गये विनियमों के अनुसार किसी पाठ्य-क्रम या किन्हीं पाठ्य-क्रमों के विषय में परिषद् से संबद्ध संस्था से है ;

(ख) "परिषद्" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् से है ;

(ग) "उपविधि" का तात्पर्य धारा २४ के अधीन बनायी गयी उप-विधियों से है ;

(घ) "केन्द्र" का तात्पर्य परिषद् द्वारा अपनी परीक्षाएं लेने के प्रयोजनार्थ निश्चित की गयी संस्था या स्थान से है और इसके अन्तर्गत उससे संलग्न या अनुबद्ध (appurtenant) भू-गृहादि भी हैं ;

(ङ) "प्रमाण-पत्र" का तात्पर्य परिषद् द्वारा किसी व्यक्ति को, संबद्ध संस्था में ऐसे पाठ्य-क्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर दिये गये प्रमाण-पत्र से है, जो समय-समय पर विनियमों द्वारा नियत किये जायें ;

(च) "सभापति" का तात्पर्य धारा ४ के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् के सभापति से है ;

(छ) "डिप्लोमा" का तात्पर्य परिषद् द्वारा किसी व्यक्ति को, संबद्ध संस्था में ऐसे पाठ्य-क्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर दिये गये डिप्लोमा से है, जो समय-समय पर विनियमों द्वारा नियत किये जायें ;

(ज) "अभीक्षक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो केन्द्र में होने वाली परीक्षाओं के संचालन तथा पर्यवेक्षण में उस केन्द्र के अधीक्षक की सहायता करे और परियोजना परीक्षा के संबंध में इसके अन्तर्गत परि-योजना प्रेक्षक भी है ;

(झ) "सदस्य" का तात्पर्य परिषद् के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत उसके सभापति तथा उप सभापति भी हैं ;

(ञ) "विनियम" का तात्पर्य धारा २३ के अधीन बनाये गये विनियमों से है ;

(ट) "नियम" का तात्पर्य धारा २२ के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों से है ;

(ठ) "सचिव" का तात्पर्य धारा ११ के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये परिषद् के सचिव से है ;

(ड) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ;

(ढ) "केन्द्र-अधीक्षक" का तात्पर्य परिषद् की परीक्षाओं का संचालन तथा पर्यवेक्षण करने के लिये परिषद् द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत अतिरिक्त अधीक्षक तथा सहयुक्त अधीक्षक भी है ; और

(ण) "उपसभापति" का तात्पर्य धारा ४ के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये परिषद् के उपसभापति से है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

३—राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, एक परिषद् की स्थापना करेगी जो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् कहलायेगी और ऐसी विज्ञप्ति इस, अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद किसी भी समय की जा सकती है, भले ही सदस्यों के एक या अधिक स्थान भरे जाने के लिये शेष हों । परिषद् की स्थापना

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष—वह कहने का तरीका यही है । मुमकिन है कि कोई न्युट्रल हो ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—उसको श्रीमन् बदल दीजिये ? उसमें बदलने में क्या हर्ज है ?

खंड ४

४—परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् : परिषद् का संगठन

(१) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सभापति ;

(२) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक उप सभापति ;

(३) राज्य विधान-सभा-द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित दो सदस्य ;

(४) राज्य विधान-परिषद् द्वारा अपने सदस्यों से निर्वाचित एक सदस्य ;

(५) राज्य सरकार के उद्योग, वित्त और विद्युत् विभागों में से प्रत्यक का एक प्रतिनिधि ;

(६) उद्योगों के राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो प्रतिनिधि;

(७) राज्य में स्थिति गर्ल्स डिग्री कालेजों की प्रधानाचार्याओं (प्रिंसिपलों) में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक प्रधानाचार्या;

(८) भारत सरकार के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;

(९) आल इंडिया काउन्सिल फार टैक्निकल एजूकेशन की नार्दर्न रीजनल कमेटी का एक प्रतिनिधि ;

(१०) रेलवे बोर्ड का एक प्रतिनिधि ;

(११) इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) का एक प्रतिनिधि ;

(१२) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी, कानपुर, का एक प्रतिनिधि ;

(१३) मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस, ईस्टर्न कमांड का एक प्रतिनिधि ;

(१४) परिषद् से संबद्ध-संस्थाओं के प्रधानाचार्यों (प्रिंसिपलों) में से चार, नियमों के नियत रीति से आवर्तन द्वारा ;

(१५) राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों की अभियंत्रण संकायों (इंजीनियरिंग फैकल्टियों) के डीनों में से पांच, नियमों में नियत रीति से आवर्तन द्वारा ;

(१६) राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन (अभियंत्रण) तथा सिंचाई विभागों के मुख्य अभियंता—पदेन ;

(१७) राज्य विद्युत् परिषद् (स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड) उत्तर प्रदेश, का मुख्य अभियन्ता—पदेन ;

(१८) रुड़की विश्वविद्यालय का उपकुलपति—पदेन ;

(१९) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश—पदेन;

(२०) निदेशक, प्रशिक्षण एवं नियोजन, उत्तर प्रदेश—पदेन ;

(२१) प्राविधिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश—पदेन ;

(२२) उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश—पदेन ;

(२३) राज्य सरकार का विद्युत् निरीक्षक (इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर)—पदेन ; और

(२४) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट चार अन्य व्यक्ति ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (३) में "दो सदस्य" के स्थान पर "चार सदस्य" रख दिये जांय, खंड ४ के उपखंड (४) में "एक सदस्य" के स्थान पर "दो सदस्य" रख दिये जांय, तथा खंड ४ के उपखंड (२४) में "चार अन्य व्यक्ति" के स्थान पर "दो व्यक्ति" रख दिये जांय ।

उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (३) में "दो सदस्य" के स्थान पर "चार सदस्य" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (४) में "एक सदस्य" के स्थान पर "दो सदस्य" रख दिये जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२४) में "चार अन्य व्यक्ति" के स्थान पर "दो व्यक्ति" रख दिये जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५—२६

विशेषज्ञों का अनुमेलन

५—परिषद् तीन से अनधिक ऐसे व्यक्तियों को, जो परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्य-क्रमों में सम्मिलित विषयों के विशेषज्ञ हों, अनुमेलित कर सकती है। अनुमेलित व्यतियों के नाम और प्रत्येक का (अनुमेलन का) कार्यकाल, जो तीन वर्ष से अधिक का न होगा, गजट में विज्ञप्ति किये जायेंगे।

सदस्यों की पदावधि

६—(१) धारा ७ तथा उपधारा (२) और (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य का कार्यकाल, उसकी नियुक्ति के गजट में विज्ञापित होने के दिनांक से तीन वर्ष का होगा।

(२) पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो परिषद् को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग सकेगा।

(३) जब कोई सदस्य उस पद पर न रह जाय जिसके कारण वह सदस्यता का पात्र हुआ हो तो वह सदस्य न रहेगा।

सदस्य का हटाया जाना

७—राज्य सरकार किसी ऐसे सदस्य को सदस्यता से हटा सकती है जिसके विषय में उस (राज्य सरकार) की यह राय हो कि उसने अपनी सदस्यता की स्थिति का ऐसा दुरुपयोग किया है कि उसका परिषद् में बना रहना लोक हित के लिये हानिकर होगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को उपर्युक्त प्रकार से हटाने के पहले उसको स्पष्टीकरण देने का एक अवसर देगी और उसके हटाये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी।

परिषद् की बैठकें

८—(१) परिषद् की बैठकें ऐसे समयों तथा स्थानों पर होंगी और उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, वह अपनी बैठकों में कार्य-सम्पादन करने के लिये जिसके अन्तर्गत बैठकों की गणपूर्ति भी है, ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जिनकी व्यवस्था तदर्थ बनायी गयी उपविधियों द्वारा की जाय।

(२) सभापति, तथा उसकी अनुपस्थिति में उप सभापति, परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। उन दोनों की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(३) परिषद् की बैठक में उठने वाले समस्त प्रश्नों का निर्णय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा, और मतों के बराबर होने की दशा में उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को एक दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

रिक्ति आदि के कारण कोई कार्य या कार्यवाहियां अवैध न होगी

९—परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त समिति का कोई कार्य या कार्यवाहियां परिषद् या समिति में कोई रिक्ति या उसके संघटन में कोई त्रुटि होने के कारण ही या प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता होने के कारण जिससे मामले के गुण-दोष पर प्रभाव न पड़े, अवैध न समझी जायेंगी।

परिषद् का कार्यालय

१०—परिषद् का कार्यालय उत्तर प्रदेश में उस स्थान पर होगा जो राज्य सरकार निश्चित करे।

परिषद् का सचिव

११—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में परिषद् की सहायता करने के निमित्त उसका एक सचिव नियुक्त करेगी।

(२) सचिव सरकारी कर्मचारी होगा।

परिषद् के कृत्य और कर्त्तव्य

१२—इस अधिनियम के उपबन्धों और तदधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के अधीन रहते हुये परिषद् के निम्नलिखित कृत्य और कर्तव्य होंगे—

(१) संस्थाओं को सम्बद्ध करना और अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम तथा शिक्षण–क्रम नियत करना;

(२) सम्बद्ध संस्थाओं की इमारतों तथा सज्जा के लिये मानदण्ड नियत करना;

(३) सम्बद्ध संस्थाओं के कर्मचारिवर्ग के लिये शैक्षिक अर्हतायें तथा अन्य मानदण्ड नियत करना;

(४) सम्बद्ध संस्थाओं में विद्यार्थियों की भर्ती के लिये शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें नियत करना;

(५) सम्बद्ध संस्थाओं में विद्यार्थियों के भर्ती किये जाने की रीति नियत करना,

(६) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रविष्ट करना;

(७) निम्नतर कक्षाओं से उच्चतर कक्षाओं में प्रोन्नति के निमित्त तथा प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा देने के निमित्त भी परीक्षायें संचालित करना;

(८) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के परीक्षाफल प्रकाशित करना;

(९) उन विद्यार्थियों को, जिन्होंने किसी सम्बद्ध संस्था में नियत पाठ्य–क्रमों को पूरा कर लिया हो और उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुये हों, प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा देना;

(१०) अन्य प्राधिकारियों तथा निकायों के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये सहयोग करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों;

(११) प्राविधिक शिक्षा के समन्वित विकास तथा तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देना;

(१२) इस अधिनियम तथा तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन ऐसे अन्य समस्त कार्य करना, जो उसके कृत्यों का यथोचित निर्वहन करने के लिये आवश्यक हों; और

(१३) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उस पर आरोपित किये जायें।

परिषद् के अधिकार

१३—(१) परिषद् को इस अधिनियम में उपबन्धों तथा तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये, वे सब अधिकार होंगे जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन तथा कर्त्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक हों।

(२) विशेषतया तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् के निम्नलिखित अधिकार होंगे—

(१) किसी ऐसे अभ्यर्थी की परीक्षा को रद्द करना या उसके परीक्षाफल को रोक लेना या उसे किसी भावी परीक्षा में बैठने से वर्जित कर देना, जिसके सम्बन्ध में यह पाया जाये कि—

(क) वह परीक्षा में अनुचित उपायों का प्रयोग करने का दोषी है; या

(ख) उसने संस्था अथवा परीक्षा में भर्ती के लिये प्रार्थना-पत्र में कोई असत्य विवरण दिया है या महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य छिपाया है; या

(ग) वह परीक्षा में कपट करने या प्रतिरूपण का दोषी है; या

(घ) उक्त परीक्षा में प्रवेश पाने के नियमों का उल्लंघन करके उसने परीक्षा में प्रवेश पाया है; या

(ङ) वह परीक्षा के दौरान में किसी अनुशासनहीनता का दोषी है।

(२) किसी ऐसे अभ्यर्थी का परीक्षा-फल रद्द करना जो खंड (१) के उपखंडों (क) से (घ) तक में दिये गये कार्यों में सभी या किसी का दोषी पाया जाये अथवा ऐसा परीक्षा-फल रद्द करना जिसकी घोषणा में परिषद् द्वारा कोई सद्भावनापूर्ण भूल हो गयी हो;

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् की सद्भावनापूर्ण भूल के कारण कोई परीक्षा-फल उसकी घोषणा के दिनांक से नब्बे दिन व्यतीत हो जाने पर रद्द न किया जायेगा ;

(३) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये शुल्क नियत करना और उनको वसूल करने की रीति की व्यवस्था करना;

(४) किसी ऐसी संस्था को सम्बद्ध करने से इनकार करना—

(क) जो कर्मचारिवर्ग, शिक्षण, सज्जा, या इमारत के लिये परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करती या उन्हें पूरा करने की स्थिति में नहीं है अथवा उन तक नहीं पहुंचती है; या

(ख) जो परिषद् द्वारा तदर्थ निर्धारित सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं करती या उनका पालन करना नहीं चाहती;

(५) ऐसी संस्था की सम्बद्धता वापस लेना जो कर्मचारिवर्ग, शिक्षण, सज्जा, या इमारत के लिये परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं कर सकती या उनके अनुसार व्यवस्था नहीं कर सकती, अथवा जो परिषद् के सन्तोषानुसार सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं करती;

(६) नियमों या विनियमों या परिषद् के निर्णयों, अनुदेशों अथवा निदेशों के किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में सम्बद्ध संस्थाओं के प्रधानों से प्रतिवेदन मांगना और नियमों या विनियमों या परिषद् के निर्णयों, अनुदेशों, अथवा निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये ऐसी रीति से उचित कार्यवाही करना, जो विनियमों द्वारा नियत की जाय;

(७) यह सुनिश्चित करने के लिये सम्बद्ध संस्था का निरीक्षण करना कि नियत पाठ्य-क्रमों का यथोचित रूप से अनुसरण किया जाये और शिक्षण की सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाये तथा उनका यथोचित उपयोग हो; और

(८) उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या निश्चित करना जो किसी संबद्ध संस्था में पाठ्यक्रमों के लिये भरती किये जा सकें;

(३) उपधारा (१) तथा (२) में उल्लिखित समस्त मामलों में परिषद् का निर्णय अंतिम होगा ।

राज्य सरकार के अधिकार

१४—(१) राज्य सरकार परिषद् द्वारा किये गये या उसके द्वारा संचालित किसी काम के विषय में या परिषद् से संबंध रखने वाले किसी मामले में, अपने विचार परिषद् को संसूचित कर सकती है और तदुपरान्त परिषद् राज्य सरकार को उस कार्यवाही की सूचना देगी जो उनके संबंध में उसने की हो या करने का उसका विचार हो ।

(२) यदि परिषद् उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही न करे या की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही की उसे सूचना न दे, तो राज्य सरकार परिषद् द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों से संगत ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जो वह उचित समझे । परिषद् उक्त निदेशों का पालन उनमें उल्लिखित समय के भीतर करेगी, और यदि वह उनका पालन न करे, तो राज्य सरकार ऐसी समस्त कार्यवाही कर सकती है जो वह उक्त निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे ।

(३) राज्य सरकार, किसी भी आपातिक दशा में, जिसकी वही एकमात्र निर्णायक होगी, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुये, ऐसी तात्कालिक कार्यवाही कर सकती है, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या इष्टकर समझी जाय ।

सभापति के अधिकार और कर्त्तव्य

१५—(१) सभापति को, परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुये, उसके निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित सभी कार्य करने का अधिकार होगा । वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा नियत किये जायं ।

(२) सभापति को धारा १८ की उपधारा (१) के अधीन संगठित समितियों के निर्णयों पर परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुये, ऐसे आदेश देने का अधिकार होगा जो परिषद् के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत हों तथा जिन्हें वह उचित समझे । सभापति इस प्रकार दिये गये प्रत्येक आदेश की सूचना परिषद् को उसकी अगली बैठक में देगा ।

(३) सभापति, ऐसी आपातिक दशा में जिसमें उसकी राय में तात्कालिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हो, परिषद् की क्षमता के अन्तर्गत आने वाले किसी भी मामले में कार्यवाही कर सकता है और इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुये, लिखित आदेश द्वारा ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह आवश्यक समझे । तदुपरान्त

सभापति तुरन्त परिषद् को, उसकी अगली बैठक में इस प्रकार की गयी कार्यवाही की सूचना देगा ।

(४) धारा १४ की उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिषद् उपधारा (२) अथवा (३) के अधीन सभापति द्वारा किये गये आदेश की पुष्टि कर सकती है या उसे रद्द या परिष्कृत कर सकती है और सभापति द्वारा की गयी कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले मामले के संबंध में ऐसे अन्य आदेश दे सकती है जो इष्टकर या आवश्यक समझे जायें ।

(५) धारा १४ की उपधारा (३) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी कोई कार्यवाही या दिया गया कोई आदेश अंतिम होगा चाहे वह किसी ऐसे मामले के संबंध में हो जिस पर सभापति द्वारा उपधारा (२) अथवा (३) के अधीन कार्यवाही की गयी हो अथवा अन्य प्रकार का हो, और किसी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी तथा इस धारा के अधीन सभापति या परिषद् द्वारा दिये गये किसी भी आदेश पर अभिभावी होगा ।

उपसभापति के अधिकार और कर्त्तव्य

१६—उपसभापति, सभापति के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा नियत अथवा सभापति द्वारा प्रतिनिहित किये जायं ।

सचिव के अधिकार और कर्त्तव्य

१७—सचिव, परिषद् का मुख्य प्रशासी अधिकारी होगा और परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुये, उसके निर्णयों के कार्यान्वय के लिये उत्तरदायी होगा । वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा नियत किये जायं, और विशेष रूप से वह—

(क) लेखा प्राक्कलन तथा आय-व्यय के वार्षिक विवरण-पत्र तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि परिषद् को प्रदिष्ट समस्त धनराशियां उन्हीं प्रयोजनों के लिये खर्च की जायें जिनके लिये वे प्रदिष्ट की गयी हों;

(ग) परिषद् की बैठकों के कार्यवृत्त रखने के लिये उत्तरदायी होगा;

(घ) परिषद् की बैठकों में उपस्थित रहने और कार्यवाहियों में भाग लेने का हकदार होगा किन्तु उसे मतदान करने का अधिकार न होगा ।

समितियों तथा उपसमितियों का संघटन

१८—(१) परिषद् एक पाठ्य पुस्तक तथा पाठ्य-चर्या समिति, एक परीक्षा समिति, एक निरीक्षण एवं संबद्धता समिति और ऐसी अन्य समितियां संघटित करेगी जो नियमों या विनियमों द्वारा नियत की जाय । सचिव ऐसी प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन संघटित किसी समिति में उतने सदस्य और अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें परिषद् उसमें नियुक्त करे । समिति का कार्यकाल और उसके सदस्यों की संख्या वह होगी जो विनियमों द्वारा नियत की जाये ।

(३) परिषद् की कोई समिति उतने व्यक्तियों को ऐसी अवधि के लिये अनुमेलित कर सकती है जो वह उचित समझे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अनुमेलित सदस्यों की संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक न होगी ।

(४) समिति का सदस्य या उसके द्वारा अनुमेलित व्यक्ति यथास्थिति, परिषद् या समिति को लिखित रूप से सम्बोधित करके अपना पद त्याग सकता है ।

(५) उपधारा (४) के अधीन त्याग-पत्र देने के कारण या किसी अन्य कारण समिति में हुई किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति, यथास्थिति, उपधारा (२) या (३) में व्यवस्थित रीति से पुनः नियुक्ति या अनुमेलन द्वारा की जायेगी।

(६) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त समिति ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो विनियमों द्वारा नियत किये जायं, तथा ऐसी अवधि के लिये, जो वह उचित समझें, उपसमितियां संघटित कर सकती है।

परिषद् द्वारा समितियों को अभिदेश

१९—परिषद्, इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों के प्रयोग, कर्त्तव्यों, के पालन या कृत्यों के निर्वहन के दौरान में उठने वाले किसी प्रश्न को उपयुक्त समिति को अभिदिष्ट कर सकती है और जब कभी इस प्रकार का अभिदेश किया जाये तो परिषद्, उस पर निर्णय लेने के पूर्व, समिति के प्रतिवेदन, सिफारिशों तथा सुझावों पर विचार करेगी।

परिषद् के आदेशों तथा अन्य कारणों का प्रमाणीकरण

२०—(१) इन अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए, परिषद् के समस्त निर्णय उसके द्वारा यथाविधि पारित संकल्प द्वारा किये जायंगे, और सभापति के या परिषद् द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अन्य सदस्य के, हस्ताक्षर से प्रमाणित किये जायेंगे।

(२) परिषद् की ओर से निष्पादित समस्त करण, परिषद् के सचिव के या परिषद् द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणित किये जायेंगे।

केन्द्र अधीक्षक तथा अधीक्षक लोक सेवक होंगे

२१—प्रत्येक केन्द्र अधीक्षक और प्रत्येक अधीक्षक परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा की अवधि में तथा ऐसी परीक्षा के प्रारम्भ होने के पूर्व एक मास तक और ऐसी परीक्षा समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् दो मास तक इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में पब्लिक सर्वेन्ट (लोक सेवक) समझे जायेंगे।

नियम बनाने का अधिकार

२२—(१) राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा और गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकती है—

(क) सदस्यों के आवर्तन की रीति;

(ख) परिषद् समितियों और उपसमितियों के सदस्यों और उनमें अनुमेलित व्यक्तियों को देय यात्रा-भत्तों तथा दैनिक भत्तों की दरें और उनके भुगान की रीति;

(ग) परिषद्, सभापति, उपसभापति और सचिव के अतिरिक्त अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य;

(घ) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा नियत किया जाना हो या नियत किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन तक रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनाँक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशन के दिनाँक से, ऐसे परिष्कार या अभिशून्यन (annulment) के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधान-मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत

हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

विनियम बनाने का अधिकार

२३—(१) परिषद्, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये इसके उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों से सुसंगत विनियम बना सकती है और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ भेज सकती है। राज्य सरकार विनियमों का अनुमोदन या उनमें परिष्कार या परिवर्तन कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित विनियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे, किन्तु, यदि कोई दिनांक निर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक से, प्रभावी होंगे।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना, विनियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:—

(क) इस अधिनियम के अधीन संघटित समितियों तथा उप समितियों की नियुक्ति, संघटन, अधिकार और कर्त्तव्य;

(ख) प्रमाण-पत्र तथा डिप्लोमा प्रदान करने की रीति और शर्तें;

(ग) संस्थाओं को सम्बद्ध करने की शर्तें;

(घ) प्रमाण-पत्रों तथा डिप्लोमा के निमित्त परीक्षाओं के लिये नियत किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ङ) वे शर्तें, जिनके अधीन अभ्यर्थी परिषद् के परीक्षाओं में बैठ सकेंगे और प्रमाण-पत्र तथा डिप्लोमा पाने के पात्र होंगे;

(च) परिषद् की परीक्षाओं में बैठने के लिये शुल्क और उनकी वसूली की रीति;

(छ) परीक्षाओं का संचालन;

(ज) परिषद् की परीक्षाओं के सम्बन्ध में परीक्षकों, प्रश्न-पत्र परिष्कारकों (moderators), तुलनाकारों (collators), परिनिरीक्षकों (scrutinisers), सारिणी कारों (tabulators), केन्द्र निरीक्षकों, केन्द्र के अधीक्षकों तथा अभीक्षकों की नियुक्ति और उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य तथा उनके पारिश्रमिक की दरें;

(झ) सम्बद्धता प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के लिये आवश्यक इमारतों, जिनके अन्तर्गत उनसे सम्बद्ध भूमि भी है, सज्जा तथा उपकरण के मानदण्ड;

(ञ) सम्बद्ध संस्थाओं के कर्मचारिवर्ग की अर्हताएं, सेवा की शर्तें तथा वेतन-क्रम;

(ट) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के फल प्रकाशित करना;

(ठ) सम्बद्ध संस्था में भर्ती के लिये विद्यार्थियों की न्यूनतम शिक्षक तथा अन्य अर्हताएं;

(ड) सम्बद्ध संस्थाओं में विद्यार्थियों की भर्ती;

(ढ) यह सुनिश्चित करने के लिये सम्बद्ध संस्थाओं का निरीक्षण करना कि नियत पाठ्य-क्रमों का यथोचित रूप से अनुसरण किया जाय और शिक्षण की सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाय तथा उनका यथोचित उपयोग हो;

(ण) वे परिस्थितियाँ जिनमें अभ्यर्थी को परिषद् की परीक्षा में बैठने या सम्बद्ध संस्था में पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति न दी जाये;

(त) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा के फल को रोकना या रद्द करना तथा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा को किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में रद्द करना;

(थ) वे परिस्थितियाँ जिनके अधीन किसी संस्था की सम्बद्धता वापस ली जाये या उसे सम्बद्ध करने से इनकार किया जाये;

(द) केन्द्र का निरीक्षण करना; और

(ध) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन विनियमों द्वारा नियत किया जाना हो अथवा नियत किया जा सके।

उपविधियां बनाने का अधिकार

२४—(१) परिषद्, इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये उपविधियाँ बना सकती हैं।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त उप विधियों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) परिषद् की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गण पूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या;

(ख) परिषद्, समिति या उप-समिति के सदस्यों को उसकी बैठक के दिनाँक तथा उस बैठक में विचारणीय बातों की सूचना देना और उक्त बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख रखना; और

(ग) कोई अन्य विषय इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उपविधियों द्वारा नियत किया जाना हो अथवा नियत किया जा सके।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

२५—इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर—

(१) समय-समय पर यथा परिष्कृत, दिनाँक १३ मई, १९५८ की सरकारी आज्ञा संख्या १६७८—ए/३—१६०—के—१९५८ के अधीन संघटित बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन (जिसे यहाँ आगे "प्राविधिक शिक्षा बोर्ड" कहा गया है) को उस समय तक धारा ३ के अधीन स्थापित परिषद् समझा जायगा जब तक कि उक्त धारा तथा धारा ४ के उपबन्धों के अनुसार परिषद् की स्थापना नहीं हो जाती और परिषद् की इस प्रकार स्थापना हो जाने पर प्राविधिक शिक्षा बोर्ड विघटित हो जायेगा ;

(२) प्राविधिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन तथा वाइस-चेयरमैन को क्रमशः धारा ४ के अधीन नियुक्त सभापति तथा उप सभापति उस समय तक समझा जायगा जब तक कि उक्त धारा के अनुसार, यथास्थिति, सभापति अथवा उप-सभापति की नियुक्ति नहीं हो जाती;

(३) प्राविधिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य-पुस्तक तथा पाठ्य-चर्य्या समिति (Text Book and Syllabus Committee), परीक्षा समिति (Examination Committee), परीक्षाफल समिति (Results Committee) तथा निरीक्षण एवं संबद्धता समिति (Inspection and Affiliation Committee)

में से प्रत्येक उस समय तक धारा १८ के अधीन संघटित समिति के रूप में कार्य करेगी जब तक कि उस धारा के अधीन तत्सदृश समिति संघटित नहीं हो जाती और समिति के इस प्रकार संघटित हो जाने पर प्राविधिक शिक्षा बोर्ड की तत्सदृश समिति विघटित हो जायेगी;

(४) प्राविधिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध प्रत्येक संस्था उन्हीं शर्तों पर परिषद् से सम्बद्ध समझी जायेगी; और

(५) उक्त प्रारम्भ के पूर्व प्राविधिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पारित कोई संकल्प, जब तक कि उस विषय पर विनियम न बन जायें, उसी प्रकार प्रभावी होगा जैसा कि इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई विनियम।

कठिनाइयां दूर करने का अधिकार

२६—राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उत्पन्न होने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिये, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद एक वर्ष की अवधि के दौरान में किसी ऐसे विषय का आदेश द्वारा विनियमन कर सकती है जो इस अधिनियम के अधीन नियम अथवा विनियम द्वारा विनियमित होना है, भले ही इस अधिनियम में कोई अन्य बात दी हो।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ से २६ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक, १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश में एक प्राविधिक शिक्षा परिषद् की स्थापना तथा उसके संघटन और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मैनेजरसिंह—अध्यक्ष महोदय, विनम्र निवेदन है कि परम्परा तो है, कहने का तरीका है कि 'हां' की संख्या अधिक है, लेकिन हम लोग नये वातावरण में कार्य कर रहे हैं हम लोगों में 'हां' और 'ना' से विभेद पैदा होता है। आप कृपा कर के उस परम्परा को बदल दें और सर्वसम्मति से स्वीकृत कहें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने वह परम्परा स्थापित कर दी है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक, १९६२ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—अगर आप चाहते हैं कि सर्वसम्मति से हो तो मुझे हाथ उठाकर मत लेना पड़ेगा।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक, १९६२ (The Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Vid eyak, 1962) जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है तथा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सदस्यों द्वारा दिये गये धन के सम्बन्ध में सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—माननीय विश्वनाथ प्रसाद जी ने मुझे यह लिख कर भेजा है—

"मातृभूमि की उत्तर-पूर्वी सीमा पर कम्यूनिस्ट चीन के नग्न तथा बर्बरतापूर्ण आक्रमण से उत्पन्न संकटकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिये, मैं १ नवम्बर, १९६२ से सम्पूर्णवेतन अस्त्र शस्त्र आदि खरीदने के लिए, जब तक सीमा पर युद्ध जारी है तब तक के लिये, सीमा सुरक्षा कोष में दे रहा हूं।"

कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि कल अगर आप लोग बजट ले लें तो फिर परसों बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

(सदन के सहमति प्रकट करने के उपरान्त) अच्छा, तो अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १२ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२ नवम्बर, १९६२।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३–१४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५५ पर।)

तालिका

क्रम-संख्या	जिले का नाम	डकैतियों की संख्या	हत्याओं की संख्या
१	मेरठ	९२	८७
२	बुलन्दशहर	४५	५०
३	मुजफ्फरनगर	३४	४३
४	सहारनपुर	३१	३३
५	देहरादून, टेहरी-गढ़वाल (सम्मिलित) ..	१	८
६	वाराणसी	१४	३३
७	मिर्जापुर	११	२३
८	गाजीपुर	६	१८
९	जौनपुर	२१	२७
१०	आजमगढ़	१६	२०
११	बलिया	११	२२
१२	लखनऊ	३८	४४
१३	सीतापुर	६०	६३
१४	हरदोई	४९	५०
१५	बाराबंकी	५१	४८
१६	खीरी	५४	६०
१७	रायबरेली	१८	२६
१८	उन्नाव	६५	७०
१९	प्रतापगढ़	१४	२८
२०	कानपुर	३५	८१
२१	फत्तेहपुर	३१	५४
२२	इलाहाबाद	२४	६३
२३	बांदा	१३	५२
२४	हमीरपुर	१९	५१
२५	जालौन	२६	२६
२६	झांसी	५९	३६
२७	बरेली	४४	५३
२८	बिजनौर पौड़ी-गढ़वाल (सम्मिलित)	३९	३३
२९	बदायूं	६६	६६
३०	नैनीताल अल्मोड़ा (सम्मिलित)	९	१३
३१	मुरादाबाद	५४	११२
३२	पीलीभीत	३५	३४
३३	शाहजहांपुर	७४	८४
३४	रामपुर	२२	२०

संसद विधान सभा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	डकैतियों की संख्या	हत्याओं की संख्या
१	२	३	४
३५	आगरा	४८	३६
३६	मथुरा	४३	२४
३७	एटा	७१	५६
३८	अलीगढ़	७१	८४
३९	मैनपुरी	४४	३९
४०	इटावा	४७	३७
४१	फतेहगढ़	५८	६५
४२	गोरखपुर	२४	२५
४३	बस्ती	२२	३२
४४	गोंडा	२८	४७
४५	बहराइच	२१	३०
४६	देवरिया	३१	२६
४७	फैजाबाद	३२	३०
४८	सुल्तानपुर	१७	२७
४९	पिथौरागढ़	..	..
५०	चमोली	..	..
५१	उत्तरकाशी	..	१
५२	जी० आर० पी०	१३	११

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५८ पर)

प्रिसाइडिंग अफसरों के नाम जो सन् १९५७ से अब तक नियुक्ति किये गये	पिछली सेवाओं का विवरण
१—श्री बृजमोहन लाल ..	हाई कोर्ट के कार्य निवृत जज
२—श्री जे० के० टंडन ..	,, ,, ,, ,,
३—श्री के० एन० सिंह ..	भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी थे। इनको श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश तथा श्रम एवं उद्योग-विभागों के सचिव के पदों पर काम करने के कारण श्रम तथा उद्योग सम्बन्धी विषयों में पर्याप्त अनुभव प्राप्त था।
४—श्री जे० एन० उग्रा ..	भारतीय प्रशासन सेवा के कार्य निवृत अधिकारी थे जिनको जिला अधिकारी, परिवहन आयुक्त तथा कानपुर महापालिका के मुख्य नगर अधिकारी के पदों पर काम करने का अनुभव था।
५—श्री राधामोहन ..	राजकीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष थे अथवा भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी थे।
६—श्री एच० ए० सिद्दीकी ..	भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी हैं। इनको जिला अधिकारी के पद पर काम करने का अनुभव है।
७—श्री विजयपाल सिंह ..	कार्य निवृत्त जिला जज
८—श्री बृजनन्दन लाल ..	,, ,,
९—श्री राजाराम मेहरा ..	,, ,,
१०—श्री बाबूराम वर्मा ..	,, ,,
११—श्री एस० बी० बनर्जी ..	,, ,,
१२—श्री जी० सी० अग्रवाल ..	,, ,,
१३—श्री जे० एन० खन्ना ..	श्रम सेवा अधिकारी
१४—श्री एस० बी० हैकरवाल ..	,, ,,
१५—श्री मोहम्मद अहसन ..	,, ,,
१६—श्री एच० एम० मिश्रा ..	,, ,,

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६१ पर)

पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर अब तक लिये गये निर्णयों (परिवर्तन) की सूची—

१—रेडियो अनुभाग में संदेशवाहक कांस्टेबुलों के स्थान पर संदेशवाहक चपरासियों का रखा जाना।

२—सिविल पुलिस की संख्या में वृद्धि।

३—आपत् कालीन सशस्त्र रक्षित दल (आर्म्ड एमरजेंसी रिजर्व) की संख्या में वृद्धि।

४—पुलिस सर्किल के अधिक्षेत्र में कमी तथा इसके फलस्वरूप सर्किल अफसरों की संख्या में वृद्धि।

५—सर्किल इंस्पेक्टर के पद को समाप्त करना तथा उन्हें महत्वपूर्ण थानों का आफिसर इंचार्ज नियुक्त करना।

६—पत्र वाहक का कार्य करने वाले सांशस्त्र पुलिस कांस्टेबुलों के स्थान पर चपरासियों की नियुक्ति।

७—मुरादाबाद में रेलवे पुलिस के प्रशिक्षण केन्द्र को समाप्त करके रेलवे पुलिस के प्रशिक्षार्थियों के लिये विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था।

८—एक लाख या इससे अधिक जन संख्या के शहरों में द्रुतगामी दलों की स्थापना।

९—एक लाख या इससे अधिक जन संख्या के शहरों में अश्रु गैस के दस्तों की स्थापना।

१०—इलाहाबाद में अधिवक्ता के कार्यालय में आवश्यक कर्मचारियों सहित एक पब्लिक प्रासीक्युटर की नियुक्ति।

११—सब-इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबिल व कांस्टेबिलों के वेतन क्रमों का पुनरीक्षण।

१२—कुछ विशेष वेतनों तथा भत्तों को समाप्त करना तथा कुछ विशेष वेतनों तथा भत्तों की दरों का पुनरीक्षण।

१३—लखनऊ में एक पूर्णतया सुसज्जित फोरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना।

१४—सहायक लोक अभियोक्ता तथा प्लाटून कमांडर केडटों को प्रशिक्षण काल में ८० रु० माहवार क्षात्र वृत्ति (Stipend) प्रदान करना।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९–४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६५ पर)

तालिका—क

[दिनांक १–१–६२ से १५–८–६२ तक]

	हत्याओं की संख्या	हत्याओं की संख्या जो धारदार अस्त्रों से हुई	हत्याओं की संख्या जो अग्नेयास्त्रों से हुई
जिला उन्नाव (समस्त थाने)	५७	३४	९
बीहार	४	३	..
बारासगवर	२	१	१
अचलगंज	७	४	१
पुरवा	७	२	४

तालिका—ख

	हत्याओं की सं० जिनमें चार्जशीट लगी	हत्याओं की सं० जिनमें मामले दाखिल दफ्तर हुए
जिला उन्नाव (समस्त थाने)	३३	११
बीहार	१	१
बारासगवर	१	..
अचलगंज	५	१
पुरवा	३	२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६६ पर)

FROM CONFIDENTIAL

THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
UTTAR PRADESH.

TO

ALL ADHYAKSHAS, ZILA PARISHADS/
DISTRICT MAGISTRATES.

No. C-50/Bud(A)/62 *Dated Lucknow, August* 25, 1962.

Subject : **Close Association of M. L. As. in the Work of Blocks—Use of Jeeps by Members**

SIR,

Budget (A) Sec

I HAVE the honour to refer to this office circular no. G-681/Bud(A)/500/1958-59, dated August 2, 1960 on the above subject and to say that in order to create a suitable climate for the Government to raise more taxes with a view to implementation of the plan members of Legislative Assembly/Council may undertake tours in the blocks and may in this connection require transport facilities.

It has been decided that they may be allowed to use the block jeeps as and when they desire to go on tour to block areas for the above purpose under the following conditions:

(1) M. L. As./M.L. Cs. may be allowed the use of block jeeps for the above purpose during the next eight weeks only.

(2) Block Jeeps should not be allowed within a radius of five miles from the block headquarters and also outside the block area.

(3) The mileage covered in this connection will be shown separately in the log book and monthly statement of the vehicle and the monthly ceiling of 450 miles may be treated to have been relaxed to that extent.

(4) The POL on account of the journeys performed in this connection will be met from block budget.

(5) This facility will be allowed only to those M. L. As/M. L. Cs. who work in favour of the Government policy of raising resources.

(6) Block Development Officer or Assistant Development Officer (as the case may be) should also accompany the M. L. A/M. L. C. on tour for the above purpose. The jeep would not be given exclusive to M. L. As/M. L. Cs. for the above purpose.

Yours faithfully,
J. N. GUPTA,
Assistant Development Commissioner,
for *Development Commissioner,*
Uttar Pradesh.

No.(i)/Bud(A) of date

COPY forwarded to all the Zonal Officers A. D. M.(P)/D. P. Os. for information and necessary action.

J. N. GUPTA,
Assistant Development Commissioner,
for *Development Commissioner,*
Uttar Pradesh.

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ९८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७० पर)

तालिका

लखनऊ के अस्पतालों के नाम	नर्सिंग मेल स्टाफ मैरिड	नर्सिंग (फीमेल) स्टाफ मैरिड	हाउस व साइकिल एलाउन्स कितनों को दिया जाता है और कितनों को नहीं, और नहीं, तो क्यों ?
१	२	३	४
बलरामपुर अस्पताल	५	९	किसी को भी ये एलाउन्स नहीं दिये जाते, क्योंकि इस अस्पताल में सरकार की ओर से उनके रहने की व्यवस्था है।
गांधी स्मारक तथा सम्बन्धित अस्पताल	९	६२	मेल स्टाफ को उनके रहने की व्यवस्था न होने के कारण हाउस और साइकिल एलाउन्स दिये जाते हैं, किन्तु फीमेल नर्सों के लिये नर्सेज़ होम में रहने की व्यवस्था है। अतः उन्हें यह एलाउन्स नहीं दिये जाते।
डफरिन अस्पताल ..	..	८	किसी को भी एलाउन्स नहीं दिये जाते, क्योंकि उनके लिये सरकार की ओर से रहने की व्यवस्था है।
राजकीय आयुर्वेदिक कालेज तथा अस्पताल	३	१५	रहने की व्यवस्था न होने के कारण मेल स्टाफ को हाउस व साइकिल एलाउन्स दिये जाते हैं, किन्तु फीमेल स्टाफ को केवल हाउस एलाउन्स दिया जाता है साइकिल एलाउन्स नहीं, क्योंकि उनके पास साइकिलें नहीं हैं।
सिविल अस्पताल, हजरतगंज ..	२	३	रहने की व्यवस्था न होने के कारण मेल व फीमेल सभी नर्सों को हाउस और साइकिल एलाउन्स दिये जाते हैं।
पुलिस अस्पताल ..	२	..	ये एलाउन्स नहीं दिये जाते, क्योंकि दोनों मेल स्टाफ सरकारी क्वार्टर में रहते हैं।
ई० एस० आई० डिस्पेन्सरी	२	१	रहने की व्यवस्था न होने के कारण दोनों मेल और एक फीमेल स्टाफ को ये दोनों एलाउन्स दिये जाते हैं।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७२ पर)

तालिका

नाम अस्पताल	वर्ष	कितने मरीजों का इलाज हुआ		कितना धन खर्च हुआ	
		वाह्य	आभ्यन्तर	दवाओं पर	खुराक पर
१	२	३	४	५	६
		रु०	रु०	रु० न. पै.	रु० न. पै.
१—राजकीय चिकित्सालय (पुरुष), गाजियाबाद	१९५९—६०	४२,१८७	१,४१८	५,०००.००	४,८०४.८६
	१९६०—६१	४०,४२०	१,७४०	५,९५९.४९	४,५७३.३८
	१९६१—६२	४२,८२०	१,३३२	४,९९४.६२	४,५१३.३८
२—राजकीय चिकित्सालय (महिला), गाजियाबाद ..	१९५९—६०	१८,०६१	२,०८७	४,६००.००	२,९७५.३३
	१९६०—६१	१९,११२	२,३४५	४,३३४.८८	१,७७३.७९
	१९६१—६२	१३,२९८	१,६९७	४,०२८.२०	२,२३६.६१

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २२२ एल० ए०—१९६३—८३० प्रो० ।